सत्यमेव जयते

भारत के
नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

परियोजना आयात पर निष्पादन लेखापरीक्षा

संघ सरकार
(राजस्व विभाग – अप्रत्यक्ष कर – सीमाशुल्क)

2016 की संख्या–42

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2016 को समाप्त वर्ष हेतु

परियोजना आयात पर निष्पादन लेखापरीक्षा

संघ सरकार

राजस्व विभाग

अप्रत्यक्ष कर – सीमाशुल्क

2016 की संख्या 42

लोक सभा/राज्य के समक्ष प्रस्तुत ________

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ
प्रस्तावना		i
संक्षेपण		iii
कार्यकारी सार		v
अध्याय 1: परिचय		1
1.1	वैधानिक प्रावधान	1
1.2	पंजीकरण, आयात, परियोजना आयात के अंतर्गत माल का आकलन	2
1.3	पंजीकृत ठेके की प्रवृति और ठेके का मूल्य	3
1.4	योजना के अंतर्गत सीमाशुल्क राजस्व	4
1.5	क्षेत्र वार परियोजना आयात	5
अध्याय 2: निष्पादन लेखापरीक्षा का औचित्य, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, नमूना, कार्यप्रणाली और मापदण्ड		7
2.1	निष्पादन लेखापरीक्षा का औचित्य	7
2.2	लेखापरीक्षा उद्देश्य	7
2.3	लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, नमूना, कार्यप्रणाली और मापदण्ड	8
अध्याय 3: नियमों तथा प्रावधानों की पर्याप्तता		11
3.1	वैधानिक प्रावधानों के स्पष्टीकरण में अनियमितता	11
3.2	परियोजना को समयबद्ध रूप से पूर्ण हेतु प्रावधानों का अभाव	14
3.3	विविध प्रायोजक प्राधिकारी	18
3.4	मशीनरी स्थानांतरित करने हेतु पीआईआर में प्रावधान का अभाव	22
3.5	निष्कर्ष	25
अध्याय 4: नियम एवं पद्धतियों का अनुपालनन		27
4.1	अपेक्षित दस्तावेजों के अभाव में पूर्ण किये गये ठेके	27
4.2	योजना के तहत अनुमत अस्वीकार्य आयात	29
4.3	सीलिंग के अधिक स्पेयर का आयात	32
4.4	माल की गलत निकासी	33
4.5	शुल्क की गलत दर लगाना	34

विषय		पृष्ठ
4.6	रबर कैमिकल के आयात पर प्रति-पाटन शुल्क की वसूली न करने के कारण राजस्व की हानि	36
4.7	आईसीईएस 1.5 में ब्याज की गलत दर	37
4.8	परियोजना आयात के मामले में जारी एससीएन का लंबित/गैर अधिनिर्णयन	38
4.9	सुनिश्चित मांग की गैर-वसूली	39
4.10	निष्कर्ष	41
अध्याय 5:	**परियोजना आयात के अंतर्गत आयात की सुविधा**	43
5.1	परियोजना आयात के अंतर्गत निकासी किये गये माल को रखने की अवधि	43
5.2	जटिल दस्तावेजीकरण के कारण अपर्याप्त सुविधा और विलम्ब	45
5.3	बीई के अस्थायी निर्धारण को लंबित/अंतिम रूप न देना	48
5.4	परियोजना ठेके को विलम्ब से/अंतिम रूप न देना	49
5.5	लेनदेन लागत	52
5.6	योजना की जागरूकता	55
5.7	निष्कर्ष	55
अध्याय 6:	**मॉनिटरिंग, समन्वय और आंतरिक नियंत्रण**	57
6.1	ईडीआई प्रणाली में परियोजना आयात डाटा प्रबंधन	57
6.2	सीबीईसी क्षेत्रीय संरचनाओं के डाटाबेस में अनियमितता	62
6.3	बैंक गारंटी (बीजी) और बांड की मॉनिटरिंग	66
6.4	अभिलेखों का रखरखाव	68
6.5	अंतर्विभागीय प्राधिकारियों के बीच समन्वय का अभाव	71
6.6	अतिरिक्त ठेके नजरअंदाज करते हुये ठेके को अनुचित रूप से पूर्ण करना	73
6.7	निष्कर्ष	73
अध्याय 7:	**निष्कर्ष**	75
	परिशिष्ट	77

प्रस्तावना

यह रिपोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार की गई है।

रिपोर्ट में 'परियोजना आयात' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस रिपोर्ट में 2016-17 की अवधि में की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान नोटिस किये गये और 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2016 की अवधि के लेन-देन कवर करने वाले उदाहरण उल्लिखित किये गये हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निष्पादन लेखांकन मानकों के अनुसार की गई थी।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर वित्त मंत्रालय (एमओएफ), राजस्व विभाग (डीओआर) और उसकी क्षेत्रीय संरचनाओं से प्राप्त सहयोग के लिये आभार व्यक्त करती है।

संक्षेपण

एसीसी	एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स
बीसीडी	आयात पत्र
बीई	बिल ऑफ इंट्री
बीजी	बैंक गारंटी
बीएचईएल	मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड
बीएमआरसीएल	मैसर्स बैंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड
बीपीसीएल	मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
बीपीसीएल-केआर-आईआरईपी	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड-कोच्चि रिफाइनरी-इंटीग्रेटेड रिफाइनरी एक्सपैंशन प्रोजेक्ट
सीबीईसी	केंद्रीय बोर्ड उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क
सीई	अधिकृत इंजीनियर
सीईटीएच	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ शीर्ष
सीजीपीएल	मैसर्स कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड
सीआईएफ	लागत, बीमा और भाड़ा
सीटीएच	सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष
सीवीडी	प्रतिकारी शुल्क
डीजीआईसी एंड सीई	महानिदेशक निरीक्षण (सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क)
डीजीपीएम	महानिदेशक निष्पादन प्रबंधन
डीएमआरसी	मैसर्स दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड
ईडीआई	इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज
ईपीसीजी	निर्यात प्रोत्साहक पूँजीगत माल
एफआईईओ	भारतीय निर्यात संगठन संघ
एफओबी	फ्री ऑन बोर्ड
गेल	मैसर्स गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
एचएसडी	उच्च गति डीजल
आईसीडी	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो
आईसीईएस 1.5	भारतीय सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली 1.5
जेएनसीएच	जवाहर लाल नेहरू सीमाशुल्क हाउस
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमओसी एंड आई	वाणिज्य एवं व्यापार मंत्रालय

एमओएफ	वित्त मत्रांलय
एमटीआर	मासिक तकनीकी रिपोर्ट
एनसीएच	न्यू कस्टम हाउस
पीईटी	पॉलीथीन टेरिफ्थेलैट
पीएचडी	प्रगति समानता विकास
पीआईआर	परियोजना आयात विनियम, 1986
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
पीएसवी	प्लांट साइट प्रमाणन
क्यूपीआर	तिमाही प्रगति रिपोर्ट
आरए	रिलीज एडवाइस
एससीएनएस	कारण बताओ नोटिस
टीआरए	टैलीग्राफिक रिलीज़ एडवाइस
टीआरयू	कर अनुसंधान इकाई
यूएसडी	यूनाइटेड स्टेट डॉलर

कार्यकारी सार

'परियोजना आयात' इन औद्योगिक परियोजनाओं के लिये अपेक्षित संबंधित मदों और पूँजीगत माल के आयात को सुविधाजनक बनाकर, औद्योगिक संयंत्रों[1] के पर्याप्त विस्तार या स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिये भारत सरकार की योजना है। योजना का उद्देश्य वर्गीकरण और मूल्यांकन की सरल प्रक्रिया उपलब्ध कराकर आयात का सरल और शीघ्र मूल्यांकन करना है। इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं हेतु आयातित सभी माल सीमाशुल्क दर अधिनियम, 1975 के एक अध्याय शीर्ष 9801 के अंतर्गत वर्गीकृत है और समान सीमाशुल्क दर पर मूल्यांकन किया जाता है यद्यपि अन्य शीर्ष इस माल को अधिक विशेष रूप से कवर कर सकते है। योजना औद्योगिक संयंत्र, सिंचाई परियोजना, ऊर्जा परियोजना, खनन और तेल/खनिज अन्वेषण परियोजना जैसे विशेष क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के लिये उपलब्ध है।

परियोजना आयात की योजना मुख्य रूप से सीमाशुल्क दर शीर्ष (सीटीएच) 98.01 और सीमाशुल्क दर अधिनियम, 1975 के अध्याय 98 के अध्याय नोट; परियोजना आयात नियमावली (पीआईआर), 1986; दिनांक 17 मार्च 2012 की सामान्य छूट अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमाशुल्क और 21/2012-सीमाशुल्क द्वारा नियंत्रित है।

पिछले 15 वर्षों के दौरान शुल्क संरचना को सरल/संशोधित किया गया है और औद्योगिक संयंत्र या परियोजना की स्थापना हेतु आवश्यक माल की श्रेणी में उत्पादक-निर्यातक हेतु पूँजीगत माल के लिये समान लाभ उपलब्ध कराने वाले परियोजना आयात के बाद ईपीसीजी/शून्य शुल्क ईपीसीजी जैसी योजनाऐं और अन्य व्यापार वृद्धि उपाय भी प्रस्तुत किये गये हैं।

वित्तीय वर्ष 12 से वित्तीय वर्ष 16 में पंजीकृत ठेके और अर्जित राजस्व की संख्या में घटती प्रवृत्ति है। इन वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत पंजीकृत नये ठेकों की प्रतिशतता 49 प्रतिशत कम हुई और परियोजना आयात से राजस्व लगभग 40

[1]औद्योगिक संयंत्र को योजना के अंतर्गत माल के निर्माण उत्पादन या निष्कर्ष हेतु आवश्यक प्रक्रिया या किसी प्रक्रिया के निष्पादन में प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त औद्योगिक प्रणाली डिजाइन के रूप में परिभाषित है, तथापि, इसमें होटल, अस्पताल, फोटोग्राफिक स्टूडियों, फोटोग्राफिक फिल्म प्रक्रमण प्रयोगशाला, फोटोकॉपी स्टूडियो, लौन्ड्री, गैरेज और वर्कशॉफ जैसे किसी भी विवरण की सेवाऐं उपलब्ध कराने के लिये बनाये संस्थान शामिल नहीं हैं।

प्रतिशत कम हुआ। वित्तीय वर्ष 12 से वित्तीय वर्ष 16 के दौरान, सभी उपयुक्त क्षेत्रों में परियोजना आयात का ऊर्जा क्षेत्र परियोजनाओं में सबसे अधिक शेयर था।

2016 में, परियोजना आयात योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा पूर्व पांच वित्तीय वर्ष अर्थात वि.व. 12 से वि.व. 16 की अवधि कवर करते हुये की गई थी। निष्पादन लेखापरीक्षा ने आश्वासन मांगा कि परियोजना आयात हेतु सरल प्रक्रिया का समर्थन करने के लिये पर्याप्त वैधानिक प्रावधान मौजूद हैं, प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन किया जा रहा था, योजना व्यापार सरलीकरण तंत्र उपलब्ध कराने में सफल है, समन्वय और आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त और प्रभावी थे।

निष्पादन समीक्षा के मुख्य निष्कर्षों को अनुवर्ती पैराग्राफों में विशिष्ट रूप से दर्शाया गया है।

नियमों और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता

योजना के मौजूदा विधि प्रावधानों की समीक्षा से उत्तरकालीन अधिसूचनाओं और संशोधनों के कारण योजना में काफी अस्पष्टता का पता चला। इस प्रकार, मूल्यांकन अनियमित रूप से किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप कम/अधिक मूल्यांकन और शुल्क की गलत वसूली हो रही है। आयात पूर्ण करने की निगरानी करने के लिये नियम में उचित प्रावधानों के अभाव के परिणामस्वरूप कई परियोजनाऐं अनिश्चित काल तक लंबित हुई और परियोजनाऐं शुरू होने के बाद भी आयातकों को रियायती आयात का अनुचित लाभ मिला। स्पष्ट प्रशासनिक दायित्वों जैसे कौन मॉनिटरिंग कर रहा हैं क्या परियोजना पूर्ण हुई और क्या परियोजना के उद्देश्य – क्षमता में वृद्धि हुई – प्राप्त किया गया के बिना एक परियोजना के लिये विभिन्न प्रायोजक प्राधिकारी थे।

नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन

निष्पादन लेखापरीक्षा से मौजूदा प्रावधानों के अस्थिर और गलत अनुपालन के कई उदाहरण सामने आये। ठेके अपेक्षित दस्तावेजों के अभाव के बावजूद पूर्ण किये गये थे, परियोजना के अधिक विस्तार हेतु ठेके क्षमता के वास्तविक विस्तार के बिना अनुमत थे, और अस्वीकार्य आयात और अनुपयुक्त माल परियोजना आयात के अंतर्गत अनुमत किया गया था। लेखापरीक्षा ने निर्धारित

सीमा से काफी अधिक कल पुर्जों के आयात और शुल्क एवं ब्याज की गलत दर लागू करने के कई उदाहरण देखे।

परियोजना आयात के अंतर्गत आयात का सरलीकरण

लेखापरीक्षा ने कार्गो के डवेल टाइम[2], दस्तावेजीकरण आवश्यकताऐं निर्धारण पूर्ण करने में लिया गया समय और ठेके और लेन-देन लागत[3] जैसी व्यापार सुविधाओं के पहलुओं की जांच की। लेखापरीक्षा ने कुछ मामलों में, कुछ मुख्य पोर्ट पर कार्गो क्लियरेंस में 297 दिनों तक के विलम्ब के मामले देखे। दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं की जांच से पता चला कि आयातक द्वारा कई दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य था और कई मामलों में आयातकों ने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये थे या विलम्ब से प्रस्तुत किये थे। यद्यपि कमिश्नरियों द्वारा अनंतिम आकलन पूर्ण करने हेतु निर्धारित समय तीन माह था, लेखापरीक्षा ने विलम्ब के कई मामले देखे विशेष रूप से जब आयात पंजीकरण पोर्ट के अलावा किसी और पोर्ट से किया गया था। यह अनुमानित किया गया था कि लेन-देन लागत, योजना के अंतर्गत कुल आयात का 5-14 प्रतिशत थी।

मॉनिटरिंग, समन्वय और आंतरिक नियंत्रण

यद्यपि सीमाशुल्क विभाग ने ईडीआई प्रणाली के माध्यम से अपना कार्य कंप्यूटरीकृत कर लिया है, निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि ईडीआई प्रणाली में परियोजना सामग्री आयात योजना को एकीकृत करने के लिये कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। प्रणाली परियोजना आयात लेन-देन के संबंध में पूर्ण डाटा नहीं रखती। परिणामस्वरूप, योजना के अंतर्गत पंजीकृत परियोजना के तहत प्रभावित पूर्ण आयात की दशा स्पष्ट करना संभव नहीं है, इसके अतिरिक्त मैनुअल हस्तक्षेप के अधीन होता है और योजना की मॉनिटरिंग को काफी जटिल बनाता है। लेखापरीक्षा ने अपूर्ण या गैर-मौजूद रिकॉर्ड और रिपोर्ट और जारी ठेकों से संबंधित फाइल गुम होने के मामले देखे जो कमजोर आंतरिक नियंत्रण दर्शाता है।

---

[2] डवेल टाइम पोर्ट पर माल के पहुँचने और उसके अंतिम क्लियरेंस के बीच लगा समय है।

[3] लेन-देन लागत में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दर पर क्रेडिट की अंतर संबंधी लागत, प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण लागत और परिवहन विलम्ब की लागत शामिल है।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में ₹ 203 करोड़ के प्रणालीगत मुद्दों के साथ-साथ, ₹ 1,822 करोड़ का राजस्व निहितार्थ है जिसकी आंतरिक नियंत्रण मामले जिनकी मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती के अतिरिक्त मौजूदा नियमों और विनियमों में अनियमितता और अस्पष्टता के कारण वसूली नहीं की जा सकती।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में नौ सिफारिशें की गई हैं, जिनमें से मंत्रालय ने आठ सिफारिशें स्वीकार की है। सिफारिशों और मंत्रालय के उत्तर को नीचे सूचीबद्ध किया गया है।

सिफारिशों का सार

1. *लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि मंत्रालय, इस मामले में मौजूदा वैधानिक प्रावधानों और शीर्ष न्यायालय के निर्णय की समीक्षा के बाद उचित निर्देश जारी करके परियोजना आयात के अंतर्गत आंकलन हेतु प्रावधानों में अनियमितता हटाये।*

   बोर्ड ने कहा कि वे दिनांक 8 अगस्त 1987 का परिपत्र खारिज करने पर विचार कर रहे हैं।

2. *लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि मंत्रालय पीआईआर 1986 को संशोधित करने पर विचार करें ताकि परियोजना आयात योजना के अंतर्गत पंजीकृत ठेके में शामिल किये जाने वाले आयात को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने की शर्त की व्यवस्था की जा सके।*

   बोर्ड ने कहा कि वे अन्य मंत्रालयों के साथ सलाह करके परियोजना आयात के अंतर्गत आयात पूर्ण करने हेतु तीन वर्ष की समय अवधि जो दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है पर विचार कर रहे हैं।

3. *लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि अनुचित लाभ की गुंजाइश से बचने और परियोजना की बेहतर मॉनिटरिंग के लिये संयुक्त/एकीकृत परियोजना हेतु मुख्य प्रायोजक प्राधिकरण बनाने के लिये पीआईआर 1986 में प्रयोजक प्राधिकरण के संबंध में प्रावधानों को स्पष्ट किया जाए।*

बोर्ड ने कहा कि सिफारिश की जांच की जा रही है और उचित संशोधन/स्पष्टीकरण जारी किया जायेगा।

4. *लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि मंत्रालय आवश्यकताओं को सरल बनाने के उद्देश्य से परियोजना आयात योजना के अंतर्गत अपेक्षित दस्तावेजों की मात्रा की समीक्षा पर विचार कर सकता है।*

   बोर्ड ने कहा कि आयात पूर्व और पश्चात हेतु नियमों में निर्दिष्ट दस्तावेज उचित हैं। तथापि, मंत्रालय सहमत है कि वरिष्ठ स्तर पर कुशल मॉनिटरिंग की आवश्यकता है।

5. *लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि संविदाओ को अन्तिम रूप देने में विलम्ब से बचने के लिए, बंदरगाह के पंजीकरण के लिए टीआरए बंदरगाहो से टीआरए आकंलन (बीईस) के इलेक्ट्रॉनिक संचरण की सम्भावना की तलाश द्वारा बोर्ड अन्य बंदरगाहो के माध्यम से प्रभावित आयातो को मॉनीटर करने और प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनायेगा।*

   बोर्ड ने कहा पीआईआर में संशोधन के आधार पर, परियोजना प्रबंधन मोड्यूल टीआर पोर्ट से पंजीकरण पोर्ट तक टीआरए आकलन (बीईस) के इलैक्ट्रॉनिक प्रेषण सहित आईसीईएस 1.5 में विकसित किया जायेगा।

6. *लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि मंत्रालय परियोजना आयात योजना से जुड़ी उच्च लेन-देन लागत से संबंधित कारकों की समीक्षा करे और अन्य योजनाओं (जैसे ईपीसीजी) की तुलना में योजना के लाभ की तुलना करे।*

   बोर्ड ने कहा कि परियोजना आयात योजना किसी भी निर्यात दायित्व से लिंक नहीं है और उसके अपने अलग लाभ हैं। नियमों की समीक्षा प्रक्रियात्मक सरलीकरण और आईसीईएस 1.5 में ऑटोमेशन के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से की जा सकती है। इससे लेन-देन लागत कम होगी।

7. *लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि परियोजना आयात पर बेहतर नियंत्रण होने और कुशल एवं उचित तरीके से बांड लेजर में उनके*

क्रेडिट/डेबिट की निगरानी हेतु, बोर्ड टीआरए के माध्यम से अन्य पोर्ट में किये गये आयात और पंजीकरण पोर्ट के माध्यम से किये गये आयात की निगरानी करने के लिये परियोजना आयात हेतु केन्द्रीय बांड प्रबंधन मोड्यूल शुरू करने पर विचार कर सकता है।

बोर्ड ने कहा की मंत्रालय पीआईआर की विस्तृत समीक्षा के बाद आईसीईएस 1.5 में केन्द्रीकृत बांड प्रबंधन मोड्यूल बनाने की सिफारिश से सहमत है।

8. लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस 1.5वी) के माध्यम से परियोजना सामग्री आयात की प्रभावी निगरानी हेतु बोर्ड को मैनुअल प्रणाली के माध्यम से परियोजना आयात मामलों की निगरानी पर निर्भरता को कम करने के लिये आईसीईएस में ईपीसीजी योजना की पद्धति पर परियोजना प्रबंधन मोड्यूल की संभावना का पता लगाना चाहिये।

बोर्ड ने कहा कि पीआईआर में संशोधन के आधार पर, परियोजना प्रबंधन मोड्यूल आईसीईएस 1.5 में विकसित किया जायेगा।

9. लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि बोर्ड परियोजना आयात मामलों के लिये केन्द्रीकृत डाटा बनाने पर विचार कर सकता है ताकि विभिन्न संस्थाओं के बीच डाटा की अनियमितता से बचा जा सके।

बोर्ड ने कहा कि मंत्रालय पीआईआर की विस्तृत समीक्षा के बाद आईसीईएस 1.5 में केन्द्रीकृत डाटाबेस बनाने की सिफारिश से सहमत है।

परियोजना आयात पर
निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय 1: परिचय

'परियोजना आयात' औद्योगिक संयंत्र लगाने या औद्योगिक संयंत्रों में महत्वपूर्ण विस्तार में सुविधा प्रदान करने हेतु भारत सरकार की एक योजना है जिसमें इन औद्योगिक परियोजनाओं के लिए पूँजीगत वस्तुओं एवं इससे जुड़ी वस्तुओं का आयात करने में सुविधा प्रदान किया जाता है। इस योजना से वर्गीकरण और मूल्यांकन की सरलीकृत प्रक्रिया प्रदान करते हुए आयात का सुगम एवं शीघ्र निर्धारण का लक्ष्य पूरा किए जाने की अपेक्षा की जाती है। इस योजना के तहत एक परियोजना के लिए आयातित सभी वस्तुओं को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के एक अध्याय शीर्ष 9801 के तहत वर्गीकृत किया जाता है और एक एकीकृत सीमाशुल्क दर पर निर्धारण किया जाता है; भले ही अन्य शीर्षों में ये वस्तुएं अधिक विशेष रूप से शामिल हों।

इस योजना के तहत औद्योगिक संयंत्र को किसी उत्पाद के निर्माण, उत्पादन या निष्कर्षण हेतु आवश्यक किसी एक प्रक्रिया या कई प्रक्रियाओं के निष्पादन में सीधे नियोजित किए जाने हेतु बनी औद्योगिक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है। हालांकि, इसमें होटलों, अस्पतालों, फोटोग्रॉफिक स्टूडियो, फोटोग्रॉफिक फिल्म प्रसंस्करण प्रयोगशालाओं, फोटोकॉपी करने वाले स्टूडियो, लांड्रीज़, गैरेज और प्रयोगशालाओं जैसी कोई विशिष्ट सेवा प्रदान करने की व्यवस्था नहीं है। योजना निम्नलिखित क्षेत्रों के तहत आने वाली परियोजनाओं के लिए है:

1. औद्योगिक संयंत्र
2. सिंचाई परियोजना
3. विद्युत परियोजना
4. खनन परियोजना
5. तेल/खनिज दोहन परियोजना
6. केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य परियोजना

1.1 वैधानिक प्रावधान

परियोजना आयात योजना का अभिशासन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है:

1. सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 98.01 और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 98 का अध्याय नोट;

2. पीआईआर 1965 के अधिक्रमण में अप्रैल 1986 में अधिसूचित परियोजना आयात विनियम, 1986 (पीआईआर, 86);

3. सीटीएच 98.01 के तहत आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त सीमाशुल्क (सीवीडी) और मूल सीमाशुल्क (बीसीडी) से छूट/रियायती दर लगाने हेतु 17 मार्च 2012 की सामान्य छूट अधिसूचना सं. 12/2012-सीमाशुल्क, बशर्ते कि प्रत्येक प्रविष्टि के प्रति विनिर्दिष्ट शर्तों के साथ या उनके बिना;

4. समय-समय पर संशोधित कुछ विनिर्दिषट परियोजना आयात हेतु विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क के भुगतान से छूट के लिए दिनांक 17 मार्च 2012 की अधिसूचना सं.21/2012-सीमाशुल्क;

5. विशिष्ट अधिसूचनायें जारी करके योजना के तहत लाभ हेतु सरकार द्वारा अधिसूचित परियोजनायें;

6. केंद्रीय बोर्ड, उत्पाद एवं सीमाशुल्क (सीबीईसी) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र।

1.2 पंजीकरण, आयात, परियोजना आयात के अंतर्गत माल का आंकलन

योजना का कार्यान्वयन पीआईआर, 1986 के विनियम 1 से 7 द्वारा अभिशासित होता है। परियोजना आयात योजना केवल वस्तुओं के आयात से पूर्व पंजीकृत अनुबंधों के तहत आयातित और प्रायोजक प्राधिकारी द्वारा पूर्णत: सत्यापित, आयात की जाने वाली वस्तुओं की विस्तृत मदवार सूची के साथ विनिर्दिष्ट प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं पर ही लागू होता है। प्रायोजक प्राधिकरण को पीआईआर के तहत परिभाषित किया गया है और यह परियोजना की प्रकृति पर निर्भर करता है, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/राज्य सरकार के विभागों को प्रायोजक प्राधिकरण के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

एक परियोजना आयात अनुबंध, परियोजना पर प्रायोजक प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद ही पंजीकरण हेतु अर्हक होगा। एक अनुबंध को फिर से दो उप-अनुबंधों में बॉटा जा सकता है और सीमाशुल्क प्राधिकरणों के पास अलग-अलग पंजीकरण कराया जा सकता है। दूसरे शब्दों में एक परियोजना आयात योजना के अंतर्गत कई उप-अनुबंध हो सकते हैं।

नीचे दिए गए चार्ट में योजना के कार्यान्वयन का सार प्रस्तुत किया गया है।

चित्र 1: प्रवाह चार्ट-परियोजना आयात योजना का कार्यान्वयन

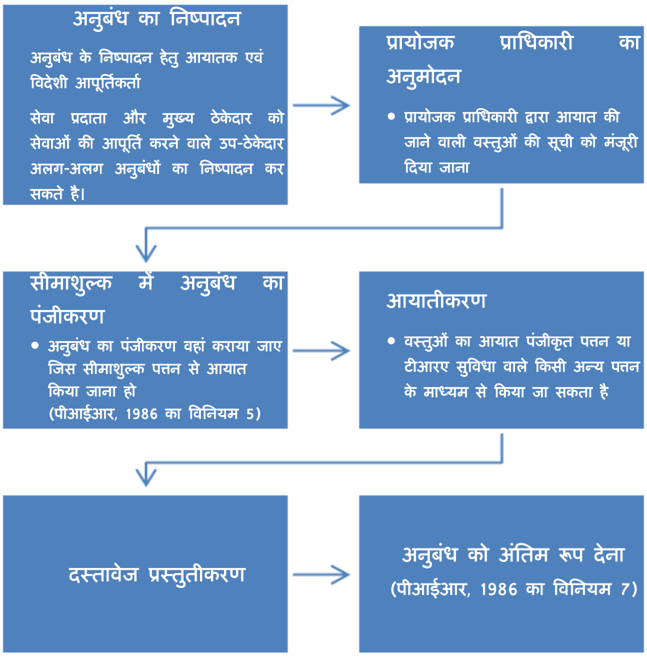

अर्हता, पंजीकरण, आयातीकरण, आयातिति वस्तुओं, संयंत्र स्थल सत्यापन (पीएसवी) और निर्धारण/ठेका प्रक्रियाओं का सार **परिशिष्ट** 1 में दिया गया है।

1.3 पंजीकृत ठेके की प्रवृति और ठेके का मूल्य

परियोजना आयात के लिए पंजीकृत ठेकाओं की संख्या तथा वि.व. 12 से वि.व. 16 के दौरान पंजीकृत ठेकाओं के मूल्य में गिरावट दर्ज की गई।

पिछले पांच वर्षों में पंजीकृत ठेकाओं की संख्या वि.व. 12 में 264 से 49 प्रतिशत गिरकर वि.व. 16 में 134 रह गई थी।

तालिका 1: पिछले पांच वर्षों में पंजीकृत ठेकाओं की संख्या

वर्ष	पंजीकृत ठेकाओं की संख्या
2011-12	264
2012-13	221
2013-14	186
2014-15	149
2015-16	134

स्रोत: सीबीईसी (डीजीपीएम)

चित्र 2: परियोजना आयात ठेकाओं की संख्या एवं पंजीकृत मूल्य (₹ करोड़ में)

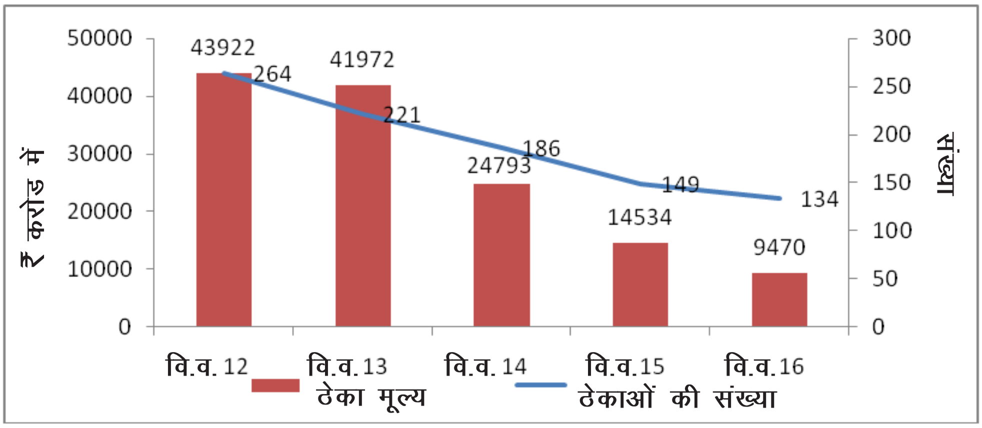

स्रोत: सीबीईसी (डीजीपीएम)

गिरती हुई प्रवृत्ति दर्शाती है कि पूँजीगत वस्तुओं के आयात के लिए ईपीसीजी/शून्य शुल्क ईपीसीजी जैसी अन्य योजनाओं के कारण आयातक इस योजना का सहारा नहीं लेते जिसे परियोजना आयात के बाद शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत आयातक यह लाभ या इससे अधिक लाभ ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त, तथ्य कि पूरे सीमाशुल्क दरों को ठीक कर लिया गया है और उच्च शुल्क दर 10 प्रतिशत की औसत दरों पर हैं, परियोजना आयात से आयातकों को बहुत अधिक लाभ की संभावना प्रतीत नहीं होती।

1.4 योजना के अंतर्गत सीमाशुल्क राजस्व

महानिदेशालय (प्रणाली एवं डाटा प्रबंधन) के अनुसार, इस योजना के तहत 50 ईडीआई पत्तनों में वि.व. 2012 से वि.व. 2016 के बीच संग्रहीत कुल सीमाशुल्क राजस्व ₹ 8,089.68 करोड़ था। हालांकि, परियोजना आयात के तहत संग्रहीत राजस्व में 2011-12 से 2015-16 में 40 प्रतिशत तक की गिरावट आई। कुल संग्रहीत राजस्व की प्रतिशतता के रूप में परियोजना आयात का योगदान लेखापरीक्षा समीक्षा के तहत पांच वर्षों की अवधि में 3 प्रतिशत से भी कम रहा है **(परिशिष्ट 2)**।

वि.व. 12 से वि.व. 16 के दौरान योजना के तहत छोड़ा गया कुल राजस्व ₹ 10,545.30 करोड़ था।

चित्र 3: निर्धारणीय मूल्य, संग्रहीत शुल्क और छोड़े गये शुल्क की प्रवृत्तियां

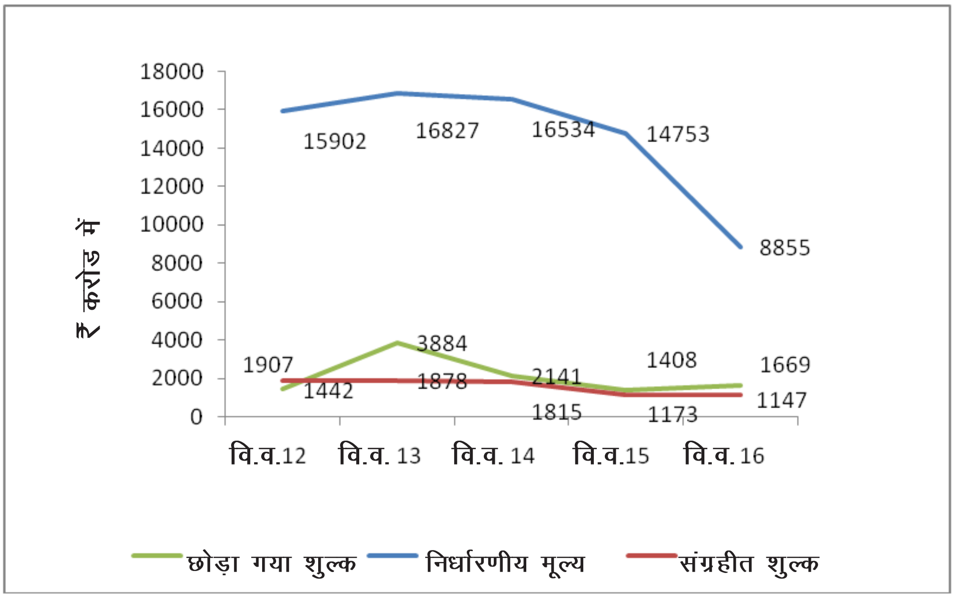

स्रोत: डीजी (प्रणाली) और सीबीईसी (डीजीपीएम), नई दिल्ली

50 पत्तनों में से मुंबई समुद्र, चेन्नई समुद्र, कोलकाता समुद्र और न्हावा सेवा समुद्र का राजस्व योगदान इस अवधि के दौरान 71 प्रतिशत (₹ 5,708.04 करोड़) था और शेष 46 पत्तनों का योगदान 29 प्रतिशत (₹ 2,381.64 करोड़) था।

1.5 क्षेत्र वार परियोजना आयात

इस योजना के तहत आयात का क्षेत्रवार वर्गीकरण दर्शाने के लिए डीजी (प्रणाली) से प्राप्त डाटा का विश्लेषण किया गया। वि.व. 12 से वि.व. 16 के दौरान क्षेत्रवार आयात, चित्र 4 में दिया गया है।

चित्र 4: वि.व. 12 से वि.व. 16 के दौरान क्षेत्रवार आयात

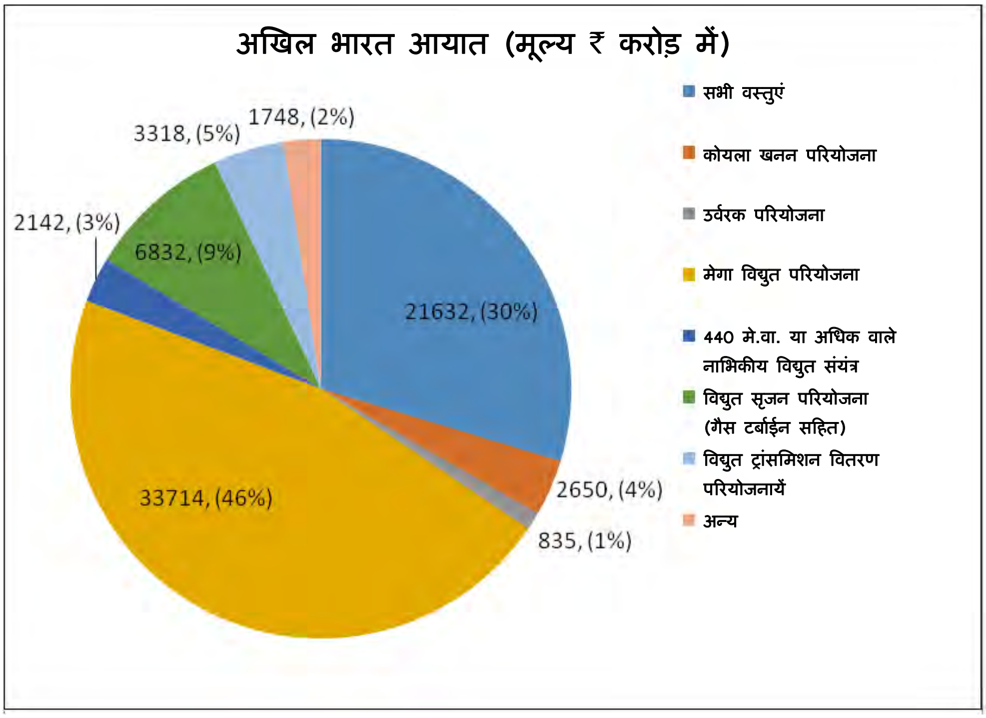

स्रोत: डीजी (प्रणाली)

आयात के क्षेत्रवार मूल्य के संदर्भ में विद्युत क्षेत्र परियोजनाओं का आयात परियोजनाओं के लिए अर्हक सभी क्षेत्रों के बीच परियोजना आयात का सर्वाधिक शेयर था। विद्युत क्षेत्र के भीतर आयात का सर्वाधिक मूल्य मेगा विद्युत परियोजनाओं का था उसके बाद क्रमश: विद्युत सृजन परियोजनाओं, विद्युत ट्रांसमिशन और वितरण परियोजनाओं तथा नाभिकीय संयंत्र परियोजनाओं का था। सभी वस्तुओं जिन्हें छूट अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के अलावा संयंत्र एवं मशीनरी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, वे परियोजना आयात के दूसरी सबसे बड़ी श्रेणी थी। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिसमें कोयला खनन परियोजनायें तथा उर्वरक परियोजनायें थी **(परिशिष्ट 2)**।

अध्याय 2: निष्पादन लेखापरीक्षा का औचित्य, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, नमूना, कार्यप्रणाली और मापदण्ड

2.1 निष्पादन लेखापरीक्षा का औचित्य

लेखापरीक्षा द्वारा पूर्व में परियोजना आयात लेखापरीक्षा की समीक्षा की गई थी (2009-10 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 24 - संघ सरकार - अप्रत्यक्ष कर), जिसमें लेखापरीक्षा ने मंत्रालय से सिफारिश किया था कि आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र सहित योजना की कार्यप्रणाली की एक व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने यह भी सिफारिश किया था कि ईडीआई प्रणाली से जुड़े निगरानी माड्यूल और उपयुक्त लेखांकन किए जाने की आवश्यकता थी, ठेके के निर्धारण में देरी को कम करने के लिए निर्धारणों को अंतिम रूप देने के लिए वास्तविक समय-सीमा होनी चाहिए तथा निर्धारणों के दोहरीकरण को रोकने के लिए परियोजना आयात विनियमों में सुधार किया जाना चाहिए। यद्यपि मंत्रालय ने योजना की कार्य प्रणाली की व्यापक समीक्षा करने का आश्वासन दिया था, केवल मई 2011 में जारी परिपत्र[4] को छोड़कर ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली जिससे किसी ऐसी समीक्षा की पुष्टि की जा सकती।

व्यक्तिगत क्षेत्रों में सीमाशुल्क के उच्च दरों को वि.व. 97 में 45 प्रतिशत से घटाकर वि.व. 12 में 10 प्रतिशत कर दिया गया है। वि.व. 12 से वि.व. 16 के बीच परियोजना आयात योजना के तहत ठेकाओं के पंजीकरण में गिरावट आई है। उसी समय सरकार द्वारा समान योजना शुरू करने के कारण परियोजना आयात से लाभ का एक व्यापक अध्ययन प्रासंगिक था। इन सभी के लिए इस निष्पादन लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता हुई।

2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना का मूल्यांकन करना था कि क्या:

[4]सीबीईसी के परिपत्र सं.22 / 2011 दिनांक 4 मई 2011

(i) परियोजना आयात के पंजीकरण, आयात, निगरानी और निर्धारण के संबंध में पर्याप्त सांविधिक प्रक्रियायें हैं जिससे परियोजना आयात के लिए सरलीकृत प्रक्रियाओं का सहारा लिया गया हो;

(ii) परियोजना आयात के लिए प्रासंगिक सांविधिक प्रावधानों के तहत प्रक्रियागत आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया;

(iii) योजना से शीघ्र एवं सुगम व्यापार सुविधा हेतु तंत्र प्रदान किया गया; और

(iv) सरकार के सर्वोत्तम हितों की सुरक्षा के लिए निगरानी, समंवय और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियायें पर्याप्त एवं प्रभावी थी।

2.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, नमूना, कार्यप्रणाली और मापदण्ड

कार्यक्षेत्र: निष्पादन लेखापरीक्षा में पिछले पांच वित्तीय वर्ष अर्थात् वि.व. 12 से वि.व. 16 शामिल हैं। कुल 30 आयुक्तालयों[5] में से 24 आयुक्तालयों[6] में लेखापरीक्षा की गई थी। जहां परियोजना आयात ठेके पंजीकृत थे।

नमूना: चयनित आयुक्तालयों में वि.व. 12 से वि.व. 16 के दौरान पंजीकृत, निर्धारित एवं लंबित ठेकाओं में से लेखापरीक्षा हेतु ठेकाओं का नमूना लिया गया था जिसका विवरण इस प्रकार है:

तालिका सं. 2: लेखा परीक्षा के लिए नमूना

श्रेणी	परियोजना आयात ठेके की श्रेणी	ठेकों की संख्या	लेखापरीक्षा हेतु चयनित ठेके	लेखापरीक्षित ठेके (लेखापरीक्षित ठेकों की %)
1.	वि.व. 12 से वि.व. 16 के दौरान निर्धारण ठेके	678	353	270 (39.82%)
2.	वि.व. 12 से वि.व. 16 के दौरान निर्धारण हेतु लंबित चालू परियोजना ठेके	2199	505	417 (18.96%)
3.	वि.व. 12 से वि.व. 16 के दौरान पंजीकृत लेकिन आयात अभी भी किए जाने वाले ठेके	27	27	23 (85.19%)
	कुल	**2904**	**885**	**714 (24.58%)**

[5] सीबीईसी द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार ऐसे 29 आयुक्तालय थे जिसमें परियोजना ठेका पंजीकृत थे। तुगलकाबाद (टीकेडी)/आईसीडी आयुक्तालय, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी, वह सीबीईसी द्वारा प्रदान की गई सूचना में शामिल नहीं था। अतः कुल 30 आयुक्तालय माना गया।

[6] अहमदाबाद, इलाहाबाद, बैंग्लोर (सिटी) आईसीडी, बैंग्लुरू (एसीसी), भुवनेश्वर, चेन्नई समुद्र सीमाशुल्क, कोचीन, हैदराबाद, जामनगर, कांदला, कानपुर, कोलकाता, लुधियाना, मैंग्लोर (एनसीएच), मुंबई (जेएनसीएच), मुंबई (एनसीएच), मुंद्रा, नई दिल्ली (एसीसी), नोएडा, पटपड़गंज आईसीडी एवं अन्य आईसीडी-दिल्ली, तुगलकाबाद आईसीडी/टीकेडी, तूतीकोरीन, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम।

लेखापरीक्षा नमूने में विभिन्न सीमाशुल्क पत्तनों में पंजीकृत विद्युत परियोजनाओं, जल आपूर्ति परियोजनाओं, औद्योगिक संयंत्र परियोजनाओं, मेट्रो रेल परियोजनाओं आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के ठेके शामिल थे।

पांच आयुक्तालयों ने लेखापरीक्षा हेतु चयनित 417 में से 171 ठेका फाइलों (41 प्रतिशत) को नहीं दिया जिसका विवरण इस प्रकार है:

तालिका सं.3: लेखापरीक्षा को प्रदान न की गई फाइलें

आयुक्तालय	चयनित ठेके	न प्रदान की गई फाइल	प्रतिशतता
आईसीडी/टीकेडी	34	34	100
एसीसी नई दिल्ली	63	22	35
विशाखापट्टनम	42	5	12
एनसीएच मुंबई	150	59	39
जेएनसीएच मुंबई	128	51	40
कुल	**417**	**171**	**41**

लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न की गई फाइलों की सूची **परिशिष्ट** 3 में दी गई है।

राजस्व विभाग ने कहा (दिसम्बर 2016) कि आईसीडी /टीकेडी आयुक्तालय में फ़ाइलें आग लगने के कारण नष्ट हो गई थी, जबकि एसीसी में, नई दिल्ली और विजाग आयुक्तालय द्वारा रिकॉर्ड का अब पता लगाया गया।

कार्यप्रणाली: यह लेखापरीक्षा भारत के सीएजी द्वारा निर्धारित निष्पादन लेखापरीक्षा मानकों और दिशा-निर्देशों का प्रयोग करते हुए की गई है। लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में लेखापरीक्षा द्वारा चयनित नमूना मामलों की फाइलों की नमूना जांच, आयुक्तालय के आंतरिक अभिलेखों रजिस्टरों और रिपोर्टों की समीक्षा तथा आयुक्त, डीजीपीएम, डीजी (प्रणाली) और सीबीईसी की वेबसाइट से प्राप्त डाटा का विश्लेषण शामिल है। वाणिज्य एवं उद्योग के पीएचडी चैम्बर (पीएचडीसीसीआई)[7] द्वारा किए गए सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त रिपोर्टों के माध्यम से तथा भारतीय निर्यात संगठन (एफआईईओ)[8] संघ से भी अतिरिक्त सूचना प्राप्त की गई थी।

---

[7]सर्वेक्षण दिनांक 15.07.2016

[8]प्रतिवेदन दिनांक 13.07.2016

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्यों के बारे में चर्चा करने के लिए दिनांक 21 अप्रैल 2016 को राजस्व विभाग (डीओआर) एवं महानिदेशक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी) के कार्मिकों के साथ एक एंट्री बैठक की गई थी। सीबीईसी/ डीओआर के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 19 दिसम्बर 2016 को एक्ज़िट बैठक की गई। एक्ज़िट बैठक के दौरान सीबीईसी ने इस रिपोर्ट में की गई नौ सिफारिशों में से आठ सिफारिशों को मान लिया।

मापदण्ड: निष्कर्षों को आयाम प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा ने मापदण्ड के रूप में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, परियोजना आयात विनियम, 1986 के प्रासंगिक प्रावधानों, सीबीईसी की कानून नियमावली और सीबीईसी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों एवं अधिसूचनाओं का प्रयोग किया।

लेखापरीक्षा के अंतिम रूप देने के बाद 26 दिसम्बर 2016 को डीओआर के उत्तर के साथ आयुक्तालयों की तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त हुई। मुख्य निष्कर्षों और सिफारिशों पर डीओआर की प्रतिक्रिया हालांकि रिपोर्ट में शामिल की है, साथ में लेखापरीक्षा की आगे की टिप्पणीयां जहां जरूरी है दी गई। डीओआर के द्वारा आयुक्तालयोंवार की दी गई तथ्यात्मक सूचना इसी क्रम में सत्यापित की गई।

अध्याय 3. नियमों तथा प्रावधानों की पर्याप्तता

लेखापरीक्षा ने ठेकों के पंजीकरण, आयातों के निर्धारण योजना के तहत् आयात की मॉनिटरिंग तथा ठेके को अंतिम रूप देने के संदर्भ में परियोजना आयात विनियमों के मौजूदा सांविधिक प्रावधानों और सीबीईसी परिपत्रों तथा अधिसूचनाओं की जांच की। लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले देखे जिन्होने दर्शाया कि कुछ मौजूदा प्रावधान अस्पष्ट थे जिसके कारण परियोजना आयातों पर ऐसे विनियमों को लागू करते समय विभिन्न व्याख्याएं दी गई। लेखापरीक्षा ने कुछ ऐसे प्रावधान भी देखें, जिनमे मौजूदा कानूनों की कमी थी जो अनिश्चित काल तक टिके रहे, जिससे ठेकों की स्थिति में अस्पष्टता आई। कुछ निदर्शी मामलों को नीचे दिया गया है:

3.1 वैधानिक प्रावधानों के स्पष्टीकरण में अनियमितता

बोर्ड के परिपत्र दिनांक 8 अगस्त 1987 में अनुबंध है कि एक बार ठेका परियोजना आयातों के तहत् पंजीकृत हो जाता है तो ठेके द्वारा कवर होने वाले आयात सीटीएच 9801 के अंतर्गत वर्गीकरण तथा निर्धारण हेतु दायी हो जाएंगे तथा इन्हे किसी अन्य सीटीएच के तहत् मेरिट पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तथापि, मैसर्स एबरोल वाचेज प्रा. लि. बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर (1997 (92) ईएलटी 311 (एससी), कमिश्नर बनाम मैसर्स जी क्लेरिज एण्ड क. लि. (1999 (114) ईएलटी ए231) [एससी]) के मामले में शीर्ष न्यायालय ने कहा कि निर्धारिती किसी ऐसी छूट अधिसूचना का लाभ लेने के पात्र है जो उनके लिए अधिक लाभदायक हो।

राजस्व विभाग ने कहा (दिसम्बर 2016) कि आयातक को लाभकारी अधिसूचना चुनने के लिए विकल्प है । हांलाकि, बोर्ड परिपत्र दिनांक 8 अगस्त 1987 को वापिस लेने पर विचार कर रहे हैं ।

3.1.1 लेखापरीक्षा ने देखा कि सिटी (आईसीडी) बैंगलोर कमिश्नरी ने एक आयातक[9] ने मैसर्स बैंगलोर मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. (बीएमआरसीएल) को माल की आपूर्ति के लिए ₹ 405.20 करोड़ के सीआईएफ मूल्य हेतु जुलाई 2010 में परियोजना आयात ठेका सं. 3/2010 पंजीकृत किया था। आयातक को रियायती दर पर विभिन्न प्रकार के केबल आयात करने का अधिकार दिया

[9] मैसर्स एबीबी लि.

गया था। यद्यपि, आयातक ने माल को परियोजना आयातों के तहत् पंजीकृत किया जा फिर भी मार्च 2013 और अप्रैल 2014 के बीच ₹ 70.20 करोड़ के निर्धारणीय मूल्य की 38,12,847 मीटर केबल का आयात सीटीएच 85446010 के अंतर्गत वर्गीकृत करने वाली मुक्त व्यापार करार अधिसूचना[10] के तहत कम शुल्क दर पर थाइलैंड[11] से किया गया था। चूंकि यह माल पंजीकृत ठेके का भाग था, अतः सीटीएच 85446010 के अंतर्गत इसका निर्धारण 8 अगस्त 1987 के बोर्ड के परिपत्र के अनुसार नहीं था। आयातक ने ₹ 2.06 करोड़ की शुल्क रियायत प्राप्त की थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

3.1.2 लेखापरीक्षा ने पाया कि कोचीन सीमा शुल्क कमिश्नरी के अंतर्गत दो आयातकों[12] को 9801 के अतिरिक्त विभिन्न सीटीएच के अंतर्गत माल का वर्गीकरण करने के पश्चात क्रमश: दिनांक 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना की क्रम सं. 642 तथा दिनांक 31 दिसम्बर 2009 की अधिसूचना की क्रम सं. 580 के अंतर्गत मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) की कम दर पर आयात करने की अनुमति दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 76.75 लाख के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ था। इसके अलावा, इनमें से एक आयातक के मामले में ₹ 3.60 करोड़ मूल्य के आयात के भाग का अधिसूचना दिनांक 17 मार्च, 2012 (क्रम सं. 334ए) के अंतर्गत बीसीडी की उच्चतर दर पर निर्धारण किया गया था, हालांकि यह बीसीडी की रियायती दर (परियोजना आयात दर) का पात्र था, इसके परिणामस्वरूप ₹ 40.99 लाख का अधिक शुल्क लिया गया।

इस बारे में बताए जाने पर (अप्रैल तथा जून 2016), कोचीन कमिश्नरी ने बताया (मई तथा जून 2016) कि लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित परिपत्र उचित प्रतीत होता है किंतु शीर्ष न्यायालय के निर्णय (केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, बडोदा बनाम इंडिया पेट्रो केमिकल्स (1997 **{92}** इएलटी 13 (एससी) दिनांक 11 दिसम्बर 1996) के मद्देनजर यह परिपत्र इन मामलों में लागू नहीं होता।

---

[10] अधिसूचना 46/2011, दिनांक 1 जून 2011-क्रम सं. I-1455

[11] आपूर्तिकर्ता मैसर्स फेल्प्स डोज इन, थाइलैंड

[12] मैसर्स प्रोदयर एयर प्रोडक्ट्स इंडिया प्रा. लि. तथा मैसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि-कोची रिफाइनरी-आईआरईपी

3.1.3 कानपुर कमिश्नरी के अंतर्गत आने वाले आईसीडी, जुही रेलवे यार्ड (जेआरवाई) कानपुर में लेखपरीक्षा ने पाया (जून 2016) कि ₹ 9.47 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के 7500 मिश्रित लॉग रॉड इन्सुलेटरों के आयात हेतु मार्च 2012 में एक ठेका[13] पंजीकृत किया गया था। आयातक ने अधिसूचना दिनांक 6 जुलाई, 1999 जो यूएन परियोजना हेतु अपेक्षित माल के लिए शुल्क रियायतों की अनुमति देती है, के तहत् इनमें से 3750 इन्सुलेटरों का आयात किया था जिनका निर्धारणीय मूल्य ₹ 5.04 करोड़ है। इस मामले में यद्यपि माल को सीटीएच 9801 के तहत् वर्गीकृत किया गया था, फिर भी आयातक ने अधिसूचना दिनांक 6 जुलाई, 1999 के अंतर्गत सीमा शुल्क की शून्य दर के लाभ प्राप्त किए थे। आयातक ने ₹ 1.15 करोड़ की शुल्क रियायत प्राप्त की थी।

उपरोक्त टिप्पणीयां आयुक्तालयोंवार प्रतिक्रिंया डीओआर के (दिसम्बर 2016) उत्तर अनुसार प्रीक्षाधीन है।

लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए उपरोक्त मामले सांविधिक प्रावधानों के अनुचित प्रयोग को दर्शाते है जिसके परिणामस्वरूप शुल्क का या तो कम मूल्य निर्धारण या अधिक मूल्य निर्धारण किया गया। अधिक महत्वपूर्ण रूप से योजना का उद्देश्य, जोकि निर्धारण की एकरूप दर हेतु अनुमति की प्रक्रिया को सरल बनाना है, परियोजना आयात योजना के अंतर्गत आयातों के निर्धारण हेतु स्पष्ट रूप से विरोधाभासी प्रावधानों की साथ ही मौजूदगी के कारण नष्ट हो जाता है।

सिफारिश: लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि मंत्रालय, इस मामले में मौजूदा वैधानिक प्रावधानों और शीर्ष न्यायालय के निर्णय की समीक्षा के बाद उचित निर्देश जारी करके परियोजना आयात के अंतर्गत आंकलन हेतु प्रावधानों में अनियमितता हटाये।

बोर्ड ने एक्जिट बैठक (19 दिसम्बर 2016) तथा राजस्व विभाग के अपने उत्तर (26 दिसंबर 2016) में बताया कि वह परिपत्र 8 अगस्त 1987 को वापस लेने पर विचार कर रहे है।

[13] मैसर्स पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.

3.2 परियोजना को समयबद्ध रूप से पूर्ण हेतु प्रावधानों का अभाव

चूंकि परियोजना आयात योजना मुख्य रूप से पूंजी प्रधान क्षेत्रों के लिए बनाई गई है और इसका उद्देश्य आयातों को सुविधाजनक बनाकर अपनी विनिर्माण क्षमता के प्रतिष्ठापन या पर्याप्त विस्तारण को प्रोत्साहन देना है, यह बताती है कि योजना के अंतर्गत रियायतें प्राप्त करने वाले आयातक योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु निर्दिष्ट समय में परियोजना पूरी करेंगें। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि पीआईआर, 1986 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो परियोजना संविदा में आयातों की समयबद्ध पूर्णता के खण्ड के सम्मिलन का समर्थन करता है। आयातों के समय पर समापन को सुनिश्चित करने हेतु सांविधिक प्रावधानों की कमी देश के महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षेत्रों की विनिर्माण क्षमता में वृद्धि करने के लिए बनाई गई योजना के उद्देश्य को विफल करती है। यह परियोजना स्थल से संयंत्र तथा उपस्कर को अवैध रूप से हटाने के अवसरों का सृजन भी करता है। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि आयातों, विशेष रूप से कलपुर्जे, की परियोजना शुरू होने तथा परियोजना शुरू होने के बाद माल के आयात हेतु नए ठेकों के पंजीकरण के पांच से छह वर्षों के बाद अनुमति दी गई थी। कुछ निदर्शी मामलें नीचे दिए गए है:

3.2.1 एक आयातक[14] ने एक औद्योगिक संयंत्र के आरंभिक प्रतिष्ठापन हेतु अपेक्षित ₹ 28.82 करोड़ के सीआईएफ की सैकेंड हैण्ड मशीनरी तथा उपस्कर के आयात के लिए कोलकाता कमिश्नरी में 20 मार्च, 1997 को ठेका पंजीकृत करवाया था। आयातक के उत्पाद शुल्क अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि समस्त ठेकागत मशीनरी का आयात दिसम्बर 1998 में पूरा हो गया था। तथापि, लेखापरीक्षा ने सीमा शुल्क अभिलेखों की संवीक्षा में पाया कि आयातक ने ठेका को अंतिम रूप देने के लिए सीमा शुल्क प्राधिकरण को दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे। अतः सीमा शुल्क विभाग आयातों के समापन के बारे में अनभिज्ञ रहा तथा ठेका को अंतिम रूप देने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी। दिसम्बर 2012 में कोलकाता-**IV** केंद्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरी ने कोलकाता पोर्ट कमिश्नरी को सूचना दी कि आयातक ने अपनी मशीनरी का निपटान करने का प्रयास किया था जोकि पीआईआर, 1986 के तहत् आयात

[14] मैसर्स सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपर लि.

की गई थी। कोलकाता पोर्ट कमिश्नरी ने सूचना प्राप्त होने पर मशीनरी को जब्त कर लिया तथा अनुवर्ती जांच के आधार पर पीआईआर, 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया। अधिनिर्णय आदेश, दिनांक 20 मार्च 2014 में कमिश्नरी ने परियोजना आयात रियायतों को अननुमत कर दिया था और ₹ 92.84 लाख के अंतरीय शुल्क की पुष्टि की तथा पीआईआर के उल्लंघन के लिए ₹ 1.33 करोड़ की शास्ति लगाई।

क्या केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त नहीं हुई थी, आयातक द्वारा पीआईआर, 1986 के उपरोक्त उल्लंघन का अनिश्चित अवधि तक सीमा शुल्क द्वारा पता नहीं लगाया जा सका, चूंकि सीमा शुल्क विभाग ने आवश्यक प्रावधानों के अभाव में आयातों के समय पर समापन को मॉनिटर नहीं किया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)

3.2.2 एनसीएच, मुम्बई कमिश्नरी में एक आयातक[15] ने सीमेंट संयंत्र[16] के प्रतिष्ठापन हेतु ₹ 15 करोड़ प्रत्येक के सीआईएफ मूल्य के दो ठेके सितम्बर 2011 में पंजीकृत किए थे। आयातक की कमिश्नरी में अनुरक्षित परियोजना फाइल की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि यद्यपि आवश्यक मशीनरी का आयात कर लिया गया था, फिर भी इसे परियोजना स्थल पर प्रतिष्ठापित नहीं किया गया था क्योंकि आयातक ने भूमि अधिग्रहण पूरा नहीं किया था। इसके बजाय, आयातक ने विभाग को सूचना दी की मशीनरी को विभिन्न स्थानों पर स्टोर कर दिया गया था। जून 2016 तक आयातक द्वारा कोई प्रतिष्ठापन प्रमाणपत्र/समाधान विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

इसी प्रकार, आयातक ने दूसरी परियोजना के लिए फरवरी 2013 के पत्र के माध्यम से संयंत्र के स्थान को बोकारो से नागपुर में बदलने के लिए ठेका में संशोधन प्रस्तुत किया था जैसाकि प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा समर्थित था। कमिश्नरी द्वारा अभिलिखित दस्तावेजों से लेखापरीक्षा ने देखा कि आयात अगस्त 2014 में पूरे हो चुके थे किंतु मशीनरी के प्रतिष्ठापन/संयंत्र को शुरू

---

[15] मैसर्स अल्ट्राटैक सीमेंट लि.

[16] पहला पंचगढ़ा, तहसील चंडीटला, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल (डंकुनी सीमेंट वर्क्स) तथा दूसरा संयंत्र बोकारो, झारखण्ड में

करने से संबंधित कोई अभिलेख सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित परियोजना फाइल में उपलब्ध नहीं थे।

इस प्रकार, इन दो ठेकों में, जिनमे ₹ 90 लाख का छोड़ा गया शुल्क शामिल है, कमिश्नरी में पीआईआर में सहायक विनियम के अभाव में सीमा शुल्क प्राधिकरण के साथ ठेकों के पंजीकरण की तिथि से तीन से चार वर्षों के बीत जाने के बाद भी आयातित मशीनरी के समय पर प्रतिष्ठापन को लागू करने के लिए कोई साधन नहीं थे।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

3.2.3 चेन्न्ई सी कस्टम्स कमिश्नरी के अंतर्गत मार्च 2011 से जुलाई 2015 की अवधि के दौरान पंजीकृत ₹ 13,089 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के 88 परियोजना ठेकों में तथा कांडला कमिश्नरी के अंतर्गत मार्च 2008 तथा अगस्त 2013 के बीच पंजीकृत ₹ 5,031.66 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के 24 ठेकों[17] में आयातक ने कोई आयात नहीं किए थे जबकि पर्याप्त समय बीत चुका था।

कांडला कमिश्नरी ने तथ्य पर सहमति देते हुए बताया (अगस्त 2016) कि पीआईआर में आयातों की पूर्णता के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है तथा समय सीमा का निर्धारण नीति मामला है।

3.2.4 कोलकाता कमिश्नरी में जून 2011 तथा अगस्त 2014 के बीच सात ठेकें (सीआईएफ मूल्य ₹ 1,188 करोड़) पंजीकृत किए गए थे। संबंधित आयातकों की वैबसाइटों के साथ-साथ वार्षिक रिपोर्टों (2014-15) से इन परियोजनाओं की स्थिति के सत्यापन पर लेखापरीक्षा ने पाया कि यह परियोजनाएं या तो पूरी हो गई थी या संयंत्रों पर परीक्षण चल रहा था। तथापि, आयातकों ने सीमाशुल्क प्राधिकरण को आयात ब्यौरें अंतिम रूप देने हेतु प्रस्तुत नहीं किए थे।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

[17] मैसर्स पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. तथा 23 अन्य

3.2.5 जेएनसीएच, मुम्बई कमिश्नरी में एक आयातक[18] ने तिरोदा, महाराष्ट्र में बड़ी विद्युत परियोजना (5x660 मे. वा.) के प्रतिष्ठापन के लिए माल के आयात हेतु ठेका पंजीकृत किया था। आयातक ने आयात किए जाने वाले पूंजीगत माल की सूची सहित (अगस्त तथा दिसम्बर 2010) के बीच पांच यूनिटों के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन किया था। उपरोक्त पांच यूनिटों के लिए अपेक्षित सभी मदों का कुल ठेका मूल्य ₹ 8,024.52 करोड़ था जिसमें ₹ 2,074.34 करोड़ की शुल्क रियायत शामिल है।

लेखापरीक्षा ने आयातक द्वारा विदेशी आपूर्तिकर्ता[19] को दिए गए खरीद आदेश की शर्तों में पाया (जुलाई 2016) कि मशीनरी का आयात मार्च2011 तक पूरा किया जाना था। तथापि, परियोजना की यूनिट 1 को शुरू करने के लिए मशीनरी का पिछला आयात 29 मई 2013 को किया गया था। आगे यह देखा गया कि आयातक ने विभिन्न पूंजीगत माल, जिन्हें परियोजना के लिए आवश्यक बताया गया था, के आयात हेतु ₹ 6,611.79 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के 86 अतिरिक्त ठेकों के पंजीकरण के लिए दिसम्बर 2010 तथा जुलाई 2015 के बीच आवेदन किया था। आयातक छह वर्षों से अधिक समय से परियोजना आयात के अंतर्गत विभिन्न मदों का आयात कर रहा था तथा परियोजना फाइल में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार परियोजना आयात जुलाई 2016 तक भी जारी थे। हालांकि, आयातक की वैबसाइट के अनुसार सभी यूनिटें 11 अक्तूबर 2011 को शुरू हो गई थी।

इसके अलावा, उपरोक्त संदर्भित मामले में अतिरिक्त ठेकों के प्रति अधिकतर माल स्पेयर था, जिसमें ₹ 34.16 करोड़ का सीआईएफ मूल्य शामिल था तथा ₹ 8.83 करोड़ का शुल्क छोड़ा गया था, उसको संयंत्र को शुरू करने बाद 126 परेषणों के माध्यम से आयात किया गया था।

राजस्व विभाग (दिसम्बर 2016) के उत्तर अनुसार ऊपरोक्त टिप्पणियां परीक्षाधीन है।

सिफारिश: ***लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि मंत्रालय पीआईआर 1986 को संशोधित करने पर विचार करें ताकि परियोजना आयात योजना के अंतर्गत***

---

[18] मैसर्स अडानी पावर महाराष्ट्र लि.

[19] मैसर्स सिचुआन कमीश्नरी एण्ड इक्यूपमेंट इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कम्पनी लि.

पंजीकृत ठेके में शामिल किये जाने वाले आयात को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने की शर्त की व्यवस्था की जा सके।

बोर्ड ने एक्जिट बैठक (19 दिसम्बर 2016) तथा राजस्व विभाग ने उनके उत्तर (26 दिसंबर 2016) में बताया कि वे अन्य मंत्रालयों के परामर्श से परियोजना आयातों के अंतर्गत आयातों को पूरा करने के लिए समयसीमा पर विचार कर रहे थे।

आयुक्तालयवार प्रतिक्रिया डीओआर के (दिसम्बर 2016) उत्तर अनुसार परीक्षाधीन है।

3.3 विविध प्रायोजक प्राधिकारी

पीआईआर के विनियम 5 के अनुसार सीटीएच 9801 के अंतर्गत निर्धारण का दावा करने वाले एक आयातक को निर्धारित दस्तावेजों सहित एक आवेदन करना होगा जिसमें संबंधित प्रायोजक प्राधिकरण से सिफारिशी पत्र शामिल होगा जैसाकि विशेष परियोजना हेतु पीआईआर के विनियम 3(बी) में संदर्भित है। चूंकि प्रायोजक प्राधिकरण को परियोजना हेतु आवश्यक पूंजीगत माल के बारे में तकनीकी रूप से जानकारी है तथा वह रियायती दरों पर आयात किए जाने वाले माल के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी करता है, तो विनियमों में यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि किस प्रशासनिक विभाग को समस्त परियोजना हेतु प्रायोजक प्राधिकरण माना जाएगा। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि विनियमों में विशेष रूप से मिश्रित परियोजनाओं जिसमें कैप्टिव पावर परियोजनाएं (सीपीपी) शामिल है तथा अन्य मिश्रित परियोजनाओं के मामले में उचित प्रायोजक प्राधिकरण को परिभाषित करने में स्पष्टता की कमी थी। इसके परिणामस्वरूप एक ही परियोजना में विविध प्रायोजक प्राधिकरण शामिल हो गए, जिससे न केवल परियोजना के प्रयोजन के लिए उत्तरदायी मुख्य प्रशासनिक विभाग की भूमिका कम हुई बल्कि इसके परिणामस्वरूप प्रलेखन की मात्रा में वृद्धि हुई तथा एक परियोजना के अंतर्गत विभिन्न प्रायोजक प्राधिकरणों के माध्यम से पंजीकृत ठेकों की मॉनिटरिंग में कठिनाईयों में भी वृद्धि हुई।

कुछ निदर्शी मामले निम्नानुसार है:

3.3.1 कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के लिए प्रायोजक प्राधिकरण

पीआईआर 1986 के अंतर्गत विद्युत संयंत्रों के लिए प्रायोजक अधिकारी राज्य सरकार का सचिव होता है जो विद्युत या बिजली के विषय को डील करता है। तथापि, विनियमों में कैप्टिव विद्युत संयंत्र के लिए उचित प्रायोजक अधिकारी के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से संबंधित परियोजना आयातों की विभिन्न मंत्रालयों, जैसे भारी उद्योग मंत्रालय या पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, द्वारा सिफारिश की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए मामलों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

तालिका सं. 4: कैप्टिव संयंत्रों हेतु प्रायोजक प्राधिकरण

₹ लाख में

कमिश्नरी	आयातक	ठेका संख्या	सिफारिशी पत्र प्राप्त किया गया	सीआईएफ मूल्य	छोड़ा गया शुल्क
चेन्नई	भेल	S/37/20/2011 दिनांक 27.05.11	पीएनजी मंत्रालय/भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	3292.47	98.23
चेन्नई	भेल	S/37/31/2012 दिनांक 09.10.12	पीएनजी मंत्रालय	1938.66	58.93
एनसीएच मुम्बई	श्री सीमेंट लि.	S/5-01/2013-14/cc दिनांक 29.03.2013	एमओसीएल	7947.00	152.00
एनसीएच मुम्बई	अल्ट्राटेक सीमेंट लि.	S/5-25/2011 दिनांक 24.04.12	एमओसीएल	1350.00	29.28
एनसीएच मुम्बई	भेल	S/5-33/2010 (दिसम्बर 2010)	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, बाद में पीएनजी मंत्रालय	33267.00	

उपरोक्त टिप्पणियां, आयुक्तालयवार प्रतिक्रिया डीओआर के (दिसम्बर 2016) उत्तर अनुसार परीक्षाधीन है।

3.3.2 मिश्रित परियोजनाओं के लिए प्रायोजक प्राधिकरण

सासन पावर लिमिटेड (एसपीएल) ने कैप्टिव कोयला खदानों के साथ अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना के लिए माइनिंग उपस्कर की आपूर्ति हेतु रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर (आयातक) के साथ करार किया था। कैप्टिव कोयला खदानों से संबंधित मशीनरी के आयात हेतु एनसीएच, मुम्बई कमिश्नरी में ठेका पंजीकृत

किया गया था (जून 2011)। सचिव, ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने सिफारिशी पत्र दिनांक 21 जून 2011 जारी किया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आंरभिक पंजीकरण से अप्रैल 2012 तक अगले अतिरिक्त पंजीकरणों तक, कैप्टिव कोयला खदानों को विद्युत परियोजना का अंग मानते हुए आयातित माल के लिए रियायती शुल्क का दावा किया गया था तथा विद्युत परियोजना चूंकि खदान परियोजना के लिए टैरिफ दर में कोई अंतर नहीं था। तथापि, मार्च 2012 से खनन परियोजना के लिए बीसीडी से छूट प्राप्त करने के बाद, आयातक ने 31 जुलाई 2012 को खनन परियोजना के रूप में परियोजना में संशोधन तथा पुन: वर्गीकरण की मांग की थी।

कमिश्नरी ने इस मामले को बोर्ड तथा कोयला मंत्रालय को भेज दिया था (दिसम्बर 2012) जिस पर कोयला मंत्रालय ने स्पष्ट किया (3 जून 2013) कि राज्य सरकारों को कैप्टिव कोयला खदानों के पट्टे, विकास, खनन की मॉनिटरिंग की शक्ति दी गई है, अत: वह सिफारिशी पत्र जारी करने के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण है। इस स्पष्टीकरण के आधार पर, कमिश्नरी ने खनन परियोजना के रूप में परियोजना के पुन: वर्गीकरण को स्वीकार कर लिया था।

पीआईआर, 1986 में उपरोक्त मिश्रित परियोजनाओं के लिए उचित प्रायोजक की कमी तथा परियोजना के बीच में पुन: वर्गीकरण के लिए प्रावधान के कारण आयातक को उच्चतर लाभ प्राप्त करने के लिए परियोजना के वर्गीकरण को बदलने की अनुमति दी गई थी। आयातक ने ₹ 2,245.80 करोड़ के खनन उपस्कर आयातित किए (जून 2014 तक), तथा ₹ 176.03 करोड़ की शुल्क रियायत प्राप्त की।

अन्य मामले में, सोड़ा एश का विनिर्माण करने में लगे एक आयातक[20] के ठेके को मौजूदा जल उपचार संयंत्र की क्षमता में पर्याप्त विस्तारण के लिए ₹ 21.30 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के लिए जून 2006 में एनसीएच, मुम्बई कमिश्नरी में पंजीकृत किया गया था। आयातक द्वारा जल उपचार संयत्र का दावा स्वतंत्र संयंत्र के रूप में किया गया था जबकि यह इसके औद्योगिक संयंत्र में उपयोग हेतु बनाया गया था तथा जल आपूर्ति परियोजना हेतु उपलब्ध पूर्ण शुल्क छूट प्राप्त की थी। इस मामले में, सिफारिशी पत्र संबंधित जिला

[20] मैसर्स निरमा लि.

कलेक्टर ने जारी किया था जोकि जल आपूर्ति परियोजना के लिए प्रायोजक प्राधिकरण है।

चेन्नई सी कमिश्नरी के अंतर्गत तीन मामलों में, गैर-मेगा विद्युत परियोजनाओं से संबंधित जल आपूर्ति परियोजनाओं को पृथक परियोजना माना गया था, अत: जल आपूर्ति परियोजनाओं को अलग से अधिक शुल्क रियायते दी गई थी। कांडला कमिश्नरी के अंतर्गत दो मामले देखे गए थे जहां सिफारिशी पत्र उन प्राधिकरणों ने जारी किए थे जो पीआईआर, 1986 के अंतर्गत नामित नहीं है। इन मामलों के ब्यौरें निम्नानुसार है:-

तालिका सं. 5: मिश्रित परियोजनाओं के लिए प्रायोजक प्राधिकरण

(₹ लाख में)

आयातक	ठेका संख्या	सीआईएफ मूल्य	छोड़ा गया शुल्क	टिप्पणियां
भेल-चेन्नई सी कमिश्नरी के अंतर्गत	S/37/9/2011	25185.00	529.27	गैर-मेगा विद्युत परियोजनाओं से संबंधित जल आपूर्ति परियोजनाओं को पृथक परियोजना माना गया था।
चेन्नई सी कमिश्नरी के अंतर्गत ड्रिप्लेक्स वाटर इंजीनियरिंग लि.	S/37/33/2008	20.70	3.37	
चेन्नई सी कमिश्नरी के अंतर्गत दोशियन विओला वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट	S/37/42/2011	900.00	176.25	
कांडला कमिश्नरी के अंतर्गत सुभाष प्रोजेक्ट्स एण्ड मार्किटिंग लि.	15/2008, 17/2008 तथा 18/2008	471.91	112.76	सिफारिशी पत्र जिला के जिला कलेक्टर से प्रमाणपत्र के बजाय मुख्य कार्यकारी इंजीनियर द्वारा जारी तथा प्रधान सचिव पीएचईडी, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया था।
कांडला कमिश्नरी के अंतर्गत जिंदल सा लि.	5/2009	687.58	19.93	सिफारिशी पत्र पीएचपी मंत्रालय की बजाय एमओसीएल द्वारा जारी किया गया था। सीमा शुल्क प्राधिकरण, कांडला ने भी इस पर आपत्ति की थी (अक्तूबर 2012) किंतु कोई कार्रवाई नहीं की तथा ठेका को अंतिम रूप दे दिया गया।

अत: यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि परियोजना हेतु उचित प्रयोजक प्राधिकरण की परिभाषा में स्पष्टता के अभाव में, आयातकों ने प्रत्येक ठेका को शुल्क रियायतें प्राप्त करने के प्रयास में परियोजना को स्वतंत्र परियोजना

या मुख्य परियोजना के तहत् उप-परियोजना के रूप में माना था जोकि अधिक लाभदायक था। परियोजना के दौरान बीच में प्रायोजक प्राधिकरण को बदलने पर विनियम कोई रोक नहीं लगाते जिसके परिणामस्वरूप आयातक अधिकतम रियायते प्राप्त करने के लिए परियोजना आयात योजना के अंतर्गत परियोजना के वर्गीकरण को बदल लेते है।

तेल रिफानरी तथा कोयला खदानों जैसी मेगा परियोजनाओं के मामले में विविध प्रायोजक प्राधिकरण होने का अभिप्राय है कि प्रलेखन की अधिक आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा लेखापरीक्षा को यह स्पष्ट नहीं था कि परियोजनाओं के समापन की मॉनिटरिंग के लिए प्रायोजक प्राधिकरण के रूप में कौन सा प्रशासनिक मंत्रालय उत्तरदायी होगा।

राजस्व विभाग ने सुभाष परियोजनाओं और विपणन लिमिटेड के संबंध में बताया है (दिसम्बर 2016) कि पेयजल आपूर्ति परियोजना राजस्थान सरकार थी। चूंकि यह सरकारी परियोजना राजस्थान के एक से अधिक जिलों में स्थित है तथा प्राधिकरण चूंकि प्रधान सचिव जो जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेड से वरिष्ठ है प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित करते हैं और अपने अधीनस्थ की कानूनी तौर पर शक्तियां प्रयुक्त कर सकते हैं।

सिफारिश: लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि अनुचित लाभ की गुंजाइश से बचने और परियोजना की बेहतर मॉनिटरिंग के लिये संयुक्त/एकीकृत परियोजना हेतु मुख्य प्रायोजक प्राधिकरण बनाने के लिये पीआईआर 1986 में प्रयोजक प्राधिकरण के संबंध में प्रावधानों को स्पष्ट किया जाए।

एग्जिट बैठक के दौरान (दिसम्बर 2016) बोर्ड और राजस्व विभाग की प्रतिक्रिया (दिसम्बर 2016) में बताया गया कि लेखा परीक्षा द्वारा की गई सिफारिश की जांच होनी है और उपयुक्त संशोधन / स्पष्टीकरण प्रशासनिक मंत्रालय के परामर्श से जारी किया जाएगा।

3.4 मशीनरी स्थानांतरित करने हेतु पीआईआर में प्रावधान का अभाव

पीआईआर के विनियम 5(3) के अनुसार, आवेदक योजना के तहत लाभ की माँग करते आवेदन में प्लांट या परियोजना का स्थान विनिर्दिष्ट करेगा। आगे, परियोजना आयात अनुदान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण द्वारा चार्टर्ड इंजीनियर (सीई)/प्लाँट साइट सत्यापन (पीएसवी) द्वारा मशीनरी के संस्थापन

के प्रमाणीकरण के अधीन उपलब्ध हैं। मशीनरी के विनिर्दिष्ट स्थान से किसी अनय स्थान पर स्थानांतरण के लिए पीआईआर में कोई प्रावधान नहीं था।

लेखापरीक्षा ने चेन्नई समुद्री सीमा शुल्क कमिश्नरी, एयर काग्रो कमिश्नी, नई दिल्ली और एनसीएच, मुम्बई में आयातको द्वारा मशीनरी के हस्तांतरण के दृष्टांत देखे।

3.4.1 कोलाधुर, तमिल नाडू पर प्लांट के लिए आवश्यक 'रेडियल टायर-कार एवं ट्रक के निर्माण के लिए औद्योगिक प्लांट' के प्रारंभिक संस्थापन के लिए चेन्नै समुद्री सीमा शुल्क कमिश्नरी में एक संविदा[21] पंजीकरण (2011) की गई है। आवेदन में, प्लांट एवं परियोजना का स्थान 'एसएच- 110 श्रीपेरूमबुदूर, तंबाराम रोड़, कोलापुर गाँव, श्रीपेरूमबुदूर, तलुक, कांचेपुरम, जि. टीएन दर्शाया गया था।

परियोजना आयात के तहत ₹ 51.48 लाख और ₹ 3.02 करोड़ क्रमानुसार की निर्धारणीय मूल्य के आयातित (अगस्त और सितम्बर 2011) मोल्ड एंव मशीनरी तथापि, सितम्बर 2011 और मार्च 2012 में क्रमानुसार में बनमोर और मैसूर परस्थित इसके अन्य प्लांट को आयातकों द्वारा वैसे तो हटाया गया था। पीआईआर, 1986 के प्रावधानों के खण्डन में मोल्ड/मशीनरी को हटाने के परिणामस्वरूप ₹ 10.60 लाख की शुल्क रियायत का गलत लाभ उठाया गया। तथापि, संविदा, आयातकों द्वारा लाभ उठाए गए अनियमित रियायत की वसूली के बिना जून 2015 में निर्धारित की गई थी।

राजस्व विभाग ने कहा है (दिसम्बर 2016) कि आयातक को सभी तथ्यों को लिखित में प्रस्तुत करने के लिए सलाह दी थी। आयातक ने भी लागू ब्याज सहित अंतर ड्यूटी का भुगतान करना स्वीकार कर लिया है।

3.4.2 समान रूप से, एसीसी नई दिल्ली कमिश्नरी में डीएमआरसी परियोजना, चरण-III के लिए सिस्टम डिज़ाइन एवं विनिर्दिष्ट दस्तावेजों और एवीएम वाले मास रैपिड यातायात प्रणाली में प्रयुक्त स्वचालित किराया एकत्रीकरण प्रणाली के लिए ₹ 3.68 करोड़ के मूल्य की सीआईएफ मूल्य की परियोजना आयात संविदा एक आयातक[22] ने पंजीकृत की थी। आयातक ने ₹ 3.66 करोड़ मूल्य के सीआईएफ वाले सिस्टम डिज़ाइन एवं विनिर्देश

[21] मेसर्स जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज लि.

[22] मेसर्स दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (डीएमआरसी)

दस्तावेज़ के साथ 273 टिकट रीडर-कम-ऐड वैल्यू मशीन का आयात किया था और ₹ 21.96 लाख के सीमाशुल्क छूट का लाभ उठाया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया (जून 2016) की आयातित माल जैसा कि प्रायोजन प्राधिकरण के अनिवार्यता प्रमाणपत्र में अनुमोदित किया गया, चरण-III परियोजना के स्टेशनों के बजाय चरण-I एवं II परियोजनाओं के स्टेशनों पर संस्थापित की गई थीं। इसके परिणामस्वरूप ₹ 21.96 लाख के शुल्क छूट का अनियमित अनुदान हुआ था। संविदा सीमाशुल्क द्वारा अंतिम रूप देने के लिए लंबित है।

मंत्रालय का उत्तर अपेक्षित है (दिसम्बर 2016)।

3.4.3 एनसीएच मुम्बई कमिश्नरी में, एक आयातक[23] ने ₹ 189.09 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के लिए संस्तुति पत्र के साथ बागा और बघेरी, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश पर एक नया सीमेंट प्लांट संसथापित करने के लिए माल आयात करने के लिए फरवरी 2006 में संविदा पंजीकृत की थी। बाद में, ₹ 61.04 करोड़ के मूल्य के सीआईएफ के लिए जुलाई 2008 और सितम्बर 2011 के बीच तीन बार अतिरिक्त संविदाएँ पंजीकृत की गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आयातकों ने पूँजी माल को अन्य नये उत्तर प्रदेश में आयातक के सीमेंट प्लांट में स्थानांतरित किया जो कि नवम्बर 2006 और जनवरी 2007[24] में आयातित किए गए थे (₹ 16.35 करोड़)। तथापि वहाँ पर परियोजना आयात के तहत आयातन पर लाभ उठाए गए 82 लाख की शुल्क रियायत के भुगतान के बारे में कोई विवरण नहीं थे।

राजस्व विभाग ने कहा (दिसम्बर 2016) कि आयातक परियोजना आयात के अधीन किए गए आयात के विवरण प्रस्तुत करने के लिए सलाह दी गई है जो प्रतीक्षित है। पखवाड़े के भीतर संतोषजनक विवरण प्रस्तुत न करने के मामलों में उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।

[23] मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लि.

[24] दिनांक 9.11.2006 बीई सं. 722026 और दिनांक 22.01.2007 741242 में आयातित

3.5 निष्कर्ष

योजना के वर्तमान विधिक प्रावधानों की समीक्षा, बाद की अधिसूचनाओं और संशोधनों के कारण योजना में महत्वपूर्ण अस्पष्टता दर्शाते हैं। इस प्रकार निर्धारण अनुचित ढंग से किया जा रह है जिसके परिणामस्वरूप शुल्क का कम/अधिक मूल्यांकन और गलत करारोपण हुआ। आयातों के समापन की निगरानी के लिए विनियमों में उचित प्रावधानों की कमी के परिणामस्वरूप बहुत सी परियोजनाओं में अनिश्चित अवधियों के लिए विलंब हुआ और परियोजना प्रारंभ होने के पश्चात भी आयातकों को रियायती आयातों का अनुचित लाभ दिया गया। कैप्टिव पावर संयंत्रों और अन्य परियोजनाओं के लिए स्पष्ट प्राथमिक प्रायोजक नहीं होने के कारण इन परियोजनाओं की निगरानी एकल प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बिना एकाधिक प्रायोजक अथौरिटीज द्वारा थी।

अध्याय 4: नियम एवं पद्धतियों का अनुपालन

लेखापरीक्षा ने जाँच की कि क्या समय-समय पर सीबीईसी द्वारा जारी सीमाशुल्क अधिनियम 1962, पीआईआर 1986 अधिसूचनाओं और निदेशों के तहत बनाए गए नियम, विनियमों एवं पद्धतियों का अनुपालन था। लेखापरीक्षा ने देखा कि वहाँ पर आवश्यक दस्तावेजों के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण परियोजना आयात रियायत के गलत अनुदान के मामले थे, इस प्रकार निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन में ढिलाई दर्शाते हुए मिलान विवरणों और अन्य दस्तावेजों की कमी में भी मामले निर्धारित किए गए।

4.1 अपेक्षित दस्तावेजों के अभाव में पूर्ण किये गये ठेके

सीमाशुल्क कानून नियमावली के अध्याय 5 के पैराग्राफ5 के साथ पढ़े गए पीआईआर, 1986 के विनियम *7* के अनुसार, आयातक को पिछले प्रेषित माल की निकासी की तिथि या निर्धारिणों के निर्धारण के लिए ऐसी बढ़ाइ्र गई समय सीमा के तहत तीन महीने के भीतर सीमाशुल्क प्राधिकरण को आवश्यक दस्तावेज[25] प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। चयनित मामलों में संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण द्वारा पीएसवी की जाती है।

4.1.1 मिलान विवरणों एवं अन्य दस्तावेजों की अनुपस्थिति में निर्धारित किए गए मामले

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि जेएनसीएच, मुम्बई कमिश्नरी, कांदला और एसीसी नई दिल्ली कमिश्नरी के तहत पाँच संविदाए सीमाशुल्क प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित किए गए थे यद्यपि आयातक ने आवश्यक दस्तावेज या कम दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया। ₹ 9.60 करोड़ की शुल्क रियायतों का आयातकों द्वारा लाभ उठाया गया था।

एक उदाहरण दर्शक मामले का विवरण नीचे दिया गया है:

24 बीइज़ (₹ 29.38 करोड़) वाली कांदला कमिश्नरी में पंजीकृत एक संविदा[26] (जुलाई 2010) कमिश्नरी द्वारा जुलाई 2014 में निर्धारित की गई थी। तथापि, आयातक ने मिलान विवरण प्रस्तुत नहीं किया था और प्रेषित माल की चार

---

[25] पंजीकृत/प्रमाणीकृत चार्टर्ड इंजीनियर, प्रविष्टि बिलो (बीईज) की कॉपी बीजक, अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र आदि से संस्थान प्रमाणपत्र के साथ माल का विवरण, मात्रा और मूल्य दर्शाता मिलान विवरण

[26] मेसर्सएफएलएसमिथ, चेन्नै

बीड्ज़[27] की प्रति दिसम्बर 2010 में मुम्बई द्वारा आयातित की गई थी। सीमाशुल्क प्राधिकरण, मुम्बई ने कांदला सीमाशुल्क से कुछ स्पष्टीकरण की माँग की थी किंतु मुम्बई सीमाशुल्क, कांदला सीमाशुल्क मामले का स्पष्टीकरण दिए बिना संविदा निर्धारित की।

राजस्व विभाग द्वारा उपरोक्त टिप्पणियों पर दी गई (दिसम्बर 2016) आयुक्तालयवार तथ्यात्मक सूचना परीक्षाधीन है ।

4.1.2 प्रमाण पत्र/प्लांटसाइट सत्यापन के संस्थापन के बिन परियोजना संविदाओं का निर्धारण

₹ 45.15 करोड़ की शुल्क रियायत वाले पाँच कमिश्नरी के तहत 11 मामले लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि यह संविदाएँ कमिश्नरियों द्वारा बिना संस्थापन प्रमाणपत्र अभिलिखित किए या सक्षम प्राधिकारी के अलावा प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाणपत्र को स्वीकारने द्वारा निर्धारित की गई थीं **(परिशिष्ट 4)**।

राजस्व विभाग द्वारा उपरोक्त टिप्पणियों पर दी गई (दिसम्बर 2016) आयुक्तालयवार तथ्यात्मक सूचना परीक्षाधीन है।

4.1.3 क्षमता के विस्तारण के सत्यापन के बिना परियोजना संविदाओं का निर्धारण

विनियम 3(सी) के अनुसार, एक प्लांट की संस्थापित क्षमता के महत्वपूर्ण विस्तारण का अर्थ है विस्तारण जो कि कम से कम 25 प्रतिशत वर्तमान संस्थापित क्षमता को बढ़ाएगा। दिनांक 12 मार्च 1992 एमओएफ पत्र सं. 521/192/90-सीयूएसटीयू के अनुसार दस्तावेज़ी प्रमाण जैसे कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रमाणपत्र, बही लेखा आदि को आयातकों द्वारा उनके महत्वपूर्ण विस्तारण के दावे के समर्थन में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है लेखापरीक्षा ने विस्तारण के सत्यापन के बिना परियोजना के निर्धारण के मामले देखे।

---

[27] दिनाँक 13.12.2010 प्रविष्टि बिन सं. 2426943, दिनांक 13.01.11 691304, दिनांक 28.12.2010 और दिनांक 15.01.2011 2589460

(i) कांदला, मुंद्रा एनसीएच-मुम्बई कमिश्नरियों में लेखापरीक्षाने 87.44 करोड़ मूल्य के सीआईएफ मूल्य की पाँच संविदाएं[28] जैसा कि आयातकों द्वारा प्रस्तावित की गई थी, बिना महत्वपूर्ण विस्तारण का सत्यापन किए जुलाई 2011 और मार्च 2016 के बीच सीमाशुल्क द्वारा निर्धारितकी गई थी जिसके परिणामस्वरूप 2.62 करोड़ के परियोजना आयात लाभ का गलत लाभ उठाया गया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

(ii) हैदराबाद और लुधियाना कमिश्नरियों के तहत पंजीकृत (मई 2011 और फरवरी 2012) ₹ 20.25 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के दो संविदाएँ[29] थी, लेखापरीक्षा ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रिकॉर्ड जो कि है 2011-12 से 2014-15 वर्षोंके लिए प्रस्तुत वार्षिक संस्थापित क्षमता विवरण (ई-आर-7 प्रतिगम) वार्षिक संस्थापित क्षमता वही रही जो कि परियेाजना आयात के पूर्व थी। चूंकि दस्तावेजो प्रमाणों ने यह प्रमाणित नहीं किया कि प्लांट क्षमता का कोई भी विस्तारण मशीनरी के आयात के बाद हुआ था, परियोजना आयातों के तहत उठाया गया लाभ अनियमित था। इस प्रकार आयातित मशीनरी पर 59.95 की शुल्क रियायत को वसूलने की आवश्यकता है।

राजस्व विभाग द्वारा उपरोक्त टिप्पणियों पर दी गई (दिसम्बर 2016) आयुक्तालयवार तथ्यात्मक सूचना परीक्षाधीन है। **(परिशिष्ट – 4ए)**

4.2 योजना के तहत अनुमत अस्वीकार्य आयात

सीमाशुल्क नियमावली के अध्याय 5 के पैराग्राफ 2.4 के अनुसार, माल की निकासी के समय पर सीमाशुल्क प्राधिकरण को पंजीकृत माल के विवरण, मूल्य और मात्रा की जाँच करने की आवश्यकता है।

4.2.1 मशीनरी की अपवर्जित श्रेणियों के लिए शुल्क रियायत का गलत अनुदान

दिनांक 9 जनवरी 2012 का. ज्ञा. सं. एफ सं. 354/2/2012-टीआरयू में वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि मेट्रो रेल परियोनाओं के लिए आवश्यक

---

[28] मेसर्स सनशाइन टाइल्स क. प्रा. लि. मेसर्स सोमानी सेरेमिक्स लि., मेसर्स रामोजी ग्रेनाइट मि. मेसर्स सेन्टोसा ग्रेनीटो प्रा. लि. एंड मेसर्स लाएड स्टील इंडिया लि.

[29] मेसर्स, एएसनजे सिन्थेटिक लि. एवं मेसर्स एवॉन इस्पात एंड पावर लि.

टनलबोरिंग मशीन/कल पूर्जे योजना के आयात के लिए योग्य नहीं है, चूँकि आयातित मशीने प्लांट या परियोजना के रखरखाव के लिए आवश्यक नहीं है।

उपरोक्त स्पष्टीकरण के खण्डन में, आईसीडी कमिश्नरी बैंगलुरू में, एक आयातक[30] ने टनल बोरिंग मशीनों और कलपुर्जों क्रमानुसार के आयात के लिए जनवरी 2011 और जुलाई 2011 में दो संविदाएं पंजीकृत की थी। और ₹ 7.08 करोड़ की शुल्क रियायत अनुमत की। दोनों संविदाएँ सीमाशुल्क द्वारा सितम्बर 2015 में निर्धारित की गई थी।

राजस्व विभाग ने कहा (दिसम्बर 2016) कि टीबीएम एक अलग मशीन है और सेगमेन्ट मोल्ड एक अलग मशीन है जबकि पूर्व वाला सुरंग खोदने के लिए और दूसरा लाइनिंग के लिए पूर्व निर्मित ठोस सेगमेन्ट का निर्माण करने के लिए है।

राजस्व विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि यह वित्त मंत्रालय के कार्यालय उपरोक्त ज्ञापन द्वारा टीबीएम मशीन को शुल्क छूट के मामले को निस्तारित नहीं करता, पीआईआर 1986 के अन्तर्गत शुल्क छट केवल उन मशीनों को उपलब्ध है जो परियोजना प्राधिकरण को आयातक द्वारा जो कि बुनियादी ढांचे के एक भाग के रूप में सौंप दिया जाता है। लेकिन, तत्काल मामले में मशीनरी आयातक द्वारा बनाए रखा गया।

4.2.2 आयात किए जाने के लिए अनुमत एवं वास्तव में आयातित माल के बीच त्रुटियाँ

₹ 24.03 करोड़ सीआईएफ मूल्य और ₹ 1.86 करोड़ के शुल्क रियायत के साथ आयात के तीन मामलों में लेखापरीक्षा ने परियोजना आयात के तहत आयात के लिए अनुमत माल और आयातकों द्वारा वास्तव में अनुमत माल में त्रुटियाँ देखी। दो मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

कोलकाता पत्तन कमिश्नरी में, एक आयातक[31] ने नॉदर्न कोलफील्ड लि. के अमलोहरी कोयला खनन विस्तारण परियोजना में दो इलैक्ट्रिरक वॉकिंग ड्रेगलाइन की आपूर्तिके लिए आवश्यक माल के आयात के लिए एक संविदा

[30] मेसर्स कॉन्टिनेटल इंजीनियर कॉर्पोरेशन

[31] मेसर्स हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लि.

पंजीकृत की। आयातक ने नौ खरीद आदेशों और कोयला मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मदों की एक सूची की प्रतियाँ प्रस्तुत की थीं।

फाइल में संलग्नित आयात दस्तावेजों की संवीक्षा ने दर्शाया कि दो बीईज़ के तहत आयातित मेसर्स जनरल इलेक्ट्रिक, कनाड़ा के साथ निष्पादित दिनाँक 30 मार्च 2011 खरीद आदेश द्वारा शामिल मोटरों (होइस्ट, प्रोपेल, स्विंग, ड्रेग) पंजीकरण के लिए अनुमोदित खरीद संविदा में से भिन्न मॉडल संख्याएँ थी। इसके अतिरिक्त फर्म ने खरीद संविदा में चार होइस्ट मोटरों (दो ड्रैगलाइनों के लिए) के प्रति छः होइस्ट मोटरों को आयात किया था।

चूँकि आयातित मोटरें अनुमोदित खरीद संविदा में सहमत विनिर्दिशों की नहीं थीं, वे शुल्क की रियायती दर के लिए योग्य नहीं थी। सीटीएच 9801 के तहत लाभ के गलत विस्तारण के परिणामस्वरूप ₹ 18.38 करोड़ के सीआईएफ मूल्य पर ₹ 1.67 करोड़ की छूट का गलत लाभ उठाया गया।

अपने जवाब में राजस्व विभाग ने कहा (दिसम्बर 2016) है कि मामले की गुणवत्ता को आंका जा रहा है और एक अंतिम जबाब भेजा जाएगा।

एक अन्य मामले में, एनसीएच कमिश्नरी मुम्बई के तहत एक आयातक[32] ने ₹ 121.40 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के लिए कर्नाटक इस संविदा में सीमेंट प्लांट के प्रारंभिक संस्थापन के लिए इस संविदा पंजीकृत (मार्च 2014) की। आयातक ने ₹ 5.**54** करोड़ सीआईएफ मूल्य की दो ड्रिलिंग मशीने का आयात किया और उन पर ₹ 16.62 लाख की शुल्क छूट का लाभ उठाया।

चूँकि ड्रिलिंग मशीनें आवश्यक रूप से खनन परिचालनों के लिए क्वेरी ब्लास्ट होल ड्रिलिंग के लिए थी और इन सीमेंट प्लांट के लिए नहीं थी; इस प्रकार वे रियायती शुल्क के लिए योग्य नहीं थे।

वाणिज्य मंत्रालय (अक्टूबर 2015) ने आयातक को इस शर्त के अधीन तेलंगाना राज्य में एक ड्रिलिंग मशीन को इसके अन्य प्लांट हस्तांतरित किया कि आयातक संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकरण को ब्याज और अन्य शेषों के साथ सीमाशुल्क जमा करेगा। तथापि, न तो मशीन का हस्तांतरण, न ही शुल्क और ब्याज का भुगतान रिकॉर्ड में नहीं था।

[32] मेसर्स आरिएंड सीमेंट लि.

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)।

4.3 सीलिंग के अधिक स्पेयर का आयात

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय शीर्ष 9801 के प्रावधानों के अनुसार, परियोजना आयात माल के अतिरिक्त, माल के निर्धारणीय मूल्य के 10 प्रतिशत तक कलपुर्जे और उपभोज्यों का आयात किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि छः पंजीकृत सविदाओं में (दिसम्बर 1997 और मई 2014 के बीच) और पाँच कमिश्नरियों[33] में आयातकों ने 10 प्रतिशत की निर्धारित सीलिंग से अधिक कलपुर्जो/उपभोज्यों का आयात किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.31 करोड़ के शुल्क छूट का अनियमित लाभ उठाया गया।

कुछ मालमों का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) कोचीन सीमाशुल्क कमिश्नरी में, एक आयातक[34] ने कट्टीयाड़ी हाइड्रो विद्युत परियोजना के संस्थापन (IX50 एमडब्ल्यू) के लिए एक परियोजना संविदा सं. 2/1997 पंजीकृत की थी। ₹ 64.69 करोड़ के मूल्य के पंजीकृत माल ने ₹ 7.35 करोड़ के अतिरिक्त निहित है। ₹ 7.35 करोड़ के अतिरिक्त स्पेयर के मूल्य ने 6.47 करोड़ की मशीनरी के मूल्य के 10 प्रतिशत की निर्धारित सीमा को पार किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 87.95 लाख के स्पेयर का अधिक आयात हुआ।

अधिक आयात का कारण बताए बिना दिसम्बर 2013 में संविदा निर्धारित की गई। स्पेयरों के अधिक मूल्य में ₹ 27.65 लाख की शुल्क रियायत निहित थी।

इसे इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2016), कमिश्नरी ने कहा (अप्रैल 2016) कि निर्णायक प्राधिकरण ने सभी विवादपूर्ण मामलों पर विचार करते हुए आदेश पारित किया और उसे उस चरण पर पुनः शुरू नहीं किया जा सकता।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूँकि इसने लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए अधिक स्पेयर के आयात के मामले को संबोधित नहीं किया।

---

[33] एसीसी नई दिल्ली, चेन्नै समुद्री सीमा शुल्क, कोची, कांदला और मुम्बई (एनसीएच)

[34] मेसर्स करेल स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड (केएसईबी)

राजस्व विभाग के दिनांक (दिसम्बर 2016) के उत्तर अनुसार ऊपरोक्त टिप्पणियां परीक्षाधीन है।

(ii) एनसीएच, मुम्बई कमिश्नरी में, सूरत, गुजरात में 1100 एमडब्ल्यू सूगेन कम्बाइन्स साईकल पावर प्लांट के प्रारंभिक संस्थापन के लिए अप्रैल 2006 में संविदा पंजीकृत की थी। आयातक[35] ने दिनाँक 1 मार्च 2012 की अधिसूचना सं. 400 के तहत शुल्क की 'शून्य' दर का दावा किया। माल को 398 बीइज द्वारा आयातित किया गया और अगस्त 2013 में सीमाशुल्क द्वारा संविदा को निर्धारित किया गया।

चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा प्रस्तुत दिनाँक 30 दिसम्बर 2009 प्रमाणपत्र दस्तावेजों के सत्यापन ने दर्शाया कि आयातित प्लांट एंव मशीनरी का कुल मूल्य यूएसडी 29,51,60,346 और स्पेयर का यूएसडी 3,14,31685 था। स्वीकार्य स्पेयर का अनुमत 10 प्रतिशत यूएसडी 2,94,63,383 था इसके परिणामस्वरूप यूएसडी 19,68,302 (₹ 8.86 करोड़) का अधिक आयात हुआ। अयातक ने यूएसडी 16,39,737 (₹ 9.39 करोड़) मूल्य के आयातों पर शुल्क का भुगतान किया। यूएसडी 3,28,565 (₹ 1.48 करोड़) के अधिक आयात शेष पर, किसी शुल्क पर भुगतान नहीं किया गया था। अनुमत सीमा से अधिक स्पेयर के सीमाशुल्क के भुगतान के बाद निपटान की आवश्यकता थी। ₹ 1.48 करोड़ का अधिक आयात शेष पर ₹ 42.34 लाख का सीमाशुल्क लगा।

अपने जवाब में राजस्व विभाग ने कहा है (दिसंबर 2016) उपरोक्त टिप्पणियां परीक्षाधीन है।

4.4 माल की गलत निकासी

पीआईआर, 1986 के नियम 5 के साथ पठित नियम 4 के अंतर्गत, प्रोजैक्ट इंपोर्ट के अंतर्गत निर्धारण केवल इस माल के लिए उपलब्ध होगा जो घरेलु खपत के लिए माल की निकासी हेतु किसी आदेश को जारी करने से पूर्व उपयुक्त सीमाशुल्क हाऊस के पास पंजीकृत विशिष्ट ठेके के प्रति आयात किया गया है और आयातक को जहां माल आयात किया जाना है या उनके आयात से पूर्व पोर्ट पर पंजीकरण के लिए आवेदन किया है।

[35] मैसर्स टोरेन्ट पॉवर लि.

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो मामलों में, माल की निकासी ठेकों के पंजीकरण से पहले ही कर दी गई थी और तीन मामलों में, माल या ठेकों के पंजीकरण के लिए आवेदन करने पर या पहले आयात कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.39 करोड़ के परियोजना आयात छूट की अनियमित प्राप्ति हुई जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका सं. 6: माल की गलत निकासी

कमि.	ठेका सं.	शुल्क छूट (₹ लाख में)	टिप्पणी
कोचीन	1/2013	12.41	फरवरी 2015 में ठेका पंजीकृत किया गया था परंतु जनवरी 2015 में पार्ट शिपमेंट मंजूर कर दी गई।
एनसीएच, मुम्बई	एस/5-17/ 2012/सीसी	109.57	माल 18.12.2012 को आयात किया गया । 21.12.2012 को आवेदन किया गया और 02.12.2012 को ठेका पंजीकृत किया गया था परंतु 28.12.2012 को माल की निकासी कर दी गई थी।
तूतीकोरिन	3/2003	362.00	10.07.2013 को ठेका पंजीकृत किया गया था जबकि माल पहले ही 30.07.2012 को आयात किया जा चुका था।
हैदराबाद	एस20/परि. आयात/01/2011-आईसीडी	7.45	सितम्बर 2010 और जनवरी 2012 के बीच पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया परंतु जनवरी/मार्च 2010 में माल पहले ही गोदाम में रखा जा चुका था।
विशाखापटनम	एस13(ए)/02/2013-एपी	47.26	17.07.2013 को पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया परंतु कार्गो 22.06.2013 को पहले ही आ चुका था।

पीआईआर का उल्लंघन करते हुए माल की निकासी के उपरोक्त मामले प्रोजैक्ट आयात माल की निकासी के लिए अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है।

राजस्व विभाग (दिसम्बर 2016) ने आयुक्तालयवार तथ्यात्मक सूचना प्रस्तुत की है जो परीक्षाधीन है।

4.5 शुल्क की गलत दर लगाना

प्रोजैक्ट आयात के अंतर्गत, समय-समय पर विनिर्दिष्ट मौजूदा दर/छूट के अनुसार आयातक को उत्पाद शुल्क (बीसीडी, सीवीडी, एसएडी) अदा करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने सात कमिश्नरियों में माल/प्रोजैक्ट के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क की दर के गलत लागू करने के नौ ठेकों के मामले पाये और ₹ 3.03 करोड़ राशि के कम उद्ग्रहण के कारण उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं/ कम भुगतान किया गया।

तालिका सं. 7: शुल्क की गलत दर

कमि.	पाये गये मामलों की सं.	टिप्पणी	माल का मूल्य (₹ लाख में)	शुल्क का कम/ उद्ग्रहण न होना (₹ लाख में)
कांडला	2	एक मामले में एसएडी का उद्ग्रहण नहीं किया गया था और एक अन्य मामले में 'लुबरीकेटिंग ऑयल' का गलत वर्गीकरण किया गया था और सीवीडी का कम उद्ग्रहण किया गया था।	119.32	8.62
मुंद्रा	6	'लुबरीकेटिंग ऑयल' का गलत वर्गीकरण किया गया था और सीवीडी का कम उद्ग्रहण किया गया था।	2694.31	123.85
चेन्नै	2	'डिस्क इंसूलेटर' पर सुरक्षा शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया गया था।	216.14	75.65
कोचीन	4	'सीमलैस पाईप' पर सुरक्षा शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया गया था।	190.01	28.94
कोलकाता	2	मंडी/गोदाम में 'यांत्रिकी प्रबंधन प्रणाली/ पैलट रैकिंग प्रणाली' के स्थान पर 'कोल्ड स्टारेज प्रणाली' के रूप में परियोजना को मानते हुए दावा की गई शुल्क कटौतियां	262.05	39.82
एनसीएच, मुम्बई	1	'फिल्टर बैग' का गलत वर्गीकरण	496.86	23.00
जेएनसीएच, मुम्बई	3	'लिफ्ट सिंचाई' परियोजना को जल आपूर्ति परियोजना माना गया	14.66	3.07

उपरोक्त मामलों के अतिरिक्त, डीजी (सिस्टम) द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना आयात डाटा के विश्लेषण से शुल्क के कम उद्ग्रहण/उद्ग्रहण न करने के विवरण नीचे दिये गये है:

तालिका सं. 8: शुल्क के कम उद्ग्रहण/ उद्ग्रहण न करने

पाये गये मामलों की सं.	टिप्पणी	माल का मूल्य (₹ लाख में)	पाया गया कम उद्ग्रहण (₹ लाख में)
नौ पत्तनों[36] के 70 बीई	'विद्युत इंसुलेटर' पर सुरक्षा शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया गया था।	18508.33	6385.35
पाँच पत्तनों[37] के 22	ल्यूबरीकेटिंग/ट्रांसफार्मर ऑयल/	4219.88	123.79

[36]कोलकाता समुद्र, कनकपुरा (जयपुर आईसीडी), मंडीदीप, नागपुर, न्हावा शेवा समुद्र, केएलपीपीएल-आईसीडी/पनकी, पारादीप, रायपुर, बैंगलोर आईसीडी

पाये गये मामलों की सं.	टिप्पणी	माल का मूल्य (₹ लाख में)	पाया गया कम उद्ग्रहण (₹ लाख में)
बीई	इंसुलेटिंग ऑयल का गलत वर्गीकरण किया जिसके कारण सीवीडी का कम भुगतान किया गया।		
छः पत्तनों के 105 बीई		अपूर्ण डाटा के कारण कम उद्ग्रहण को प्राप्त नहीं किया जा सका।	

राजस्व विभाग (दिसम्बर 2016) ने आयुक्तालयवार तथ्यात्मक सूचना प्रस्तुत की है जो परीक्षाधीन है।

4.6 रबड़ कैमिकल के आयात पर प्रति-पाटन शुल्क की वसूली न करने के कारण राजस्व की हानि

दिनांक 20 अक्तूबर 2005-सीमा शुल्क की अधिसूचना संख्या 94/2005 के अनुसार रबड़ रसायनों की विभिन्न श्रेणी पर यूरोपीयन यूनीयन, चीन गणराज्य, चाईनीज ताइपे और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातित माल पर प्रति-पाटन शुल्क देना पड़ा।

कोलकाता कमिश्नररी में, मै. नवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन लिमि. के कोयला खदान विस्तार परियोजना के लिए आवश्यक स्टील कॉर्ड बैल्ट के 22,000 मीटर के निर्माण के लिए कच्चे माल के आयात हेतु एक आयातक[38] ने एक ठेका पंजीकृत कराया (जनवरी 2007)।

चूंकि आयातकों द्वारा प्राप्त की गई छूट पीआईआर 1986 की शर्तों को पूरा नहीं कर रही थी, उक्त को अंतरीय शुल्क की पुष्टि करते हुए अधिनिर्णयन प्रक्रिया (जनवरी 2016) द्वारा कमिश्नरी द्वारा नामंजूर कर दिया गया।

ठेके के अंतर्गत किये गये आयात के विवरणों की नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि फर्म ने चीन गणराज्य और चीन ताइपे के एमओआर, 6 पीपीडी और टीडीक्यू जैसी कंपनी से रबड़ रसायन भी आयात किया (जनवरी 2007) जिस पर दिनांक 20 अक्तूबर 2005 की अधिसूचना सं. 94/2005 की शर्तों के अनुसार प्रति-पाटन शुल्क देय था। यद्यपि, ₹ 7.53 लाख राशि का प्रति-पाटन शुल्क न तो बीई के अस्थायी निर्धारण के समय संग्रहित की गई न ही निर्धारण के समय अंतिम रूप देते समय ध्यान रखा गया।

[37] बॉम्बे समुद्र, कोलकाता समुद्र, न्हावा शेवा मुम्बई, आईसीडी तुगलकाबाद, विजाक समुद्र

[38] मै. फोनिक्स कंवेयर बैल्ट इंडिया (प्रा.) लिमि. पूर्ववत् मै. फोनिक्स यूल लिमि.

इस ओर ध्यान दिलाने पर (जून 2016), राजस्व विभाग ने कहा (दिसम्बर 2016) कि मामला आयातक के साथ उठाया गया है और अंतिम जवाब आयातक से स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर दिया जाएगा ।

4.7 आईसीईएस 1.5 में ब्याज की गलत दर

दिनांक 1 मार्च 2011 की एनटी अधिसूचना के अनुसार, 18 प्रतिशत की दर पर ब्याज उत्पाद शुल्क के गैर/कम उद्ग्रहण पर देय था।

अहमदाबाद कमिश्नरी (आईसीडी खोड़ीयार) में, लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना ठेका सं. 01/2012 अपने नये वाहन संयंत्र, सननद, गुजरात के लिए एक आयातक[39] द्वारा ₹ 293.44 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के लिए माल के आयात हेतु पंजीकृत (दिसम्बर 2012) कराई गई।

अप्रैल, 2013 के दौरान आयातित चार खेपों के मामले में, आयातक ने प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा अनुमत मात्रा से अधिक माल आयात किया। आयातक ने दिनांक 26 अक्तूबर 2013 के चालान सं. 371 से तैयार की गई इडीआई द्वारा ब्याज सहित अधिक मात्रा पर परियोजना छूट प्राप्त किये बिना पूरा शुल्क अदा किया और दिनांक 24 मई 2013 के पत्र द्वारा उत्पाद शुल्क के भुगतान विवरण की सूचना दी।

ब्याज का आंकलन किया गया और उत्पाद शुल्क के कम/गैर-उद्ग्रहण अदा किये जाने पर 18 प्रतिशत (धारा 28 के लिए लागू) के स्थान पर इसे शुल्क का सामान्य देरी से भुगतान मानते हुए 15 प्रतिशत (उत्पाद शुल्क, अधिनियम, 1962 की धारा 47 हेतु लागू) पर अदा किया गया जिसके कारण ₹ 1.03 लाख के ब्याज सहित कम भुगतान किया गया।

इस प्रकार, आईसीईएस 1.5वी. के ब्याज आंकलन क्षेत्र अद्यतित करने की आवश्यकता है, ताकि शुल्क के कम भुगतान के ऐसे मामलों में ब्याज दर की मान्य दर को लागू किया जा सके।

डीओआर ने अपने जवाब (दिसंबर 2016) में कहा है कि आयातक को अंतर शुल्क का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया गया है ।हालांकि आईसीएस ने सुधार के संबंध में डीओआर का उत्तर मूक है।

---

[39] मै. फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमि.

4.8 परियोजना आयात के मामले में जारी एससीएन का लंबित/गैर अधिनिर्णयन

उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28(9) के अनुसार, जहां भी करनासंभवहो, अधिनिर्णयन आदेश सामान्य समय में छः महीने के और सांठ-गांठ, जान-बुझकर गलत विवरण, तथ्यों का छिपाना, धोखा-धड़ी आदि के मामले मे एससीएन/मांग नोटिस के जारी करने की तिथि से एक वर्ष के अंदर अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पास किया जाना चाहिए।

चेन्नई समुद्र, एसीसी, नई दिल्ली और एनसीएच, मुंबई कमिश्नरियों में, लेखापरीक्षा ने जुलाई 2011 और फरवरी 2015 के बीच जारी किये गये ₹ 12.61 करोड़ शुल्क वाले एससीएन के गैर-अधिनिर्णयन के 34 मामले पाये जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

4.8.1 चेन्नै समुद्र कमिश्नरी: ₹ 460.22 करोड़ के सीआईएफ मूल्य वाले प्रोजैक्ट ठेके (2004-2010) के 25 मामलों में, अंतिम रूप दिये जाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के गैर-प्रस्तुतीकरण के लिए एससीएन जारी किये गये थे। 2011 से 2012 के दौरान जारी किये ये एससीएन जुलाई 2016 तक अधिनिर्णयन के लिए लंबित थे। 25 एससीएन में से, चार एससीएन पांच वर्षों से अधिक से अधिनिर्णयन लंबित थे और 21 एससीएन चार वर्षों से अधिक से अधिनिर्णयन लंबित थे। 25 मामलों में से, 11 मामलों में मांगा गया शुल्क ₹ 12.06 करोड़ था और शेष 14 मामलों के लिए, मांगे गये शुल्क के विवरण कमिश्नरी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

राजस्व विभाग ने अपने जवाब (दिसम्बर 2016) में कहा है कि आवश्यक दस्तावेजों की गैर प्रस्तुत करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और न्याय निर्णयन का पालन कारण प्रक्रिया के करने के बाद किया जाएगा।

4.8.2 एसीसी, नई दिल्ली कमिश्नरी में, लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन एससीएन अंतिम रूप दिये जाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के गैर-

प्रस्तुतीकरण कि लिए एक आयातक[40] को जारी किये (फरवरी 2015)। व्यक्तिगत सुनवाई कराने के बाद (मार्च 2016), कमिश्नरी ने अप्रैल 2016 तक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए आयातक को अतिरिक्त समय प्रदान किया। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने पाया कि जून 2016 तक आयातक द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये और अधिनिर्णयन कार्रवाईयां लंबित थी। राजस्व विभाग ने अपने जवाब (दिसम्बर 2016) में कहा है कि आयातक को 2015 में एससीएन जारी किया गया था और शीघ्र ही निर्णयाधीन होगा।

4.8.3 एनसीएच, मुम्बई कमिश्नरी में, ठेका सैल में एससीएन पंजिका के सत्यापन से ज्ञात हुआ कि अप्रैल 2011 के बाद जारी किये गये 61 एससीएन लेखापरीक्षा (जून/जुलाई 2016) की तिथि तक अधिनिर्णयन हेतु लंबित थे। 61 एससीएन में से, 58 एससीएन छः महीने के बाद भी अधिनिर्णयन हेतु लंबित थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि लंबन हेतु सामान्य कारण थे:-

(क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरणों से अन्य भाग और लंबित पीएसवी से बीई की विलंबित कार्रवाई। लंबित अंतिम निर्णय;

(ख) विभागीय कार्रवाई की कमी, निगरानी कमी, फोलो-अप न किया जाना और न पता लगाये जाने योग्य फाईलें।

जेएनसीएच, मुम्बई में, न तो एससीएन पंजिका और न ही एससीएन के जारी करने/लंबन के सांख्यिकी विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये थे।

राजस्व विभाग ने अपने जवाब में (दिसम्बर 2016) कहा है कि जेएनसीएच, मुम्बई आयुक्तालय में छमाह से अधिक विलम्बित 58 एससीएन में से 23 एससीएन में निर्णय हो गया। इन मामलों में आवश्यक रिपोर्ट में तेजी लाने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों से संपर्क, द्वारा लंबित मामलों के लिए जल्दी न्याय निर्णयन के लिए प्रयास कर रहे हैं। जेएनसीएच आयुक्तालय में अब कारण बताओ नोटिस हेतु रजिस्टर बनाया जा रहा है।

4.9 सुनिश्चित मांग की गैर-वसूली

उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28(10) दर्शाती है कि जहां इस धारा के अंतर्गत उचित अधिकारी द्वारा शुल्क के निर्धारण आदेश पारित किये

[40] मै. एनबीसीसी लिमि.

गये हैं, उक्त शुल्क अदा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ताकि ऐसी राशि पर देय ब्याज सहित निर्धारित राशि अदा करेगा या ब्याज की राशि अलग से विनिर्दिष्ट नहीं की गई है।

4.9.1 एसीसी कमिश्नरी, नई दिल्ली: लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2016) कि ₹ 44.86 लाख सीआईएफ मूल्य वाले दो ठेकों में, ठेकेदार अंतिम रूप दिये जाने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहे। कमिश्नरी ने एससीएन (नवम्बर 2014 और जनवरी 2015) पर अधिनिर्णयन दिया और क्रमश: ₹ 10.81 लाख के अंतरीय शुल्क तथा ₹ 2.70 लाख के जुर्माने की पुष्टि की। यद्यपि, जून 2016 तक वूसली लंबित थी।

अपने जवाब में राजस्व विभाग ने (दिसम्बर 2016) गैर वसूली की मांग की पुष्टि स्वीकार कर ली है।

4.9.2 अस्थाई निर्धारण के मामले में, आयातक निर्धारण को अंतिम रूप दिये जाने की प्रतीक्षा करते हुए पहले ही ब्याज सहित शुल्क अदा कर सकता है; और ऐसे भुगतान को अंतिम निर्धारण[41] में समायोजित कर दिया जाएगा।

कोलकाता कमिश्नरी में, एक आयातक[42] ने सासन अल्ट्रा मैगा पावर प्लांट से जुड़ी हुई ट्रांसमिशन लाईन की आरंभिक स्थापना के लिए आवश्यक सामान करने के लिए दो ठेके पंजीकरण (मई 2011 और जनवरी 2012) किये। ठेकों के पंजीकरण के बाद, आयातक ने सीमाशुल्क विभाग को सूचित किया (दिसम्बर 2012 और मई 2013 के बीच) कि खरीद ठेके में मूल्य वृद्धि खंड के अनुसार, विदेशी आपूर्तिकर्ता ने आपूर्तियों के प्रति पूरक बीजक दिये थे और इसलिए उनपर अतिरिक्त शुल्क निर्धारित किया जा सकता है। इसके पश्चात विभाग ने अप्रैल और जुलाई 2013 के बीच पूरक बीजकों के प्रति देय उत्पाद शुल्क निर्धारित किया और लागू ब्याज सहित शुल्क के भुगतान के लिए फर्म को पत्र जारी करने को कहा।

यद्यपि, यह देखा गया (जून और जुलाई 2016) कि इन दो ठेकेदारों में से, जनवरी 2012 में पंजीकृत एक मामले में, फर्म ने ₹ 1.42 करोड़ के कुल अंतरीय शुल्क के प्रति 1.09 करोड़ का अंतरीय शुल्क अदा किया। इसके

---

[41] जैसाकि दिनांक 09 सितम्बर 2011 के बोर्ड के परिपत्र सं. 40/2011 में प्रस्तुत किया गया।

[42] मै. पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमि.

अतिरिक्त, फर्म ने दोनों ठेकों के प्रति अंतरीय शुल्क पर ब्याज अदा नहीं किया। कमिश्नरी ने दोनों मामलों में कुल ₹ 1.80 (₹ 37.81 लाख+₹ 1.42 करोड़) करोड़ के प्रति बकाया ₹ 32.85 लाख अंतरीय शुल्क और ब्याज संग्रहण के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जिसके कारण सरकारी राजस्व अवरूद्ध हुआ।

राजस्व विभाग ने अपने जवाब (दिसम्बर 2016) में बताया है कि आयातक को पत्र जारी कर दिया गया था और आयुक्तालय में संबंधित अनुलग्नको सहित उत्तर प्राप्त किया गया है । अन्तिम उत्तर का अनुसरण होगा।

4.10 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने मौजूदा प्रावधानों के कम या गलत अननुपालना की घटनाऐं देंखी। परियोजना के बाद में विस्तार के लिए ठेके वास्तविक सत्यापन के बिना अनुमत करने, दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण में विलंब, सामान की बिना अनुमति के आयात करने और अंजान सामान की निकासी ने पीआईआर, 1986 के प्रावधानों से विचलन को दर्शाया।

अध्याय 5: परियोजना आयात के अंतर्गत आयात की सुविधा

वर्गीकरण वर्गीकरण और मूल्यांकन की सरलीकृत प्रक्रिया द्वारा सरल और जल्द निर्धारण की सुविधा के मद्देनजर, प्रोजैक्ट इंपोर्ट के अंतर्गत आयातित माल एकल सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अन्य शब्दों में, प्रोजैक्ट इंपोर्ट की सुविधा कार्गो निकासी तथा जल्द और सरल निर्धारण प्रक्रिया में अवांछनीय विलंब को रोकने की आशा की जाती है।

लेखापरीक्षा ने सुविधा जैसे पोर्ट पर कार्गो के प्रवास समय, आयातकों द्वारा दस्तावेजीकरण का प्रस्तुतीकरण, बीई के अस्थाई निर्धारणों को अंतिम रूप देने में कमिश्नरियों द्वारा लिया गया समय और ठेकों को अंतिम रूप देने में कुछ पहलूओं की जांच की। लेखापरीक्षा निष्कर्ष आगामी पैराग्राफों में बताये गये हैं।

5.1 परियोजना आयात के अंतर्गत निकासी किये गये माल को रखने की अवधि

प्रवास समय सभी अनुमति और ली गई मंजूरियों के बाद पोर्ट परिसर को छोड़ने के लिए माल द्वारा लिये गये समय से पोर्ट में कार्गो के पहुँचने के बीच के समय की अवधि है। यह व्यवहार सुविधा मानदंडों के प्रभाव का महत्वपूर्ण संकेतक है।

2010-11 से 2013-14 की अवधि के दौरान दिये गये आऊट ऑफ चार्ज(ओओसी) को बीई के लिए आयात मंजूरियों के विभिन्न स्तरों में सामान्य विलंब पहचानने के लिए सीबीइसी द्वारा समय रिलीज अध्ययन किया गया था। कमिश्नरी द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरण से समेकित की गई प्रवास समय विश्लेषण की रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि प्रवास समय में गिरावट आई थी और 2010-11 के दौरान 13.94 दिनों से 2013-14 के दौरान 10.95 दिनों की गिरावट थी। यह कमी सीबीइसी/डीजीएफटी द्वारा अपनाये गये विभिन्न आइसीटी उपायों और प्रक्रियाओं की तर्कसंगतता के कारण थी।

प्रोर्जेक्ट इंपोर्ट योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक की विभिन्न प्रकार के माल के लिए वर्गीकरण/शुल्क का एकल दल द्वारा प्रक्रिया को सरल बनाना और फलस्वरूप आयातित माल की जल्द सीमा शुल्क मंजूरी द्वारा आयातक को सुविधा प्रदान करना है। बोर्ड ने पुष्टि की (सितम्बर 2016) कि प्रोजैक्ट इंपोर्ट

माल की मंजूरी के लिए प्रवास समय अध्ययन उनके द्वारा नहीं किया गया था। इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए प्रवेश क्रांफेस में डीओआर प्रोजैक्ट इंपोर्ट माल के लिए औसत प्रवास समय के विवरण उपलब्ध कराये जो नीचे दिये गये हैं:

तालिका सं. 9: पोजैक्ट इंपोर्ट माल के लिए औसत प्रवास समय

पोर्ट	प्रवास समय (दिनों में)
चेन्नै	26.2
जेएनसीएच, मुंबई	27.7
मुंबई-।	15.5
मुंद्रा	6.2
कोलकाता	30.4

स्त्रोत: सीबीईसी

सभी श्रेणियों के सामान के लिए वर्ष 2013-14 के दौरान संपूर्ण भारत का औसत प्रवास समय 10.95 दिन था। यद्यपि, लेखापरीक्षा द्वारा प्रोजैक्ट इंपोर्ट माल की निकासी में विलंब देखा गया है ।

तालिका सं. 10: प्रोजैक्ट इंपोर्ट माल की निकासी में विलम्ब

पोर्ट	मामलों की सं. जिनमें विलंब देखा गया	विलंब रेंज	औसत विलंब (दिनों में)
चेन्नै	52	27 और 297 दिन	61
एनसीएच, मुंबई	18	16 और 109 दिन	25
जेएनसीएच, मुंबई	18	28 और 158 दिन	50
एसीसी, नई दिल्ली	13	16 और 54 दिन	27
आईसीडी/टीकेडी	8	18 और 80 दिन	39
आईसीडी सीटि बैंगलोर	7	56 और 100 दिन	70

इस प्रकार, यद्यपि, आयात प्रक्रियाओं की तर्कसंगतता, सीबीइसी/डीजीएफटी द्वारा स्वीकृत विभिन्न उपाय अपनाये गये, फिर भी पोर्ट पर प्रोजेक्ट इंपोर्ट मंजूरियों की लेखापरीक्षा नमूना जांच में काफी अधिक विलम्ब पाये गये।

राजस्व विभाग ने अपने जवाब में कहा (दिसम्बर 2016) कि प्रविष्टि बिल दाखिल करने के समय से लेकर ओओसी के समय तक डवेल टाइम लिया गया है। यहां संदर्भित डवेल टाइम में आयातकों द्वारा लिया गया समय भी शामिल किया जा सकता है। कई बार देरी में विभागीय अधिकारियों को

जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, समय पर दस्तावेज प्रस्तुत न करना और आयातको द्वारा ड्यूटी के भुगतान में ले लिया गया समय देरी का कारण होता है । चूंकि निकासी में दलों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजों, बांड के डेबिट और मैन्युअली रजिस्टर में आवश्यक विवरण की प्रविष्टि के सत्यापन की आवश्यकता होती है, इससे डीवेल टाइम में वृद्धि हो सकती है । तथापि, तुरंत निकासी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

डीओआर ने यह सुझाव दिया कि समय मूल्यांकन के लिए ले लिया गया समय अर्थात प्रवेश बिल दाखिल करने और मूल्यांकन के बीच लिया गया समय और ओओसी के लिए लिया गया समय अर्थात डोकसीएफएस पर माल / के पंजीकरण और ओओसी के समय तक एक अध्ययन के।

डीओआर (दिसम्बर 2016) द्वारा प्रस्तुत आयुक्तालयवार तथ्यागत सूचना परीक्षाधीन है।

5.2 जटिल दस्तावेजीकरण के कारण अपर्याप्त सुविधा और विलम्ब

जटिल दस्तावेजीकरण प्रक्रिया के कारण विलंब रोकने के लिए दस्तावेजों की संख्या में कमी करना विभाग द्वारा किये गये व्यापार सुविधा उपायों में से एक है।

दस्तावेजों की संख्या में कमी करने के संदर्भ में पीएसी (2015 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 13) को अपनी प्रस्तुत डीओआर ने कहा गया है कि सीमा शुल्क मंजूरी से संबंधित अधिकतर गतिविधियां पहले ही स्वचालित हैं। मैन्यूल इंटरफेस कम करके और अन्य सहभागी नियामक एजेंसी के साथ संदेश भेजने-प्राप्त करने के ऑलनाईन सत्यापन द्वारा मैन्यूल दस्तावेजीकरण कम करके/बदल कर बिजनैस को सरल करने के कार्य को बढ़ावा दिया गया है।

पीआईआर 1986 के नियम 5 के अंतर्गत, प्रोजैक्ट इंपोर्ट के अंतर्गत निर्धारण दावों के इच्छुक आयातक को विभिन्न दस्तावेजों जैसे औद्योगिक लाइसेंस, एसएसआई प्रमाण पत्र, प्रायोजक प्राधिकरण से सिफारिश पत्र, संयंत्र डिजाईन और स्थिति, सामान की सूची के साथ ठेके को पंजीकृत कराने की आवश्यकता होती है। पीआईआर 1986 के नियम 7 के अनुसार, आयातक को घरेलू खपत के लिए आयात की अंतिम खेप के आयात को प्राधिकृत रूप में तीन महिनों के अंदर या विस्तारित अवधि में मूल्य और सामान की मात्रा के संबंध में

प्रमाण के रूप में अन्य सहायक दस्तावेजों के रूप में आयातित माल के विवरण दर्शाते हुए पुनर्मिलान विवरण प्रस्तुत करने आवश्यक होते हैं।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 15 कमिश्नरियों[43] में, 164 ठेकों में, आयातकों ने पूर्नर्मिलान विवरण/अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये या तीन महीनों से अधिक विलंब के साथ उक्त दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिसके परिणामस्वरूप ठेकों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में विलंब हुआ। ठेकों में लगाया गया सीआईएफ मूल्य ₹ 20507.91 करोड़ और पूर्व निश्चित शुल्क ₹ 2789.12 करोड़ था।

एनसीएच, मुम्बई कमिश्नरी में, ₹ 7,296.22 करोड़ के सीआईएफ मूल्य सहित 124 आयातकों के 275 ठेके थे, जो 1993 और 2015 के बीच पंजीकृत किये गये थे और आवश्यक दस्तावेजों के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण लंबित थे। 275 ठेकों में से, 108 ठेके सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयूज) संबंधित है। पीएसयूज में से दो आयातकों[44] ने सबसे अधिक अननुपालना की है जिन्होंने क्रमश: 74 और 22 ठेकों में अपने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जिसके कारण वर्ष 1994 और 2009 से सम्बन्धित ₹ 4,142.21 करोड़ और ₹ 1,226.21 करोड़ के ठेका मूल्य को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

जेएनसीएच, मुम्बई कमिश्नरी में चयनित ठेकों में, लेखापरीक्षा द्वारा ₹ 2,092.80 करोड़ के सीआईएफ मूल्य तथा ₹ 73.66 करोड़ के पूर्वनिश्चित शुल्क सहित अंतिम रूप देने के लिए दस्तोवजों के विलंब/गैर-प्रस्तुतीकरण के 33 मामले पाये गये। इन मामलों में, विलंब औसत 976 दिनों तक है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि किसी भी कमिश्नरी ने दिनांक 4 मई 2011 के सीबीइसी परिपत्र में विनिर्दिष्ट किये जाने के अनुसार निर्धारित अवधि में दस्तावेजों के गैर-प्रस्तुतीकरण/अपूर्ण प्रस्तुतीकरण के मामले में जुर्माने के उद्ग्रहण के लिए कोई पहल नहीं की।

---

[43] अहमदाबाद, बैंगलोर (सीटी) आईसीडी, चेन्नै समुद्र सीमाशुल्क, कोचीन, हैदराबाद, जामनगर, कांडला, कानपुर, कोलकाता, लुधियाना, मुम्बई (जेएनसीएच), मुम्बई (एनसीएच), नई दिल्ली (एसीसी), नोयडा और विशाखापटनम

[44] मै. भारत हेवी इलैक्ट्रिकल लिमि. (भेल) और मै. गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमि. (गेल)

राजस्व विभाग द्वारा (दिसम्बर 2016) आयुक्तालय वार प्रस्तुत तथ्यात्मक सूचना परीक्षाधीन है।

इसे इंगित किये जाने पर (मई 2016), एनसीएच मुम्बई कमिश्नरी ने कहा (मई 2016) कि कमिश्नरी आयात की प्रगति, माल के लगाये जाने, परियोजना के पूर्ण होने पर निगरानी रखने में समर्थ नहीं है। इसलिए, प्रोजैक्ट इंपोर्ट की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, एक तिमाही रिपोर्ट (क्यूपीआर) तैयार की गई है और दिनांक 22 मार्च 2011 के सार्वजनिक नोटिस द्वारा अधिसूचना दी गई।

जेएनसीएच, मुम्बई कमिश्नरी मे तीन मामलों में से दो[45] के उत्तर में कहा गया (जून और जुलाई 2016) कि इन मामलों ने कमिश्नर आयातो के पूरा होने के विषय से अवगत नहीं था और संबंधित आयातको ने विभिन्न बंदरगाहो से परेषण की मंजूरी दी थी।

जबकि, वरिष्ठ स्तर पर विशेष रूप से आयातित परियोजना के पूर्ण होने की बेहतर मॉनीटरिंग और अनुबंध को समय पर अन्तिम रूप दिया जाना योजना की बेहतर कार्य-पद्धति के लिए अनिवार्य है, इस बात की भी समीक्षा करना और परियोजना के आयात के लिए प्रलेखन प्रक्रिया को सरल बनाने की भी आवश्यकता है जिसके परिणामस्वरूप यह अनिश्चित अवधि के लिए अनुबंध को अन्तिम रूप देने में विलम्ब का कारण बनाता है।

सिफारिशः लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि मंत्रालय आवश्यकताओं को सरल बनाने के उद्देश्य से परियोजना आयात योजना के अंतर्गत अपेक्षित दस्तावेजों की मात्रा की समीक्षा पर विचार कर सकता है।

बोर्ड ने बहिर्गमन बैठक के दौरान कहा (19 दिसम्बर 2016) कि आयात के पूर्व और पश्चात के चरणों के लिए नियमन में विनिर्दिष्ट दस्तावेज यथोचित हैं। यद्यपि, मंत्रालय वरिष्ठ स्तर पर अति सर्तकता पूर्वक मानीटरिंग की आवश्यकता पर लेखापरीक्षा के साथ सहमत है।

[45] परियोजना आयात /2016-17/एएम सं. 19 दिनांक 03.05.2016 पर लेखापरीक्षा ज्ञापन सं. सीआरए/जेएनसीएच/पीए का उत्तर और परियोजना आयात/2016-17/एएम सं. सीआरए/जेएनसीएच/पीए का उत्तर

लेखापरीक्षा का मानना है कि, व्यापार सुविधा और व्यवसाय की सुगमता को प्रोत्साहित करने के लिए आयातकर्ता द्वारा पंजीकरण और अनुंबध को अन्तिम रूप देते समय दस्तावेजो के अनेक सेट प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता की समीक्षा करना और इसे युक्ति संगत बनाया जाना चाहिए।

5.3 बीई के अस्थायी निर्धारण को लंबित/अंतिम रूप न देना

अध्याय-5 के 5.3 पैराग्राफ के अनुसार आयतित, आकलन, जहां पीएसवी की आवश्यकता नहीं है, तीन माह की अवधि के अन्दर और जहां पीएसवी की आवश्यकता है ,छः माह की पीएसवी की आवश्यकता है। आयातकर्ता द्वारा पुर्न मिलान विवरण और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बाद हैं, अनुबंध के पंजीकरण के बंदरगाह के अतिरिक्त अन्य से जहां आयात बदरंगाहो से प्रभावित है ऐसे मामलों में विलम्ब से बचने के लिए बोर्ड के दिनांक 4 मई 2011 के परिपत्र मे निर्देशित किया था कि संबंधित कस्टम हाऊस एजेंट और कमिश्नरी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिना किसी अनुचित विलम्ब के बीईस को अन्तिम रूप दिया जाये।

छः कमिश्नरी[46] के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चलता है कि 23 परियोजना संविदाओं से संबंधित 633 बीईस के अस्थाई आकलनों के अन्तिमकरण में विलम्ब हुआ है (सीआईएफ मूल्य ₹ 8,708.16 करोड़)। बदंरगाह से आयातकों से प्रभावित आयात के गैर-अन्तिम रूप देने, के कारण बंदरगाह पंजीकरण के के अलावा अन्य विशेष कारणों से अधिक विलम्ब हुआ था।

मामलें को नीचे उदाहरण से स्पष्ट किया गया है:

कोलकाता कमिश्नरी में, आठ संविदाओं को सम्मिलित करते हुए 81 बीईस का अस्थायी आकलन किया गया था (सीआईएफ मूल्य ₹ 840.65 करोड़) छः आयतकर्ताओ से संबंधित पुनः मिलान प्राप्ति और अन्य दस्तावेज कोअन्तिम रूप देने के बावजूद अन्तिम रूप दिया गया था। इन मामलों में, 31 मार्च 2016 तक पुर्न मिलान विवरण और अन्य दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के छह माह के अवसान की गणना में औसत विलम्ब 952 दिनों का था।

[46] अहमदाबाद, एसीसी बैंगलोर, भुवनेश्वर—1 (प्रदीप डिविजन), मुम्बई जेएनसीएच, मुमबई एनसीएच, कोलकता

राजस्व ने अपने जवाब में बताया (दिसम्बर 2016) कि यद्यपि समाधान विवरणी प्रस्तुत कर दी गई, अन्य दस्तावेज जैसे विभाग प्रमुख (पीएसयुज में) और स्वतन्त्र चार्टर्ड हंजीनियर द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र, बैंक प्रेषण प्रमाण पत्र, खरीद आदेश स्वीकृति पत्र आदि जैसे अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने है । मैसर्स पैराक्सया इंडिया लिमिटेड के मामले में अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त करने के पश्चात अन्तिम रूप दे दिया गया है ।

राजस्व विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उन मामलों में जहां अपेक्षित विवरण्/दस्तावेज समय पर प्रस्तुत नहीं किए गए है या अधूरे प्रस्तुत किए गए है, तो इस संबंध में लागू वचनबद्धता के लिए आवश्यक कार्रवाई निष्पादित रोकड़ प्रतिभूति/ बैंक गारंटी शुल्क की मांग हेतू नोटिस जारी करना, विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए शास्ति दिनांक 4 मई 2011 के परिपत्र के अनुसार आयातकों के विरूद्ध प्रारंभ की गई । किसी भी मामलें में ऐसी कार्रवाई की गई नहीं पाई गई थी । इसके अलावा मैसर्स पैराक्सया इंडिया लिमिटेड द्वारा पंजीकृत करार को 53 दिनों के विलम्ब के बाद अंतिम रूप दे दिया गया था (09.02.2015 को दस्तावेज प्रस्तुत किए गए और 10.09.2015 को अन्तिम रूप दिया गया) अहमदाबाद, बैंगलुरू, भुवनेश्वर, एनसीएच और जेएनसीएच, मुम्बई आयुक्तालयों के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रियाएं संवीक्षाधीन है ।

5.4 परियोजना ठेके को विलम्ब से/अंतिम रूप न देना

परियोजना संविदाओं मे विलम्ब/गैर-अंतिमकरण दिनांक 4 मई 2011 के परिपत्र के अनुसार, आकलनो का अन्तिमकरण परियोजना आयातों के अन्तर्गत आयातकर्ताओ द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की तिथि से 60 दिनों की अवधि के अन्तर्गत पूरा कर लिया जाना चाहिए। यद्यपि, असाधारण परिस्थतियों में जहां औचित्यपूर्ण कारणों से समय सीमा के अन्तर्गत अन्तिमकरण को पूरा करना सम्भव न हो तो सीमाशुल्क के क्षेत्राधिकार आयुक्त के द्वारा समय सीमा मे विस्तार किया जा सकता है इस प्रकार की अतिरिक्त अवधि के लिए उनके द्वारा निर्णय लिया जा सकता है और कारण लिखित रूप से अभिलिखित किया जाता है।

पीआईआर, 1986 के अधिनियम *7* के तहत, जहां अपेक्षित विवरण/दस्तावेज को समय पर पूर्ण रूप से जमा नहीं किया गया हो, तब बॉड/वचनबद्धता को

लागू करने के लिए, नकदी सुरक्षा/इस संबंध मे निष्पादित बीजीस शुल्क की मांग के लिए निर्गत नोटीस, और अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने से दण्ड हेतु आवश्यक कार्रवाई आयातकर्ता के विरूद्ध प्रारम्भ की जा सकती है।

भारतीय निर्यात संगठन संघ (फिओ)[47] द्वारा एक अध्ययन में, यह कहा गया था कि आकलन आयातक द्वारा वाछिंत दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के 60 दिनों के अन्दर पूर्ण रूप से सीबीईसी इकाइयों में लागू नहीं किया गया। अतः इन प्रावधानों को कार्यान्वयन करने हेतु वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा निगरानी करना आवश्यक है।

परियोजना आयात संविदा के अन्तिम रूप देने के लिए संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा की गयी जिससे पता चलता है कि 11 कमिश्नरी[48] में 55 संविदाएं ₹ 4,004.63 करोड़ मूल्य के सीआईएफ सहित, और सीमा शुल्क द्वारा या तो अन्तिम रूप नहीं दिये गये या पर्याप्त विलम्ब के साथ इसको अन्तिम रूप दिया गया। इन मामलों में औसत विलम्ब 958 दिनो का था **(परिशिष्ट 5)।**

कुछ दृष्टांत मामलों का नीचे विस्तृत विवरण दिया गया हैं:

(i) कोलकत्ता कमिश्नरी में, पीआईआर 1986 के अन्तर्गत[49] माल आयात के लिए फरवरी 2003 और मार्च 2013 के बीच नौ आयातकर्ताओं[50] द्वारा संविदाऐं पंजीकृत की गयी थी । 12 संविदाऐं, समाधान-विवरण की प्राप्ति के बावजूद अन्तिमकरण के लिए लम्बित थे और अन्तिमकरण के लिए दस्तावेजों की प्राप्ति की तिथि से 153 दिनों के बाद एक संविदा को अंतिम रूप दिया गया था। यद्यपि, संविदाओं को अन्तिम रूप देने के लिए दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के लिए/अंतिम रूप देने के लिए समय को संबंधित प्राधिकारी के द्वारा मामलें में से किसी को भी विस्तारित नहीं किया गया था। इस मामलों में औसत विलम्ब 1160 दिनों का था।

---

[47] दिनांक 13.07.2016 की रिपोर्ट

[48] बैंगलोर एसीसी, चैन्नई सागर सीमाशुल्क, हैदराबाद एसीसी, कानपुर, कोलकत्ता, मुम्बई एनसीएच, मुम्बई जेएसीएच, नई दिल्ली एसीसी, नोएडा, पड़पड़गंज आई सीडी एण्ड अन्य आईसीडीएस- दिल्ली, विशाखापट्टनम्।

[49] मैसर्स/भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि. और आठ अन्य आयातकर्ता।

[50] मैसर्स पैराएक्स इंडिया प्रा. लि.

विलम्ब के कारणों की समीक्षा करने पर पता चला कि आठ मामलों में, दस्तावेजों की प्राप्ति के बावजूद कोई कार्रवाही नहीं की गयी थी जबकि तीन मामलों में दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, दो मामलों में, सीमा शुल्क प्राधिकारियों से बिलों की प्रविष्टि के आकलन को अन्तिम रूप देने के संबंध में जहां आयातकर्ताओं के द्वारा परियोजना आयात माल आयतित किये गये थे में उत्तर की गैर-प्राप्ति के कारण अन्तिमकरण लम्बित था।

इस प्रकार, परियोजना संविदा मामलों को अन्तिम रूप देने के लिए घटना क्रम का गैर-अनुपालन न केवल बोर्ड के अनुदेशो के विपरीत था लेकिन यह भी परियोजना आयातो के अन्तर्गत शुल्क रियायत के माध्यम से लाभ लिये गये ₹ 30.76 करोड़ के राजस्व के गैर-समाधान-विवरण के परिणामस्वरूप था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतिक्षित है (दिसम्बर 2016)

(ii) चैन्नई समुद्र सीमा शुल्क कमिश्नरी के तहत पांच अन्तिम रूप दिये हुए मामलों में (सीआईएफ ₹ 73.46 करोड़) संविदा को अन्तिम रूप देने मे औसत विलम्ब 380 दिनों का था। एक मामलें में, टीआरएस के तहत एअर कार्गो, चैन्नई के माध्यम से किये गये आयात से संबंधित विलम्ब दो वर्षों का था और बीईस को एअर सीमाशुल्क द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना था।

टीआरए मामलों में, अन्तिमकरण में विलम्ब हो गया था जैसा कि संबंधित बंदरगाहों के द्वारा जहां टीआरए पंजीकृत है। प्रविष्टि बिलों को अन्तिम रूप दिया जाना आवश्यक है। संविदाओं को अन्तिम रूप देने में विलम्ब से बचने के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त, ₹ 2,306.99 करोड़ के सीआईएफ मूल्य सहित 49 संविदाओं में, संविदाओ को अन्तिम रूप देने के लिए 2005 और 2015 के बीच दस्तावेज कमिश्नरी को प्रस्तुत किये गये थे परन्तु कमिश्नरी ने अभी तक संविदाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया था। इन 49 मामलों मे से, 22 संविदाऐं (45 प्रतिशत) पांच वर्षों से अधिक समय से अन्तिमकरण के लिए लम्बित थे।

मंत्रालय का उत्तर परीक्षाधीन है (दिसम्बर 2016)।

(iii) दिल्ली कमिश्नरी के आईसीडी पंडपड़गंज में, एक आयातकर्ता[51] ने हरियाणा के रेवाड़ी मे सेफ्टी टेम्पर्ड ग्लास के विनिर्माण करने के पर्याप्त विस्तार करने के लिए, ₹ 26.62 करोड़ की सीआईएफ के तीन प्रोजेक्ट आयात संविदाओं को (दिसम्बर 2004, जुलाई और अगस्त 2005) पंजीकृत किया था। दिसम्बर 2005 में अन्तिम आयात के बाद, आयातकर्ता ने सामाधान-विवरण, बीईस और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जुलाई 2006 मे प्रस्तुत किये गये थे। पीएसवी भी फरवरी 2008 मे आयोजित की गयी थी।

कमिश्नरी ने इन तीन मामलों को अन्तिम रूप देने में (दिसम्बर 2014) कस्टम के संबंधित अधिकार क्षेत्र कमिश्नर के द्वारा मामलें को अन्तिम रूप देने के लिए समय-सीमा को विस्तारित करने के लिए किसी भी अनुमति को प्राप्त किये बिना छह वर्षों से अधिक का समय लिया था।

राजस्व विभाग द्वारा दी गई आयुक्तालयवार तथ्यात्मक सूचना परीक्षाधीन है (दिसम्बर 2016)।

सिफारिश: लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि संविदाओ को अन्तिम रूप देने में विलम्ब से बचने के लिए, बंदरगाह के पंजीकरण के लिए टीआरए बंदरगाहो से टीआरए आकंलन (बीईस) के इलेक्ट्रॉनिक संचरण की सम्भावना की तलाश द्वारा बोर्ड अन्य बंदरगाहो के माध्यम से प्रभावित आयातो को मॉनीटर करने और प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनायेगा।

बोर्ड ने बहिर्गमन बैठक के दौरान बताया था (19 दिसम्बर 2016) कि पीआईआर मे परिवर्तन के आधार पर एक परियोजना प्रबंधक मापक, बंदरगाह पंजीकरण के लिए टीआरए बन्दरगाहों से टीआरए कर निर्धारण (बीईस) के इंलेक्ट्रानिक संचरण सहित 1.5 आईसीईएस में विकसित किये जायेगें।

5.5 लेनदेन लागत

लेन-देन लागत में, घरेलु और अन्तर्राष्ट्रीय दरों पर क्रेडिट की अंतर लागतें, प्रक्रियात्मक विलम्ब उदाहरणार्थ-कस्टम निकासी के लिए समय और कार्गों हैंडलिंग, सड़क, रेल, बंदरगाह, विमान पतन की खराब-संयोजकता के कारण परिवहन मे विलम्ब/परिवहन की लागतें, नकदी सुरक्षा, कार्यरत पूंजी

[51] मैसर्स असाही इंडिया ग्लास लि.

आवश्यकता आदि सहित आवश्यक निधियों की लागत और अनुपालन की लागत यथा प्रायोजन प्राधिकारी से संस्तुतियो की आवश्यकता, माल की मूल्य के 2 प्रतिशत की राजस्व जमा के साथ-साथ अस्थायी शुल्क बॉड, समाधान-विवरण को जमा करना, कस्टम द्वारा कार्य-स्थल का सत्यापन आदि सम्मिलित है।

यद्यपि पीएचडीसीसीआई[52] द्वारा सर्वेक्षण किया गया और यह प्राक्कलित किया गया कि इस योजना के अन्तर्गत कुल परियोजना आयातो की लेन-देन लागतें 5-14 प्रतिशत तक की थी जो कि सर्वेक्षण के उत्तरदाताओं के द्वारा उदधृत एक बड़ी समस्या है।

तालिका. 11: उदयोग खंड के अनुसार संत्यवहार लागतों का ब्रेक-अप

क्रम. सं.	शीर्ष	बडे (प्रतिशत में)		मध्यम (प्रतिशत में)	औसत (प्रतिशत में)
		सार्वजनिक	निजी		
1	अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलु दरों पर क्रेडिट की अंतर लागतें	2	3	3	2.7
2	प्रक्रियात्मक विलम्ब उदाहरणार्थ-कार्गो हैंडलिंग और कस्टम मंजूरी के लिए समय	1-2	2	2-3	1.6
3	सड़क, रेल, बंदरगाह, विमानपतन की खराब संयोजकता के कारण परिवहन की लागते/परिवहन मे विलम्ब	1-2	1-2	1-2	1
4	नकदी सुरक्षा, कार्यरत पूंजी आवश्यकता आदि सहित आवश्यक निधियों की लागत	-	4	6	3.3
5	अनुपालन की लागत यथा प्रयोजन प्राधिकारी से संस्तुतियों की आवश्यकता, माल के मूल्य के 2 प्रतिशत के राजस्व जमा के साथ-साथ अस्थायी शुल्क बॉड, सामाधान-विवरण का जमा, कस्टम के द्वारा कार्यस्थल का सत्यापन आदि	-	1	2	1
कुल		**5**	**11**	**14**	**9.6**

स्रोत: पीएचडीसीसीआई, सीटीएच 9801 के अन्तर्गत परियोजना आयातो पर सर्वेक्षण, मई 2016

यथा लघु उपक्रमो का सर्वेक्षण किया गया वे योजना का लाभ नहीं उठा रहे है, लघु उपक्रमो के लिए लेन-देन लागतों को निर्धारित नहीं किया जा सकता

जैसा उपरोक्त तालिका में देखा गया, प्रक्रियात्मक विलम्बों पर लागतें जैसे-विचार करने का समय और प्रॉविजनल आकंलन के अन्तिमकरण में विलम्ब कुल लेन-देन लागतों का औसत 2 प्रतिशत बनता है। इसके अतिरिक्त, 11

[52]प्रतिवेदन दिनांक 15.07.2016

प्रतिशत पर निजी क्षेत्र के द्वारा सूचित लेन-देन लागते 5 प्रतिशत पर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के द्वारा सूचित लेन-देन लागतों की तुलना मे बहुत अधिक हैं।

पीएचडीसीसीआई सर्वेक्षण के अनुसार, मध्यय और लघु क्षेत्र उत्तरदायियों के फीडबैक से पता चलता है कि सीटीएच 9801 के तहत आयात की प्रक्रिया जटिल हो जाती है यथा-

I. वे इतने अधिक अनुपालन और थकाऊ प्रक्रिया के साथ बैंको से वित्तीय का प्रबंधन करते है।

II. उनको अधिकतम ₹ 1 करोड़ मानदंडो के अधीन सीआईएफ मूल्य के कम से कम दो प्रतिशत पूरा करना है जो सभी ईकाईयो के लिए व्यवहार्य नहीं है।

यद्यपि, लाभ केवल तीन प्रतिशत हे जैसा कि सामान्य आयात के अन्तर्गत शुल्क और उगाही 26.5 प्रतिशत हैं और परियोजना आयात योजना 9801 के अन्तर्गत शुल्क और उगाही 23.5 प्रतिशत हैं। परन्तु लेन-देन लागतें बैंक से प्राप्त वित्त सहित, बीजी के ₹ 1 करोड़ मानदंड लागभग 14 प्रतिशत पर आते है। इसलिये लागत-लाभ विशलेषण सीटीएच 9801 के अन्तर्गत आयात के लिए प्रतिकूल हो गये है जब तक कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से तकनीकी विशेषज्ञता और मशीनरी आयात के लिए कुछ तकनीकी की आवश्यकता है जो कि भारत के साथ तुलना करने में लागत-प्रतियोगी भी है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतिक्षित है (दिसम्बर 2016)।

सिफारिशः लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि मंत्रालय परियोजना आयात योजना से जुड़ी उच्च लेन-देन लागत से संबंधित कारकों की समीक्षा करे और अन्य योजनाओं (जैसे ईपीसीजी) की तुलना में योजना के लाभ की तुलना करे।

बोर्ड ने बहिगर्मन बैठक (19 दिसम्बर 2016) तथा राजस्व विभाग के अपने उत्तर (26 दिसंबर 2016) में कहा कि परियोजना आयात योजना किसी भी निर्यात दायित्व से नहीं जुडी है और इसका अपना विशिष्ट लाभ है। अधिनिमों की समीक्षा को प्रक्रियात्मक सरलीकरण के उद्देश्य के साथ और आईसीईएस

1.5 में स्वचालन के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रारम्भ किया जायेगा। इससे लेन-देन लागत में कमी आ जायेगी।

5.6 योजना की जागरूकता

पीएचडीसीसीआई सर्वेक्षण से पता चला है कि प्रतिवादियों के बीच, सीटीएच 9801 के अन्तर्गत बड़े उपक्रम परियोजना आयात योजना से सबसे अधिक 14 प्रतिशत अवगत है जबकि बड़े आयातर्कताओं से प्रतिवादियों ने 10 प्रतिशत योजना का लाभ उठाया था। मध्यम उपक्रमों में से, केवल 5 प्रतिशत प्रतिवादी ही योजना से अवगत हैं जबकि केवल 2 प्रतिशत ने इसका लाभ उठाया। दूसरी ओर लघु उपक्रमों से उत्तरदायी, बहुत कम इस योजना से अवगत थे (2 प्रतिशत) जबकि सर्वेक्षण के अनुसार, किसी ने भी योजना का लाभ नहीं लिया हैं।

तालिका सं.. 12: इस योजना के बारे में अवगत प्रतिवादी फर्मो का प्रतिशत और इसका लाभ उठाना

क्रम. सं.	परिचालन के मापन	योजना के बारे में जागरूकता (प्रतिशत में)	योजना का लाभ उठाना (प्रतिशत में)
1	बडे उपक्रम	14	10
2	मध्यम उपक्रम	5	2
3	लघु उपक्रम	2	0

स्रोत: पीटीएच 980, मई 2016 के तहत परियोजना आयात पर पीएचडी अनुसंधान ब्यूरो, सर्वेक्षण., नोटः ऑकडों को राउनडीड ऑफ किया गया हैं

सर्वेक्षण के अनुसार, सर्वेक्षण की गयी ईकाईयों के बीच, केवल 10 प्रतिशत बड़े उपक्रमो और दो प्रतिशत मध्यम उपक्रमों के द्वारा इस योजना को उपयोग करने की सूचना दी गयी थी। 88 सर्वेक्षणों में से किसी भी छोटे पैमाने के उपक्रमों ने इस योजना से लाभ उठाने की सूचना नहीं दी थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतिक्षित है (दिसम्बर 2016)

5.7 निष्कर्ष

हांलाकि, परियोजना आयात योजना का उद्देश्य आयातों को सुविधा प्रदान कर तीव्र बनाना था, लेखापरीक्षा में पाया गया कि कारक जैसे-बंदरगाहों पर रहने के औसत समय से अधिक, भारी-भरकम दस्तावेज, प्राविजनल आकलन में विलम्ब और प्रक्रियाओं के लिए सरलीकरण के लिए योजना के उद्देश्य का लाभ उठाने के लिए संविदा को अन्तिम रूप दिया गया है।

अध्याय 6: मॉनिटरिंग, समन्वय और आंतरिक नियंत्रण

विभिन्न विभागों और उनके क्षेत्र संरचनाओं और आंतरिक नियंत्रण तंत्र जैसे रिपोर्ट, रिटर्न, सूचना, संचार के बीच समन्वय योजना कार्यान्वय की निगरानी के लिए सीबीईसी और डीओआर के द्वारा औचित्य और प्रक्रियाओं की पर्याप्ता, डेटा को सही स्थान पर प्रयोग करने के प्रबंधन प्रक्रियाओं पर यह भाग केन्द्रित है। नीचे टिप्पणियां विषयों पर प्रकाश डालती है जहां निगरानी और नियंत्रण को कमजोर पाया गया है, समन्वय व्यवस्था को पुष्ट करने की आवश्यकता है।

6.1 ईडीआई प्रणाली में परियोजना आयात डाटा प्रबंधन

सीएजी, ने अपनी पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में (2009-10 की एआर सं.24), उचित लेखांकन को विकास करना और मॉडयूल की निगरानी और परियोजना आयातो की प्रभावी निगरानी की सुविधा के लिए ईडीआई प्रणाली के साथ इनको एकीकृत करने की सिफारिश की थी। जवाब में, सीबीईसी ने परिपत्र दिनांक 4 मई 2011 के द्वारा सूचित किया कि इस मामले को आगे कार्रवाई के लिए महानिदेशक, प्रणाली के समक्ष रखा गया था।

राजस्व विभाग ने अपने जवाब (दिसम्बर 2016) में केन्द्रीकृत बॉण्ड प्रबंधन मॉड्यूल, आईसीएस 1.5 में परियोजना प्रबंधन मॉड्यूल के निर्माण की सिफारिश के साथ सहमत हैं। हालांकि, यह पीआईआर की गहन समीक्षा के बाद उठाया जाएगा।

6.1.1 ईडीआई प्रणाली में अपूर्ण परियोजना आयात डेटाः संविदा के पंजीकरण के समय, आयातर्कताओं को दस्तावेजो का एक निर्धारित सेट प्रस्तुत करना हैं, जिसमें परियोजना के महत्वपूर्ण विवरण जैसे-परियोजना का नाम और स्थान, परियोजना कार्यन्वयन एजेंसी-सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/निजी, प्रायोजन प्राधिकारी का नाम, परियोजना का मूल्य और माल और सेवाओं की लागत का ब्रेक-अप, प्रायोजन प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित आयात करने के लिए वस्तुओं की सूची और परियोजना से सम्बन्धित संविदा/उप संविदा का विवरण सम्मिलित है। कमिश्नरी स्तर पर, संविदा रजिस्टरो में मैन्युअली रूप से सूचना को अधिकृत किया जाता है जैसे-एक संविदा की यूनिक पंजीकरण

संख्या और तिथि, संविदा की सीआईएफ मूल्य, संविदा में संशोधन, संविदा के संबंध मे अनुमत आयातो का विवरण (मूल्य और मात्रा) और मूल्य शुल्क का परित्याग आदि।

अनेक संविदाओं के माध्यम से अर्थात माल और संयंत्रों का आयात, स्वदेशी क्रयों, सेवाओं का प्रतिदान आदि एक परियोजना के अन्तर्गत आयात सामान्यतः स्थान ले लेती है और इन संविदाओं में से प्रत्येक देश भर मे आयात करने के लिए किसी भी कस्टम कमिश्नरी में पंजीकृत हो सकती है। एसीसी, नई दिल्ली, चैन्नई, कान्डला, कोलकत्ता, मुंद्रा और एनसीएच, मुम्बई कमिश्नरीयों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड के आश्वासन के बावजूद, ईडीआई व्यवस्था में परियोजना आयात व्यवस्था के अन्तर्गत विशिष्ट परियोजना के लिए अनिवार्य प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में आयातो को अधिकृत करने के लिए कोई भी प्राधिकृत क्षेत्र नहीं है। ईडीआई व्यवस्था में किसी भी प्राधिकृत क्षेत्र के आभाव निम्नलिखित को निर्दिष्ट करता है:-

- प्रणाली किसी भी समय पर विशेष परियोजना आयात मामले के अन्तर्गत किए गए कुल आयात की विस्तृत रिपोर्ट बनाने में असमर्थ है।
- बंदरगाह पर परियोजना का पंजीकरण और अन्तिम करण मैन्युअली किया गया।
- प्रणाली में विशेष परियोजना के अन्तर्गत किए गए आयात को बनाए रखने के लिए (मूल्य अनुसार, मात्रा अनुसार और विशिष्टता अनुसार) समान केन्द्रीकृत बही खाता नहीं है।
- निर्गत परामर्शों (आरए), जहां आयातकर्ता द्वारा माल आयात करने के प्रयोजन के मामले में अन्य के अतिरिक्त बंदरगाह पंजीकरण मैन्युअली जारी किये गये और मॉनीटरिंग किये गये है। इसके अतिरिक्त, आरएस की प्रमाणिकता को मैन्युअली सत्यापित किया गया अर्थात पंजीकृत बंदरगाह मैन्युअली के अतिरिक्त अन्य आयातो के संबंध में कमिश्नरी अभी भी अंततः बीईस आकलन एकत्र कर रहा है, जो कि मामलें को अन्तिम रूप देने मे विलम्ब की ओर ले जाता है जहां परियोजना अन्तिम रूप दिये जाने के स्तर पर है। इसके अतिरिक्त संवीक्षा से पता चलता है कि कमिश्नरी ने संविदा को अंतिम रूप देने के लिए

आरए बंदरगाह से एक अथवा दो बीईस की मांग की और इन बीईस की स्थिति में अभाव के कारण, परियोजना अनिश्चित अवधि के लिए अंतिमरूप दिये बिना पड़ी रही थी। इस प्रकार, ईडीआई प्रणाली में जहां आरए निर्गत किये गये थे वहां अन्य बंदरगाह से अन्तिम बीईस आंकलन बनाने के लिए कोई उपकरण नहीं है।

परियोजना के संबंध में पूर्ण सूचना के अभाव में, कमिश्नर के द्वारा संविदा परियोजना को अन्तिमरूप देने और आयात-सामग्री की निगरानी के लिए जटिल कार्य और समय लेने वाली प्रक्रिया है ।

मंत्रालय का उत्तर प्रतिक्षित है (दिसम्बर 2016)।

6.1.2 बॉड मैन्युअल में बॉडस का गलत डेबिट: पीआईआर, 1986 के अधिनियम 5(4) के अनुसार, आयातकर्ता द्वारा संविदा के पंजीकरण के संबंध में उचित अधिकारी द्वारा जिस प्रकार की आवश्यकता हो उसी प्रकार के दस्तावेजों और अन्य विवरणों को प्रस्तुत करना है जिसमें नकदी सुरक्षा जमा के साथ पूरक बॉड सम्मिलित है। पूरक बॉड संविदा को पंजीकरण करने की मांग की सीआईएफ मूल्य की राशि के बराबर बनाया जाना चाहिए।

कमिश्नरी में माल के आयात के समय परियोजना समुह के द्वारा प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, कि समूह को विवरण मूल्य और आयातित माल की मात्रा के साथ-साथ पंजीकृत विवरण, मूल्य और मात्रा की जांच करना अनिर्वाय है और आगम पत्र का अस्थायी रूप से आंकलन किया गया। समूह माल का विवरण और उनका मूल्य परियोजना संविदा रजिस्टर मे नोट करके रखता है।

आईसीईएस 1.5 प्रारम्भ करने के बाद, बॉड मॉड्यूल में बीई के संबंध में किये गये आयातो की सीआईएफ मूल्य के बराबर बॉड के डेबिट करने के मूल्य के द्वारा प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। ऐसे मामलों में जहां टेलीग्राफी रिलीज एडवाइस (टीआरए) सम्मिलित है और आयातो को पंजीकृत बंदरगाह के अलावा अन्य बंदरगाहों के माध्यम से किया गया है, पंजीकृत बंदरगाह पर टीआरए राशि के लिए बांड को डेबिट कर दिया गया है और मैनुअल टीआरए आयात के बंदरगाह पर उपयोग के लिए जारी किया जाता है।

डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान 3202 बीईज में बांड डेबिट किए बिना, परियोजना आयात लाभ लेने के लिए आयात सीटीएच 9801 के तहत किया गया था। तदनुसार, आयात किए गए माल पर शुल्क से ₹ 1,133.05 करोड़ तक की राशि की रियायती शुल्क/छूट अनुमत की गई जो परियोजना आयात पर लागू थी, माल को परियोजना आयातों के अलावा अन्य उद्देश्यों हेतु प्रयोग करने से छूट का गलत उपयोग करने की गुंजाइश दी गई। यह तथ्य उजागर करना उचित है कि बांड लेजर कमिश्नरियों द्वारा करारों को अन्तिम रूप देने के दौरान संदर्भित और भरोसे योग्य एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि क्रेडिट और डेबिट इसी में किए जाते है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)

सिफारिशः लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि परियोजना आयात पर बेहतर नियंत्रण होने और कुशल एवं उचित तरीके से बांड लेजर में उनके क्रेडिट/डेबिट की निगरानी हेतु, बोर्ड टीआरए के माध्यम से अन्य पोर्टों में किये गये आयात और पंजीकरण पोर्ट के माध्यम से किये गये आयात की निगरानी करने के लिये परियोजना आयात हेतु केन्द्रीकृत बांड प्रबंधन मोड्यूल शुरू करने पर विचार कर सकता है।

बोर्ड ने एग्जिट बैठक के दौरान कहा (19 दिसम्बर 2016) कि मंत्रालय पीआईआर की विस्तृत समीक्षा के बाद आईसीईएस 1.5 में केन्द्रीकृत बांड प्रबंधन मोडयूल के सृजन पर सिफारिश से सहमत है।

6.1.3 अनंतिम निर्धारण के बजाय बीईज का अन्तिम निर्धारण: अनंतिम निर्धारण के बजाय बीईज का अन्तिम निर्धारण: परियोजना आयात के अन्तर्गत मंजूर किए गए माल के संबंध में, सीमाशुल्क नियमावली के अध्याय 5 के पैराग्राफ 4.1 के अनुसार निर्धारित दस्तावेजों की प्रस्तुती द्वारा परियोजना करार के अन्तिम रूप को लम्बित रख कर निष्पादित बांडों के प्रति मूल्य/शुल्क को डेबिट करने के द्वारा बीईज का निर्धारण अनंतिम रूप से किया जाता है।

2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए डीजी (सिस्टम्स और डाटा प्रबंधन) द्वारा प्रदत्त डाटा से लेखापरीक्षा ने पता लगाया कि 31 पोर्टो[53] में 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान दर्ज 2532 बीईज में अनंतिम निर्धारिण के बजाय अन्तिम निर्धारण का सहारा लिया गया था। ₹ 6,113.56 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य वाले माल को परियोजना आयात के अन्तर्गत आयात किया गया और सीटीएच 9801 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था।

एसीसी नई दिल्ली, कोचीन और कांडला कमिश्नरी के कुछ मामले लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित किए गए जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

- कोचीन कमिश्नरी में एक आयातक[54] के परियोजना करार से पता चला कि कोच्ची और अन्य पोर्टो में दर्ज चार बीईज का निर्धारण अन्ततः बांड को डेबिट किए बिना किया गया था। इसी प्रकार एक अन्य परियोजना करार[55] में आयात टीआरए के आधार पर नावा शेवा पोर्ट के माध्यम से किया गया था (अगस्त 2015) किन्तु अन्तिम निर्धारण बांड को डेबिट किए बिना किया गया था। पांच बीईज का निर्धारण मूल्य ₹ 14.37 करोड था, जिसमें ₹ 3.10 करोड़ का शुल्क शामिल था।
- एसीसी, नई दिल्ली कमिश्नरी के तीन करारों[56] (सात बीईज-सीआईएफ मूल्य ₹ 3.05 करोड़) में इसी प्रकार के अंनतिम निर्धारण के बिना अन्तिम निर्धारण पाए गए थे।
- कांडला कमिश्नरी में, लेखापरीक्षा ने तीन करारों में अन्तिम रूप दिए गए संविदा मामलों में पाया कि आयातकों ने टीआरए के माध्यम से विभिन्न सीमा शुल्क हाऊसीस से उनके आयात प्रेषण की निकासी करवाई थी। सत्यापन पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि 17 बीईज में कमिश्नरी में अनंतिम निर्धारण के अन्तर्गत माल

[53] एसीसी अहमदाबाद, एसीसी बैंगलोर, मुम्बई सी, एसीसी मुम्बई कोलकाता सी, एसीसी कोलकाता, कोचीन सी, कोचीन एयर कार्गो, एसीसी दिल्ली, आईसीडी दुर्गापुर, एसीसी हैदराबाद, कांडला कस्टम, एसीसी जयपुर, चेन्नई सी, एसीसी चेन्नई, आईसीडी मंदीदीप, मुंद्रा, आईसीडी नागपुर, नावाशेवा मुम्बई, पीपावव विक्टर, आईसीडी पडपडगंज, पारादीप, आईसीडी रायपुर, आईसीडी साबरमती (खोडियार), आइसीडी दादरी, आईसीडी तुगलकाबाद, तूतीकरोनी सी, आईसीडी तूतीकोरीन, आईसीडी तोदियारपेट, विजाग सी, आईसीडी बैंगलौर।

[54] मै.बीपीसीएल के आर आईआरईपी

[55] मै. प्रोडएयर एयर प्रोडक्टस इंडिया प्राइवेट लि.

[56] संविदा सं. 2/2008, 3/2009 और 2/2015

के निर्धारण के बिना माल की निकासी अनुमत की और बांड भी डेबिट नहीं किया गया था। उक्त प्रावधान के अनुसार, बीईज को माल की मंजूरी से पूर्व, अनंतिम रूप से निर्धारित किया जाना था। इससे पता चलता है कि ईडीआई प्रणाली में कोई उचित प्रमाणीकरण तंत्र नहीं था जिससे अनिवार्य रूप से पहला अनंतिम निर्धारण किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप परियोजना आयात के अन्तर्गत ₹ 7.03 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य के लिए अनियमित निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 19.56 लाख का शुल्क शामिल था।

परियोजना आयात में संकलित विवरण, सामान की स्थापना इत्यादि के प्राप्त होने के पष्चात् आकंलन होना था जबकि बीईज का सीधा अंतिम आंकलन गलत था। यह दर्शाता है कि ईडीआई प्रणाली में बाध्यतामूलक अंन्तिम आंकलन का प्रावधान नहीं था।

राजस्व विभाग ने अपने जवाब (दिसम्बर 2016) में कोचीन और एसीसी, नई दिल्ली आयुक्तालय के संबंध में लेखा परीक्षा टिप्पणियां स्वीकार कर ली हैं।

सिफारिशः लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस 1.5वी) के माध्यम से परियोजना सामग्री आयात की प्रभावी निगरानी हेतु बोर्ड को मैनुअल प्रणाली के माध्यम से परियोजना आयात मामलों की निगरानी पर निर्भरता को कम करने के लिये आईसीईएस में ईपीसीजी योजना की पद्धति पर परियोजना प्रबंधन मोड्यूल की संभावना का पता लगाना चाहिये।

बोर्ड ने एग्जिट बैठक के दौरान कहा (19 दिसम्बर 2016) कि पीआईआर में परिवर्तनों के आधार पर आईसीईएस 1.5 में एक परियोजना प्रबन्धन माड्यूल विकसित किया जाएगा।

6.2 सीबीईसी क्षेत्रीय संरचनाओं के डाटाबेस में अनियमितता

इस निष्पादन लेखापरीक्षा को करते समय लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन संस्थाओं अर्थात (i) कमिश्नरियों पर (ii) निष्पादन प्रबन्धन महानिदेशालय (डीजीपीएम) और (iii) सिस्टमस और डाटा प्रबन्धन महानिदेशालय द्वारा अनुरक्षित डाटाबेस में बेमेल डाटा था जैसा नीचे विस्तृत विवरण दिया गया हैः

(i) वि व 12 से वि व 16 के दौरान सीबीईसी की क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा प्राप्त राजस्व आंकडे

लेखापरीक्षा ने पाया कि वि व 12 से वि व 16 के दौरान सीबीईसी वेबसाईट, निष्पादन प्रबन्धन महानिदेशालय और महानिदेशालय (सिस्टमस और डाटा प्रबन्धन) द्वारा प्राप्त राजस्व आंकडे असंगत है जैसा नीचे वर्णित हैः

तालिका सं. 13: सीबीईसी की क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा प्राप्त राजस्व आंकडे

₹ करोड़ में

सूचना का स्रोत	विव 12	विव 13	विव 14	विव 15	विव 16	कुल
सीबीईसी की वेबसाईट (*cbecddm.gov.in*)	3759.40	3074.21	2759.12	1185.85 (11/2014 तक)	उपलब्ध नहीं	10778.60
निष्पादन प्रबन्धन महानिदेशालय (डीजीपीएम)	2422.60	2312.83	2305.22	1328.16	1151.64	9520.45
डीजी सिस्टमस	1930.80	1913.27	1844.39	1239.44	1161.78	8089.68

राजस्व विभाग ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2016) में कहा है कि डी जी (सिस्टम) में आकड़े इलैक्ट्रोनिक डाटा वेयरहाउस (ईडीडब्ल्यु) से पुनप्राप्ति डेटा पर आधारित है जो कि गैर ईडीडब्ल्यु/ मैनुअल बीई में नहीं लेते है। डीजीपीएम रिपोर्ट की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी है और वे इकाईयों से रिपोर्ट प्राप्त कर संकलित करती है। डीजीपीएम और डीडीएम की रिपोर्ट में जो असमानता है वह परीक्षाधीन है।

(ii) सीबीईसी और कमिश्नरियों द्वारा कराया गया ठेका विवरण

सीबीईसी से प्राप्त सूचना को लेखापरीक्षा द्वारा 24 कमिश्नरियों द्वारा प्रदान की गई सूचना से मिलाया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि सीबीईसी और कमिश्नरियों के डाटा बेस की एकरूपता में कमी थी जैसा नीचे वर्णित हैः

तालिका सं. 14: ठेका विवरण

(सीआईएफ मूल्य ₹ करोड़ में)

स्त्रोत	1 अप्रैल 2011 के का आदि शेष		वि.व 12 से वि.व 16 के दौरान पंजीकृत ठेके		वि.व 12 से वि.व 16 के दौरान अन्तिम रूप दिए गए ठेके		31 मार्च 2016 को ठेकों का अंत शेष	
	सं.	सीआईएफ मूल्य	सं.	सीआईएफ मूल्य	सं.	सीआईएफ मूल्य	सं.	सीआईएफ मूल्य
सीबीईसी	1594	3,09,596	946	1,65,318	653	55,969	1929	4,16,658
कमिश्नरियां	1905	1,34,091	994	1,35,547	676	27,055	2223	2,60,176

राजस्व विभाग (दिसम्बर 2016) द्वारा प्रस्तुत आयुक्तालयवार तथ्यात्मक सूचना परीक्षाधीन है।

(iii) कमिश्नरी डाटाबेस में बेमेलता: कमिश्नरी स्तर पर अभिलेखों/ रिपोर्टों की लेखापरीक्षा संवीक्षा सूचना डाटा की बेमेलता के मामलों का विवरण आगे हैं:

तालिका सं. 15: कमिश्नरी स्तर डाटा में असंगति

कमिश्नरी	आंकडे			
	कमिश्नरी के अनुसार	तिमाही रिपोर्ट के अनुसार	अनुरक्षित ठेका रजिस्टर के अनुसार	सीबीईसी
कांडला	₹ 3,469.93 करोड़ मूल्य के 70 पंजीकृत ठेके	8 पंजीकृत ठेके	₹ 7,267.81 करोड़ के मूल्य के साथ 71 पंजीकृत ठेके	₹ 3,467.80 करोड़ के मूल्य के साथ 79 ठेके
	77 ठेकों को अन्तिम रूप दिया गया	--	79 ठेके (लेखापरीक्षा के अनुसार)	45 ठेकों को अन्तिम रूप दिया गया
	वि.व 16 को अन्त शेष के रूप में दर्शाए गए 89 ठेके (83 निजी+6 सरकारी/पीएसयू)	--	लेखापरीक्षा में पता लगे 89 ठेके (80 निजी +9 सरकारी पीएसयू)	वि.व 16 के अन्त शेष के रूप में दर्शाए गए 94 ठेके (87 निजी + 7 सरकारी/पीएसयू)
आईसीडी (शहर) बैंगलोर	वि.व 12 से वि.व 16 के दौरान अन्तिम रूप दिए गए 39 ठेके			वि व 12 से वि व 16 के दौरान शून्य ठेकों को अन्तिम रूप दिया गया

राजस्व विभाग ने अपने जवाब में (दिसम्बर 2016) में कहा है कि कांडला आयुक्तालय के आंकड़ों को सुधारा गया है और सही रिपोर्टिंग के लिए उचित कार्यवाही की गई।

असंगति के अन्य मामले थे:

- सीबीईसी द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, चेन्नई और कांडला कमिश्नरियों में ठेके पंजीकृत के रूप में दर्शाए गए थे किन्तु कमिश्नरी के रिकार्डों में कोई शुल्क संग्रहण और छोडा गया शुल्क नहीं दर्शाया गया था।
- सीबीईसी की सूचना में अहमदाबाद सीमाशुल्क और भुवनेश्वर कमिश्नरी ने कहा कि ईडीआई सिस्टम में दर्ज बीईज के लिए छोडे गए शुल्क की राशि का पता नहीं लगाया जा सका।
- इलाहाबाद कमिश्नरी ने 2012-13 के दौरान एक ठेके का आदि शेष और वि व 13 से वि व 16 के दौरान 'शून्य' जोड/मंजूरी दर्शायी थी तथापि, एक ठेके के अन्त शेष के बजाय उसने वि व

16 में 'शून्य' के रूप में दर्शाया गया था जिसके मिलान की आवश्यकता है।

- अहमदाबाद सीमा शुल्क के संबंध में सीबीईसी डाटा वि व 12 के आदि शेष के रूप में छः ठेके दर्शाये थे और उसने सीमाशुल्क हाऊस के 28 ठेके बिना रिपोर्ट के छोड दिए थे।
- एयर कार्गो काम्पलेक्स, अहमदाबाद में पंजीकृत पांच परियोजना ठेकों को निजी क्षेत्र ठेकों के बजाय सरकारी/पीएसयू क्षेत्र ठेके के रूप में दर्शाया गया था।

इन मामलों में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2016) है।

(iv) परियोजना ठेको के विलम्ब की गलत रिपोर्टिंग

दिनांक 4 मई 2011 के परिपत्र द्वारा बोर्ड ने स्पष्ट किया कि संबंधित सीमाशुल्क आयुक्त को परियोजना आयात मामलों के लम्बन को मानीटर और निर्धारित प्रपत्र में जोन के प्रभारी मुख्य आयुक्त सीमाशुल्क को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क लम्बन को मानीटर करेगा और निर्धारित प्रपत्र में महानिदेशक निरिक्षण (सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क), नई दिल्ली को अगले माह की 15 तक जोन की एक तिमाही समेकित रिपोर्ट भेजेगा। डीजीआईसी एवं सीई बदले में केन्द्रीकृत तरीके से अखिल भारतीय स्तर पर लम्बन को मानीटर करेगा और परियोजना आयात को अन्तिम रूप देने में की गई प्रगति, अनुपालन के प्रवृत्ति इत्यादि के बारे में तिमाही आधार पर बोर्ड को रिपोर्ट करेगा और सुधारात्मक उपाय, यदि कोई हो तो, का सुझाव देगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 12 कमिश्नरियों[57] में दिनांक 4 मई 2011 के परिपत्र में दिए गए निर्देशों को भावनात्मक रूप से लागू नहीं किया गया (जैसा परिशिष्ट 6 में वर्णित है) जिसके परिणामस्वरूप परियोजना आयात मामलों की गलत रिपोर्टिंग हुई।

[57] अहमदाबाद, कांडला, मुंद्रा, आईसीडी शहर, बैंगलोर और मैंगलौर, तूतीकोरीन, कानपुर, एसीसी नई दिल्ली, आईसीडी हैदराबाद नोएडा, एनसीएच और जे एनसीएच मुम्बई

बताए जाने पर (अप्रैल-जुलाई 2016) कांडला सीमाशुल्क कमिश्नरी ने कहा (अगस्त 2016) कि रिपोर्ट की तिमाही प्रस्तुति के लिए लेखापरीक्षा आपत्ति को नोट कर लिया गया और रिपोर्टों और रजिस्टरों को अद्यतित किया गया था।

सीबीईसी के विभिन्न रिकार्डो/क्षेत्रीय संरचनाओं में रखे असंगत सांख्यिकीय सूचना दर्शाती है कि परियोजना आयात मामलों को मानीटर करने के लिए डाटाबेस प्रबन्धन हेतु कोई सुदृढ़ प्रणाली नहीं है।

राजस्व विभाग ने अपने जवाब (दिसम्बर 2016) में लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार कर ली है और कहा है कि संबंधित आयुक्तालय ने सुधारात्मक कार्यवाही शुरू कर दी है।

सिफारिशः लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि बोर्ड परियोजना आयात मामलों के लिये केन्द्रीकृत डाटा बनाने पर विचार कर सकता है ताकि विभिन्न संस्थाओं के बीच डाटा की अनियमितता से बचा जा सके।

बोर्ड ने एग्जिट बैठक के दौरान कहा (19 दिसम्बर 2016) की मंत्रालय पीआईआर की गहन समीक्षा के बाद आईसीईएस 1.5 में केन्द्रीकृत डाटाबेस के सृजन पर सिफारिश से सहमत है।

6.3 बैंक गारंटी (बीजी) और बांड की मानीटरिंग

आयातक को समय समय पर ठेके के पंजीकरण या निष्पादित बीजी/बांड की समाप्ति पर पुनः वैधीकरण के समय बैंक गारंटी (बीजी) बांड देना आवश्यक है जैसा नीचे दिया गया है।

तालिका सं. 16: बैंक गारंटी और बांड

अवधि	प्राप्त की जाने वाली बीजी की राशि	प्राधिकार
बैंक गारंटी		
28.02.2011 तक	प्राप्त की जाने वाली बीजी की राशि ठेके के सीआईएफ मूल्य का 2 प्रतिशत (₹ 50 लाख नकद प्रतिभूति और शेष बीजी के रूप में)	दिनांक 09.08.1995 का परिपत्र
01.03.2011 से	ठेके के सीआईएफ मूल्य के केवल 2 प्रतिशत की बीजी (अधिकतम ₹ 1 करोड़) रोकड प्रतिभूति की समाप्ति समय समय पर बीजी का नवीकरण	दिनांक 01.03.2011. का परिपत्र

सरकारी विभागों/पीएसयूज को छूट		दिनांक 24.03.1993 का परिपत्र
मेगा पावर की अनंतिम स्थिति वाली विद्युत परियोजनाओं के लिए देय शुल्क के बराबर सावधि जमा प्राप्तियां (एफडीआर)बीजी किन्तु परियोजना आयात के अन्तर्गत छूट के लिए, देना आवश्यक है।		दिनांक 17.03.2012 की अधिसूचना के क्रम सं. 507 की शर्त सं. 93 के अनुसार
अवधि	प्राप्त की जाने वाली बीजी की राशि	
बांड		
सीबीईसी की सीमाशुल्क नियमपुस्तक 2014 के अध्याय 5 के पैरा 3.3 (V) की शर्तों में ठेके के सीआईएफ मूल्य के बराबर निरंतरता बांड को पंजीकृत करना भी आयातक द्वारा निष्पादित करना आवश्यक है।		

6.3.1 बीजी और बांड की प्रस्तुती

चार कमिश्नरियों[58] में मार्च 2009 और अप्रैल 2015 के बीच पंजीकृत सात ठेकों में लेखापरीक्षा ने पाया (अप्रैल से जुलाई 2016) कि या तो आयातकों ने बीजी प्रस्तुत नहीं की या उसे कम राशि के लिए प्रस्तुत की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 32.67 करोड़ की बीजी की प्रस्तुती नहीं/कम हुई। एसीसी नई दिल्ली, कमीश्नरी में ₹ 9.10 लाख की बीजी की अत्यधिक प्रस्तुती के दो मामले भी पाए गए थे।

लेखापरीक्षा ने आगे चार कमिश्नरियों[59] के चार ठेकों में पाया कि आयातकों ने ₹232.21 करोड़ की कमी से बांड निष्पादित किए थे।

डीओआर ने आने उत्तर (दिसम्बर 2016) में एसीसी नई दिल्ली, कांडला, कोलकाता और एनसीएच मुम्बई आयुक्तालयों से संबंधित लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया। अहमदाबाद और चेन्नई आयुक्तालयों से उत्तर प्रतीक्षित है।

मंगलुरु आयुक्तालय के सम्बंध में डी ओ आर ने बताया कि आयातक ने चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य प्रमाणपत्र प्राप्त किया था, कोची आयुक्तालय के लिए आगे एक अतिरिक्त बांड पर अमल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, डी ओ आर ने बताया कि बांड का मूल्य प्रासंगिक विनिमय दर पर आयातित किए जाने की संभावना माल के मूल्य पर आधारित है। अलग अलग समय पर विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के कारण आई एन आर का मूल्य अलग अलग होता है। अतः पंजीकृत बाण्ड का मूल्य ₹1700 करोड़ केवल अनुमानित था।

---

[58]अहमदाबाद, एसीसी नइ्र दिल्ली, कांडला और मुम्बई (एनसीएच)

[59]मैंगलोर (एनसीएच) चेन्नई सी सीमाशुल्क, कोचीन और कोलकाता कमिश्नरी

डी ओ आर का जबाब स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि पीआईआर 1986 के तहत बैंक गारण्टी (बीजी) आयातित मूल्य के बराबर होना था।

6.3.2 बीजी और बांड का पुनर्वैधीकरण

लेखापरीक्षा ने पाया कि छः कमिश्नरियों[60], में परियोजना आयात के अन्तर्गत आयातकों द्वारा शुल्क रियायत के लाभ के प्रति निष्पादित ₹ 66.49 करोड़ की बीजी समाप्त हो गई थी, तथापि, उसके नवीकरण के लिए कमिश्नरियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप इन चालू परियोजना करारों में लगे राजस्व की सुरक्षा नहीं हो सकी।

इसके अलावा लेखापरीक्षा ने पाया कि दो मामले[61] जिनमें 2008-09 और 2011-12 के बीच ₹ 1341.53 करोड़ की राशि के बांड निष्पादित किए गए थे, 2009-10 और 2012-13 के बीच समाप्त हो गए थे। बांड की वैधता की समाप्ति पर, कमीश्नरी आयातकों द्वारा चूक होने के मामले में उसे लागू करने के लिए कार्रवाई नहीं कर सकी। इन बाडों के पुनर्वैधिकरण न किए जाने के कारण राजस्व असुरक्षित रहा।

डीओ आर के द्वारा दी गई कमिश्नरीयों की तथ्यात्मक जानकारी परीक्षाधीन है (दिसम्बर 2016)।

6.4 अभिलेखों की रखरखाव

मूल्यांकन नियमावली (खण्ड-1) में निहित प्रावधानो के साथ पठित पीआईआर 1986 के विनियम 4 और 5 में परियोजना आयात करार रजिस्टर का अनुरक्षण परिकल्पित है। प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक कमिश्नरी को निर्धारित प्रपत्र में परियोजना आयात रजिस्टर का अनुरक्षण करना होता है और पंजीकरण के समय नियत परियोजना संख्या/तिथि को दर्ज किया जाना चाहिए। इस रजिस्टर में ठेकों का विवरण, ठेका मूल्य और किए गए आयात (बीई सं./आरए सं.) भी दर्ज करना अपेक्षित है और ठेकों की प्रभावी मानीटरिंग के लिए उचित अधिकारी द्वारा महीने में एक बार पुनरीक्षा की जानी चाहिए।

---

[60]अहमदाबाद, चेन्नई सी सीमाशुल्क, कांडला, कोलकाता लुधियाना, एनसीएच मुम्बई

[61]कांडला कमिश्नरी और मुम्बई (जेएनसीएच) कमीश्नरी में प्रत्येक मामला

6.4.1 लेखापरीक्षा ने पाया कि 15 कमिश्नरियों[62], में परियोजना आयात मामलों से संबंधित रिकार्डों का अनुरक्षण उचित नहीं था। पाई गई कमिश्नरी वार कमियां तथा प्रबन्धन को रिपोर्टिंग में निरन्तरता पर इसके प्रभाव के ब्यौरे **परिशिष्ट** *7* में दिए गए हैं। अभिलेखों के अनुचित अनुरक्षण के सोदाहरण मामलों का विवरण नीचे दिया गया हैः

- आईसीडी खोडियार, एसीसी बैंगलोर, आईसीडी हैदराबाद, पारादीप सीमाशुल्क डिविजन और नोएडा सीमाशुल्क में ठेका रजिस्टरों का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

- 11 सीमा शुल्क पोर्टों[63] में ठेका रजिस्टरों का अनुरक्षण अनुचित रूप से किया गया था, जिसमें आयात विवरण, आयात का मूल्य, दत्त शुल्क, छोडा गया शुल्क इत्यादि, टीआरए आयातों के विवरण जैसे विवरणों की कमी थी। रजिस्टरों को अद्यतित करने के अभाव में लेखापरीक्षा को पंजीकृत ठेकों का मूल्य, अन्तिम रूप दिए गए ठेकों का विवरण, ठेकों के लम्बन इत्यादि संख्या के सटीक ब्यौरे का पता नहीं लग सका।

- मैंगलोर कमिश्नरी में फरवरी 2015 में पंजीकृत एक ठेके (ठेका सं. 1/2005) में, शुल्क का भुगतान फरवरी 2005 में किया गया था। ठेको को दिसम्बर 2006 में अन्तिम रूप दिया गया था और आयातक को नकद प्रतिभूति वापिस नहीं दी गई थी। तथापि, कमिश्नरी ने मार्च 2015 में अर्थात् नौ वर्ष बाद, आयातक को ठेके की स्थिति के बारे में पूछा अर्थात ठेको को अन्तिम रूप दिया गया या नहीं और ओआईओ की प्रति प्रस्तुत करें। अतः आयातक से नौ वर्ष से बाद अन्तिम आदेश की प्रति मांगने से परियोजना आयात मामलों की अनुचित मानीटरिंग का पता चलता है।

- एसीसी नई दिल्ली कमिश्नरी में दो ठेकों (मै. डीएमआरसी लि.) में परियोजना आयात के तहत आयातित माल के मूल्य को डेबिट करते समय सीमाशुल्क द्वारा मेरिट दर पर मंजूर किए गए माल का मूल्य भी बांड मूल्य से डेबिट किए गए जिसके परिणामस्वरूप ठेकों के पंजीकृत मूल्य से ₹ 3.70 करोड़ का अधिक डेबिट हुआ।

---

[62]आईसीडी खोडियार, अहमदाबाद, कांडला, मुंद्रा आईसीडी सिटी बैंगलोर और मैंगलोर, एसीसी, बैंगलोर, चैन्नई, सी कोचीन, एसीसी नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा, एनसीएच, और जेएनसीएच, मुम्बई और तूतीकोरीन।

[63]कांडला मुन्द्रा, आईसीडी (शहर) बैंगलोर, मैंगलोर सीमाशुल्क, चेन्नई सी, तूतीकोरीन, कोचीन, एसीसी नई दिल्ली, कोलकाता, एनसीएच मुम्बई और जेएनसीएच, मुम्बई।

ठेका रजिस्टरों का अनुरक्षण न करने अनुचित अनुरक्षण के कारण उच्च अधिकारियों द्वारा घटिया आन्तरिक नियंत्रण प्रबन्धन हुआ।

डीओआर ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2016) में बताया कि सभी कमिश्नरीयों ने लेखापरीक्षा अवलोकन को अनुपालन के लिए उल्लेख किया है।

6.4.2 मुम्बई कमिश्नरी, एनसीएच, कान्ट्रेक्ट सैल में 848 लम्बित/चालू ठेका फाइलें है जिनमें 31 मार्च 2016 तक ₹ 30,252.15 करोड़ का सीआईएफ मूल्य निहित था, जिसमें से वर्ष 1990 से 2010 से संबंधित 177 (21 प्रतिशत) फाइलें है जिनमें ₹ 3,031.03 करोड़ का सीआईएफ मूल्य निहित था और जिन्हें कान्ट्रेक्ट सैल में गायब/पता नहीं लग रहा बताया गया था जैसा परिशिष्ट 8 में ब्यौरा दिया गया है। इन कुछ गायब फाइलों में आयातित माल का मूल्य काफी अधिक था जिसमें काफी शुल्क रियायत शामिल थी। इन ठेका फाइलों की मानीटरिंग काफी प्रबलता से की जानी चाहिए थी और सभी दस्तावेजों की प्राप्ति और उनके संस्थापन और अन्तिम उपयोग के बारे में आश्वासन के बाद उन्हें अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए था। निम्नलिखित विवरण उन ठेका फाइलों की संख्या तथा लागत को दर्शाता है जो गायब थीः-

तालिका सं. 17: एनसीएच मुम्बई में गायब फाइलों का सार

गायब फाइलों का विवरण	आयात वाली फाइलें>₹ 100 करोड़	₹ 100 और 50 करोड़ के बीच आयात वाली फाइले	₹ 50 और 50 करोड़ के बीच आयात वाली फाइले	आयात वाली फाइले <₹ 10 करोड़
फाइलों की संख्या	7	6	17	147
कुल सीआईएफ मूल्य	2090.18	467.16	332.46	141.23
अवधि	1996 से 2008	2005 से 2008	1990 से 2009	1995 से 2007

एनसीएच मुम्बई कमिश्नरी/बोर्ड परियोजना आयात सैल से इतनी सारी फाइलों के गायब होने के कारण के बारे में पता कर सकती है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)

6.5 अंतर्विभागीय प्राधिकारियों के बीच समन्वय का अभाव

कांडला कमिश्नरी में, लेखापरीक्षा ने पाया (अप्रैल-जुलाई 2016) कि अन्र्त-विभागीय प्राधिकारियों के बीच उचित समन्वय की कमी थी, जैसा नीचे वर्णित है:-

6.5.1 एक आयातक[64] (पंजीकरण सं. 04/2006 दिनांक 15 जून 2006) का अन्तिम आयात 24 जनवरी 2007 को पूरा किया गया था और आयातक ने दिनांक 20 जून 2009 के पत्र द्वारा ठेके को अन्तिम रूप देने का निवेदन किया था जिसके बाद सीमा शुल्क, कांडला ने सीमाशुल्क नावा शेवा, मुम्बई को अन्तिम रूप दी गई बीईज प्रस्तुत करने का निवेदन किया था ताकि दिनांक 31 जुलाई 2009 के पत्र द्वारा परियोजना ठेके को अन्तिम रूप दिया जा सके। इस संबंध में, यद्यपि, सीमा शुल्क कांडला द्वारा चार अनुस्मारक जारी किए गए थे, छः वर्षों से अधिक बीत जाने के बाद भी सीमा शुल्क नावा शेवा, मुम्बई द्वारा अभी तक (जून 2016) कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई थी।

डीओआर ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2016) में बताया कि कांडला कमिश्नरी ने मैसर्स आई डी एम सी लिमिटेड को एससीएन जारी किया है।

6.5.2 अन्य मामले में, एक आयातक[65] को इकाई के आरम्भिक समायोजन हेतु पंजीकरण संख्या 04/2008 दिनांक 9 सितम्बर 2008 द्वारा पंजीकृत किया गया (सितम्बर 2008)। इसी इकाई को पंजीकरण संख्या 06/2010 दिनांक 29 जून 2010 द्वारा आरम्भिक समायोजन (दूसरी बार) के लिए परियोजना आयात के अन्य पंजीकरण हेतु पुनः स्वीकृति दी गई भले ही इसे महत्वपूर्ण पंजीकरण के तहत पंजीकृत किया जाना था। न तो समर्थन प्राधिकरण न ही सीमा शुल्क प्राधिकरण/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जो आयातक द्वारा की गई घोषणा पर पूर्ण रूप से निर्भर है, को यह जानकारी थी कि इकाई 'आरम्भिक समायोजन' अथवा 'महत्वपूर्ण विस्तार' की श्रेणी के अन्तर्गत आती है इसके परिणामस्वरूप सीई प्रमाणपत्र, वार्षिक लेखा बहियों/तुलन पत्र आदि जैसे दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करके महत्वपूर्ण विस्तार के उनके दावों को सही साबित करने के लिए बोर्ड के निर्देशो का अनुपालन नहीं हुआ।

---

[64] मै. आईडीएमसी, आनंद

[65] मै. रामोजी ग्रेनाइट लि.

डीओआर ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2016) में बताया कि दोनों परियोजनाओं के प्रायोजन प्राधिकरण की सिफारिश के आधार पर प्रारंभिक सेटिंग के रूप में दर्ज किए गए थे।

विभाग का उत्तर स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि मेसर्स रामोजी ग्रेनाइट लिमिटेड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सचिवालय के औद्योगिक सहायता पावती दिनांक लाख वर्ग मीटर की मौजूदा 36 के अनुसार 2010/05/24 लाख वर्ग मीटर की अति 19 क्षमता वाली एक इकाई थी औररिक्त क्षमता प्रस्वावित थी और यह आयात परियोजना पंजीकरण सं 2010/6.दिनांक के पर्याप् 2010/06/29त विस्तार हेतु माल का आयात किया गया। यद्यपि, केवल स्वीकार करने और अधिकार प्रमाणपत्र के प्रायोजन पर परियोजना आधारित पंजीयन यह दर्शाता है कि विभागों के बीच में कोई उचित आंतरिक नियंत्रण नहीं है।

6.5.3 इसके अलावा, एक अन्य मामले में एक आयातक[66] को सीआईएफ ₹ 13.20 करोड़ मूल्य हेतु पंजीकरण संख्या 19/2008 के तहत पंजीकृत किया गया तथा लेखापरीक्षा के समय (मार्च 2016) विलम्ब को अंतिम रूप देने हेतु सूचित किया गया। इस ठेके के तहत किए गए निर्यात का विवरण सीमा शुल्क, कांडला के रिकार्ड में नहीं था।

हालांकि लेखापरीक्षा ने क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रेंज, वांकानेर के साथ आयातक के विवरणो की दोहरी जांच की तथा यह पाया कि इकाई ने इसी ठेके के तहत चार बीईज के माध्यम से अक्तूबर तथा नवम्बर 2008 के बीच ₹ 2.99 करोड़ के पूंजीगत माल का आयात किया तथा ठेके को अंतिम रूप देने पर कांडला सीमा शुल्क ने ₹ 8.68 लाख की नकद प्रतिभूति जमा को वापिस किया।

यद्यपि डीओआर ने अपने उत्तर में (दिसम्बर 2016) कहा है कि परियोजना को अंतिम रूप दे दिया गया है जबकि परियोजना को अंतिम रूप देने की तिथि उपलब्ध नहीं कराई।

---

[66] मै. वर्मारोग्रेनाइटो प्रा. लि., वांकानेर

ये मामले सीमा शुल्क तथा अन्य अन्तर विभागीय प्राधिकरणो के बीच समन्वय के अभाव को दर्शाते है जिसके परिणमास्वरूप अनावश्यक विलम्ब तथा प्रक्रियाओं का गैर अनुपालन हुआ।

डीओआर ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2016) में बताया कि परियोजना को अंतिम रूप दे दिया गया। परन्तु लेखापरीक्षा ने मार्च 2016 में पाया कि मामला आयात के विवरण के कारण लम्बित था।

6.6 अतिरिक्त ठेके नजरअंदाज करते हुये ठेके को अनुचित रूप से पूर्ण करना

कांडला आयुक्तालय में लेखापरीक्षा ने देखा कि आयातक[67] को आरम्भ में सीआईएफ मूल्य हेतु संख्या 18/2010 (सितम्बर 2010) द्वारा ₹ 12.05 करोड़ के सीआईएफ मूल्य हेतु पंजीकृत किया गया था तथा बाद में, ₹ 5.12 करोड़ सीआईएफ मूल्य के अतिरिक्त पंजीकरण को जोड़ा गया (फरवरी 2011)।

दिनांक 17 अक्तूबर 2011 के ओआईओ के सत्यापन के पश्चात, यह देखा गया कि ठेके को ₹ 12.05 करोड़ सीआईएफ मूल्य हेतु अंतिम रूप दिया गया था तथा आयातक को ₹ 24.15 लाख की नकद प्रतिभूति भी वापिस की गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि ओआईओ में ₹ 5.12 करोड़ की शेष राशि पर विचार नहीं किया गया तथा ₹ 5.12 करोड़ के अतिरिक्त ठेके को नजरअंदाज करते हुए ठेको को अंतिम रूप दिया गया तथा ठेके को अंतिम रूप दिए जाने के बावजूद भी आयातक को ₹ 10.24 लाख की नकद प्रतिभूति जारी नहीं की गई ।

डी ओ आर ने अपने उत्तर (2016 रदिसम्ब)में बताया कि को 2011/02/01 ₹ 5.12 करोड़ की सी आई एफ मूल्य की अतिरिक्त परियोजना जोड़ दी गई। इस मामले में परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए शेष राशि को एस सी एन ने जारी किया।

6.7 निष्कर्ष

सीमाशुल्क विभाग ने ईडीआई सिस्टम के माध्यम से अपने परिचालनो को कम्प्यूटरीकृत किया है, निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला है कि ईडीआई

[67] मै. दोनाटो वर्टीफाइड प्रा. लि.

सिस्टम के अन्दर परियोजना आयात योजना को संघटित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। फलतः योजना की मैन्युअल हस्तक्षेपो की जटिल तथा निर्भर मॉनीटरिंग करने के अलावा योजना के तहत पंजीकृत परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी आयातो की सम्पूर्ण स्थिति का पता लगाना लगभग असम्भव है। मंत्रालय को परियोजना आयात ठेको की बेहतर रिपोर्टिंग तथा उन्हें समय पर अंतिम रूप देने के लिए डाटा बेस प्रबंधन को मजबूत करने तथा आन्तरिक नियंत्रणों को कठोर करने हेतु योजना कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग तथा नियंत्रण की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

जेएनसीएच आयुक्तालय, मुम्बई में आयुक्तालयों द्वारा अभिलेखो के खराब अनुरक्षण तथा चालू परियोजनाओं की काफी अधिक गायब परियोजना आयात फाइलो के मामलो से आयुक्तालयों में अपर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण तंत्र का पता चलता है।

अध्याय 7: निष्कर्ष

यह योजना को 1965 में लागू की गई तथा 1986 में संशोधन कर दिया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार के पूंजीगत माल और देश आधारित निर्माण क्षमता को बढाने, औद्योगिक संयंत्रों में स्पेयर पार्टस का उपयोग, और तदुपरान्त आयातकों को आयातित माल की सीमा शुल्क निकासी में एकल वर्गीकरण एकल दर सरलीकरण में तेजी लाना है।

हालांकि, इसमें पिछले 15 वर्षों के दौरान शुल्क ढांचे का सरलीकरण संशोधन/ तथा एक औद्योगिक संयत्र अथवा परियोजना को प्रारम्भ करने के लिए अपेक्षित माल की श्रेणियों में शुल्क की दर को कम किया गया है। ऐसे ईपीसीजी शून्य शुल्क ईपीसीजी और अन्य व्यापार को बढ़ावा देने के उपय के रूप में अन्य योजनाओं के निर्माता-निर्यातक के लिए पूंजीगत वस्तुओं के लिए समान प्रकार के लाभ उपलब्ध कराने की आयात परियोजना शुरू की गयी।

यद्यपि राजस्व विभाग ने बताया कि इस योजना का ईपीसीजी जैसी अन्य योजनाओं की बजाए अपना अस्तित्व है, कयोंकि यह निर्यात दायित्वों के साथ ठप नहीं पड़ती।

वि. व. 12 से वि. व. 16 के दौरान अधिकतर पंजीकृत ठेकों में गिरावट आयी तथा इन वर्षों के दौरान, योजना के तहत राजस्व सृजन और पंजीकृत नए ठेकों की प्रतिशतता लगभग आधी (49 प्रतिशत) हुई है तथा परियोजना से राजस्व 40 प्रतिशत कम हुआ। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए परियोजना आयात स्कीम पर निष्पादन सर्वीक्षा की गई थी।

योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा ने सांविधिक प्रावधानों में उन कमियों/अन्तर को दर्शाया जिसने कानून के असंगत अनुप्रयोग के अवसर बनाए है।

अनुपालन मामलों पर लेखापरीक्षा आपतितयां योजना क्रियान्वयन में संपूर्ण अक्षमता तथा विभाग की ओर से अपूर्ण कार्यवाही की सूचक है। कुछ व्यापार सुविधा उपायों पर डाटा तथा सूचना की तुलना करने पर लेखापरीक्षा ने यह निष्कर्ष निकाला है कि व्यापार सुविधा के लाभ परियोजना आयात को प्राप्त नहीं हुए हैं। वास्तव में अधिक संव्यवहार लागतें मध्यम तथा लघु स्तर के आयातको निर्माताओं को योजना के लाभ लेने से दूर रख सकती थी।

अंततः ईडीआई सिस्टम के साथ परियोजना आयात योजना के समेकन का अभाव याजना के बेहतर क्रियान्वयन तथा मॉनीटरिंग के लिए सबसे बड़े चूक मामलों में से एक है।

कुल मिलाकर उक्त निष्कर्ष दर्शाते हैं कि परियोजना आयात योजना पूंजीगत आयात तथा शुल्क ढ़ांचे के युक्तिकरण हेतु तथा नई अधिक लाभकारी योजनाओं के संदर्भ में इसके उपयोग को समाप्त कर सकती है। राजस्व विभाग ने स्वीकार किया कि स्वदेशीकरण की वृद्धि के कारण आयातित प्रोद्योगिकी और मशीनरी पर कम भरोसा करने की जरूरत है और यह भी कि सभी छूटें जीएसटी के कार्यान्वयन के संदर्भ में समीक्षा के अधीन है इस प्रकार इस योजना की समीक्षा और अन्तर मंत्रालयी परामर्श के माध्यम से नई परियोजनाओं के पुर्नारम्भ करने के लिए सही समय है।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में ₹ 203 करोड़ के प्रणालीगत मुद्दों के साथ-साथ, ₹ 1,822 करोड़ का राजस्व निहितार्थ है जिसकी आंतरिक नियंत्रण मामले जिनकी मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती के अतिरिक्त मौजूदा नियमों और विनियमों में अनियमितता और अस्पष्टता के कारण वसूली नहीं की जा सकती।

नई दिल्ली **(शेफाली एस अंदलीब)**

दिनांक: 24 जनवरी 2017 **प्रधान निदेशक (सीमा शुल्क)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**

दिनांक: 24 जनवरी 2017 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1

परियोजना आयातो के लिए योग्यता, पंजीकरण, आयात, समेकन, संयंत्र स्थल सत्यापन तथा निर्धारण /ठेका प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देना ।

योग्यता : पीआईआर 1986 के विनियम 4 के अनुसार, परियोजना आयात लाभ उन मदो के लिए उपलब्ध है जिनका आयात सीमा शुल्क प्राधिकरण में पंजीकृत एक या अधिक विशिष्ट ठेको के प्रति किया गया है। योजना प्रमुख ठेकेदार[68] को माल की आपूर्ति करने वाले प्रमुख ठेकेदार के साथ उप ठेकेदार(ओ) के लिए उपलब्ध है।

पंजीकरण: आयातक को पहले संबंधित तथा अधिसूचित प्रायोजक प्राधिकरण (मंत्रालय/विवरण सरकारी विभाग तथा अन्य) से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है। इसके पश्चात, माल/ठेको की स्वीकृत सूची को उस सीमा शुल्क पोर्ट पर पंजीकृत किया जाना है जहां से आयातक माल का आयात करना चाहता है। अपेक्षित दस्तावेजो का सत्यापन करने के पश्चात सीमाशुल्क पोर्ट परियोजना ठेके को पंजीकृत करता है तथा पंजीकरण संख्या का वितरण करता है। लागत, बीमा तथा मालभाड़ा (सीआईएफ) मूल्य/बैंक गारंटी (पीएसयूज को छोड़कर) के समान बांड को आयातक द्वारा क्रियान्वित किया जाना है।

आयात करना: पंजीकरण के पश्चात, आयातक टेलीग्राफिक रिलीज एडवाइस (टीआरए) सुविधा का लाभ लेने के बाद या तो पंजीकरण के पोर्ट से या अन्य पोर्टो से स्वीकृत माल का आयात कर सकता है। आयातित माल को पहले सीटीएच 9801 के तहत सीमा शुल्क पोर्ट द्वारा अनंतिम रूप से निर्धारित किया जाता है तथा परियोजनाओं की प्रकृति के अनुसार, संबंधित अधिसूचना में प्रदत्त अनुसार 'शून्य'/रियायती दर पर शुल्क का उदग्रहण किया जाता है।

समेकन विवरण: पीआईआर 1986 के विनियम *7* के अनुसार, आयातक पिछले आयात की तिथि से तीन माह के अन्दर अथवा ऐसी विस्तारित अवधि जैसा भी उचित अधिकारी स्वीकृत करें, के अन्दर मशीनरी की प्रत्येक आयातित मद के संस्थापन को प्रमाणित करते हुए एक पंजीकृत /प्रमाणित

[68] सीबीईसी (एमओएफ) की परिपत्र संख्या 490/56/99-सीएक्स दिनांक 25.01.1999

चार्टर्ड इंजीनियर से एक प्रमाणपत्र के साथ आयातित माल का विवरण, मात्रा तथा मूल्य दर्शाने वाला 'समेकन विवरण' प्रस्तुत करेगा।

संयंत्र स्थल सत्यापन: आयातित मशीनरी/माल को परियोजनाओं में वास्तव में संस्थापित/प्रयुक्त किया गया है, इसे सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरी द्वारा ऐसे मामलो में जहां परियोजना का मूल्य ₹ 1 करोड़ से अधिक था तथा चयनित आधार पर अन्य मामलो में संयंत्र स्थल सत्यापन (पीएसवी) करना अपेक्षित है। 'महत्वपूर्ण विस्तारण'[69] परियोजना हेतु, आयातक को परियोजना का 'महत्वपूर्ण विस्तारण' स्थापित करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

निर्धारण/ठेके को अंतिम रूप देना: पंजीकरण के पोर्ट/अन्य पोर्टो पर निर्धारण को अंतिम रूप देने के पश्चात, परियोजना ठेके को पंजीकरण पोर्ट द्वारा तब अंतिम रूप दिया जाता है जब ठेका पंजीकृत हो चुका हो।

---

[69] विनियम 3(सी) के अनुसार, महत्वपूर्ण विस्तारण का अर्थ उस विस्तारण से है जो मौजूदा संस्थापित क्षमता को 25 प्रतिशत से कम नहीं बढाएगा। एमओएफ की पत्र संख्या 521/192/90-सीशु.टीयू दिनांक 12 मार्च 1992 के अनुसार, सीई प्रमाणपत्र, लेखाबही आदि जैसे दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

परिशिष्ट 2

परियोजना आयात योजना के अंतर्गत जोन वार सीमाशुल्क राजस्व

क. ***सीबीईसी (डीजीपीएम)***

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कमिश्नरी	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	कुल
1	एसीसी(आयात), (दिल्ली)	1.31	2.13	2.25	17.61	23.87	47.17
2	आगरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	अहमदाबाद	19.18	40.75	94.83	0.00	0.00	154.76
4	अहमदाबाद केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	एयरपोर्ट एंड एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बैंगलौर	0.00	0.42	0.32	0.00	0.33	1.07
6	इलाहबाद	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00	15.89
7	औरंगाबाद	0.00	0.00	2.61	36.47	28.35	67.43
8	बैंगलोर सीई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	भोपाल	0.00	2.67	28.70	24.99	14.39	70.75
10	चेन्नई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	चेन्नई सीमाशुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	सिटी सीमा शुल्क, बैंगलोर	10.33	13.00	3.80	2.75	1.64	31.52
13	कोचीन सीमा शुल्क	0.00	0.00	11.81	72.81	303.54	388.16
14	कोयम्बटूर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	सीमा शुल्क कमीश्नरी, विशाखापत्तनम	300.28	170.65	224.76	76.05	90.20	861.94
16	सीमा शुल्क (निवारक), भुवनेश्वर	93.50	22.75	24.87	0.00	0.00	141.12
17	सीमा शुल्क कमिश्नरी, विजयवाड़ा	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	23.59
18	हैदराबाद	0.04	0.93	4.60	25.41	15.36	46.34
19	आईसीडी पटपड़गंज एंड अन्य आईसीडीएस (दिल्ली)	0.00	0.00	0.00	0.00	41.42	41.42
20	जयपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	जामनगर	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	2.67
22	जोधपुर	0.00	7.12	19.89	2.40	0.23	29.64
23	कांडला	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	कानपुर	19.58	1.51	17.34	0.30	3.86	42.59
25	कोलकाता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	कोलकाता सीमा शुल्क	405.66	620.24	712.48	504.27	205.33	2447.98
27	लखनऊ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	लुधियाना	1.50	1.15	0.00	0.00	0.00	2.65

29	मैंगलुरू सीमा शुल्क कमिश्नरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	मुंबई I सीई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	मुंबई II सीई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	मुंबई III सीमाशुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	मुंबई-I सीमा शुल्क	1078.93	934.02	597.54	288.86	162.96	3062.31
34	मुंबई-II सीमा शुल्क	458.16	452.28	508.43	263.76	217.24	1899.87
35	मुंद्रा	0.00	0.00	0.00	0.00	9.39	9.39
36	मैसूर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	नागपुर-I	0.00	7.51	21.81	10.03	4.95	44.30
38	नागपुर-II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	नासिक-I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	नासिक-II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	नोएडा सीमा शुल्क	0.00	0.00	3.23	0.00	0.00	3.23
42	पटना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	पुणे	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	10.54
44	रायपुर	0.00	16.17	17.90	2.45	25.91	62.43
45	शिलांग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	तिरुचिरापल्ली	0.00	3.64	8.05	0.00	0.00	11.69
47	वडोदरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	वर्धा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	2422.60	2312.83	2305.22	1328.16	1151.64	9520.45

ख. सीबीईसी वेबसाइट (*cbecddm.gov.in*)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कमिश्नरी	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (नवम्बर 14 तक)	कुल
1	मुंबई सीमा शुल्क जोन I	1081.62	934.02	597.54	194.68	2807.86
2	कोलकाता जोन	413.03	626.04	717.78	347.68	2104.53
3	मुंबई सीमा शुल्क जोन II	459.17	452.45	508.43	178.9	1598.95
4	चेन्नई सीमाशुल्क जोन	410.1	421.68	234.88	129.65	1196.31
5	विजाग जोन	519.96	183.33	242.06	45.77	991.12
6	अहमदाबाद सीमा शुल्क जोन	434.16	186.79	209.56	99.81	930.32
7	चेन्नई निवारक जोन	229.14	92.62	0.65	1.92	324.33
8	बैंगलोर जोन	169.23	74.38	41.37	20.2	305.18
9	भोपाल जोन	0	44.18	56.81	23.5	124.49
10	अन्य (15 जोन)	42.99	58.72	150.04	143.74	395.49
	परियोजना आयात से राजस्व का कुल योग	3759.40	3074.21	2759.12	1185.85	10778.6
	अखिल भारतीय सीमाशुल्क राजस्व	149328	165346	172033	--	

स्रोत:http://cbecddm.gov.in

ग. डीजी (प्रणाली और डाटा प्रबंधन)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	पोर्ट का नाम	पोर्ट कोड	संगृहीत शुल्क				
	वर्ष		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	अहमदाबाद एयर	आईएनएएमडी4	0.04	0.00	0.02	0.11	3.40
2	बैंगलोर एयर	आईएनबीएलआर4	1.44	2.11	3.96	0.87	5.46
3	बोम्बे सी	आईएनबीओएम1	448.17	518.68	365.03	190.30	113.19
4	बोम्बे एयर	आईएनबीओएम4	6.58	9.10	10.37	9.01	13.58
5	बड़ौदा आईसीडी	आईएनबीआरसी6	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
6	कोलकाता सी	आईएनसीसीयू1	300.92	409.02	466.29	323.58	104.18
7	कोलकाता एयर	आईएनसीसीयू4	2.54	5.65	3.74	0.92	1.39
8	कोचीन सी	आईएनसीओके1	0.00	0.00	2.79	36.58	227.70
9	कोचीन	आईएनसीओके4	0.00	0.00	0.00	0.43	4.79
10	दादराई-सीजीएमएल	आईएनसीपीएल6	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
11	दिल्ली एयर	आईएनडीईएल4	1.19	1.64	1.58	15.17	12.08
12	नोएडा-दादरी आईसीडी	आईएनडीईआर6	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00
13	डीघी (पुणे)	आईएनडीआईजी6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
14	गंगावरम पोर्ट	आईएनजीजीवी1	1.44	0.18	1.86	0.00	0.00
15	गढ़ीहरसारू - आईसीडी	आईएनजीएचआर6	0.00	0.35	0.00	0.00	9.41
16	हैदराबाद एयर	आईएनएचवाईडी4	0.63	0.26	1.23	1.41	0.04
17	कांडला सी	आईएनआईएक्सवाई1	12.36	2.25	8.57	1.88	0.00
18	जयपुर	आईएनजेएआई4	0.00	0.80	1.26	0.13	0.21
19	काकिनाडा	आईएनकेएके1	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20	कनकपुरा - जयपुर आईसीडी	आईएनकेकेयू6	0.00	5.66	11.96	2.39	0.00
21	कानपुर - जेआरवाई (आईसीडी)	आईएनकेएनयू6	0.00	0.00	2.49	11.56	3.51
22	कृष्णापट्टनम	आईएनकेआरआई1	0.00	0.00	0.12	0.22	0.02
23	कराईकल	आईएनकेआरके1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	लुधियाना	आईएनएलडीएच6	0.75	0.62	0.00	0.00	0.00
25	चेन्नई सी	आईएनएमएए1	295.60	310.94	161.18	151.57	213.58
26	चेन्नई एयर	आईएनएमएए4	7.10	5.05	2.46	0.66	9.75
27	मण्डीदीप	आईएनएमडीडी6	0.00	2.37	16.91	24.60	14.39
28	मुलुंड	आईएनएमयूएल6	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
29	मुंद्रा	आईएनएमयूएन1	138.23	70.79	72.60	90.35	37.69
30	आईसीडी मालीवाडा	आईएनएमडब्ल्यूए6	0.00	0.00	1.25	4.96	2.48
31	नागपुर	आईएनएनजीपी6	0.00	4.33	14.95	9.40	3.75
32	मंगलौर सी	आईएनएनएमएल1	0.43	0.09	0.00	0.00	0.00
33	नहावाशेवा सी	आईएनएनएसए1	307.93	303.65	371.97	194.28	157.99
34	पीपावा (विक्टर)	आईएनपीएवी1	0.79	1.84	9.70	49.30	19.54
35	केएलपीपीएल-आईसीडी/ पंकी	आईएनपीएसके6	0.00	0.00	1.16	0.85	0.00
36	पटपड़गंज	आईएनपीपीजी6	0.26	0.14	0.60	0.65	3.43

क्र.सं.	पोर्ट का नाम	पोर्ट कोड	संगृहीत शुल्क				
	वर्ष		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
37	पारादीप	आईएनपीआरटी1	127.55	38.87	70.28	1.26	0.05
38	पातली आईसीडी	आईएनपीटीएल6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
39	रायपुर	आईएनआरएआई6	0.00	15.20	14.36	0.37	0.05
40	थार - आईसीडी	आईएनएसएयू6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	साबरमती आईसीडी	आईएनएसबीआई6	0.00	9.11	0.24	0.68	0.00
42	हैदराबाद	आईएनएसएनएफ6	0.04	0.75	2.64	6.55	0.37
43	दादरी - एसटीटीपीएल (सीएफएस)	आईएनएसटीटी6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
44	तुगलकाबाद	आईएनटीकेडी6	7.77	9.24	13.75	35.31	98.88
45	तूतीकोरिन सी	आईएनटीयूटी1	0.00	1.05	0.65	1.16	0.00
46	तूतीकोरिन आईसीडी	आईएनटीयूटी6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	तोंडियारपेट आईसीडी चेन्नई	आईएनटीवीटी6	0.00	2.38	1.13	5.07	15.33
48	विजाग सी	आईएनवीटीजेड1	109.22	121.79	160.36	47.17	63.01
49	विशाखापत्तनम	आईएनवीटीजेड4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	बैंगलोर आईसीडी	आईएनडब्ल्यूएफडी6	135.60	59.34	46.59	20.71	21.18
		कुल योग	**1930.81**	**1913.27**	**1844.39**	1239.44	**1161.78**

घ. वि.व. 12 से वि.व. 16 के दौरान परियोजना आयात योजना के तहत क्षेत्रवार आयात और अदा शुल्क

क्षेत्र	कुल आयत में शेयर (%)	शुल्क भुगतान में शेयर (%)
विद्युत क्षेत्र	64.04	29.72
सभी वस्तुएं (घरेलू परियोजनायें/ वस्तुएं	29.68	62.12
अन्य	6.28	8.16
कुल...	**100**	**100**

2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए परियोजना का श्रेणीवार सार

परियोजना की श्रेणी	क्षेत्र	निर्धारणीय मूल्य (₹)	अदा शुल्क	निर्धारणीय मूल्य में शेयर (% में)	शुल्क भुगतान में शेयर (% में)
सभी वस्तुएं	सभी वस्तुएं (घरेलू परियोजनायें/ वस्तुएं	2,16,31,50,87,669	49,19,46,86,490	29.68	62.12
बर्ज माउंटेड विद्युत संयंत्र	विद्युत क्षेत्र	15,26,73,864	3,19,71,477	0.02	0.04
कोयला खनन परियोजना	कोयला खनन	26,50,42,65,416	4,77,63,60,546	3.64	6.03
दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना	मेट्रो परियोजना	25,82,83,226	0	0.04	0.00
उर्वरक परियोजना	उर्वरक	8,34,99,35,215	1,27,16,01,562	1.15	1.61

परियोजना की श्रेणी	क्षेत्र	निर्धारणीय मूल्य (₹)	अदा शुल्क	निर्धारणीय मूल्य में शेयर (% में)	शुल्क भुगतान में शेयर (% में)
मेगा पावर परियोजनाओं के विस्तार हेतु आवश्यक वस्तुएं	विद्युत क्षेत्र	1,31,56,95,662	3,34,41,234	0.18	0.04
एलएनजी रीगैसीफिकेशन संयंत्र की परियोजनाओं हेतु आवश्यक वस्तुएं	एलएनजी	51,22,69,269	11,61,86,881	0.07	0.15
उच्च वोल्टेज विद्युत ट्रांसमिशन परियोजना	विद्युत क्षेत्र	1,42,16,18,640	30,05,83,293	0.20	0.38
आयरन ओर पेलेट प्रोजेक्ट्स	लौह अयस्क	1,33,56,30,831	26,15,22,223	0.18	0.33
धाबोल में एलएनजी विद्युत परियोजना	एलएनजी	8,74,37,344	0	0.01	0.00
मंडियों/वेयरहाऊसों में मशीनीकृत हैंडलिंग प्रणाली और पैलेट ट्रैकिंग प्रणाली	मंडियों में मशीनीकृत हैंडलिंग प्रणाली	65,04,77,459	3,57,90,417	0.09	0.05
मेगा विद्युत परियोजना	विद्युत क्षेत्र	97,13,01,52,501	1,42,16,386	13.33	0.02
मेगा विद्युत परियोजना – 1000 मेवा या अधिक के अंतरराज्यीय तापीय संयंत्र	विद्युत क्षेत्र	1,52,09,77,458	3,81,56,716	0.21	0.05
मेगा विद्युत परियोजना (1000 मेवा या अधिक की तापीय) (अन्य राज्य)	विद्युत क्षेत्र	2,09,16,00,11,203	3,30,61,946	28.70	0.04
मेगा विद्युत परियोजना (700 मेवा या अधिक की तापीय) * (जेएण्डके_पूर्वोत्तर राज्य)	विद्युत क्षेत्र	29,33,18,79,080	1,68,790	4.03	0.00
नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एण्ड आरएण्डडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट - नैट्रिप	नैट्रिप	1,91,03,47,559	0	0.26	0.00
440 या अधिक मेवा. वाले नाभिकीय विद्युत संयंत्र	विद्युत क्षेत्र	21,41,69,83,745	0	2.94	0.00
विद्युत उत्पादन परियोजना (गैस टर्बाइन सहित)	विद्युत क्षेत्र	68,31,65,35,544	14,86,09,31,563	9.37	18.76
विद्युत ट्रांसमिशन वितरण परियोजनाओं	विद्युत क्षेत्र	33,18,49,29,995	7,44,66,12,198	4.55	9.40
66 केवी और अधिक की विद्युत ट्रॉसमिशन परियोजनायें	विद्युत क्षेत्र	3,71,31,87,724	77,76,67,619	0.51	0.98
जल आपूर्ति परियोजना	जल आपूर्ति	4,30,40,61,841	36,32,165	0.59	0.00
जल आपूर्ति परियोजना (मानवीय/पशुओं की खपत के लिए)	जल आपूर्ति	1,81,94,38,852	7,29,607	0.25	0.00
कुल		7,28,71,18,80,096	79,19,73,21,114		

ड. वि.व. 12 से वि.व. 16 के दौरान कई निर्यातकों, निर्धारणीय मूल्य और संग्रहीत शुल्क की वर्षवार प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आयातकों की सं.	आयात का मूल्य	संग्रहीत कर
वि.व.12	257	44852	4066
वि.व.13	220	39765	3399
वि.व.14	214	31995	3364
वि.व.15	184	29875	2632
वि.व.16	196	22647	2204

स्रोत: राजस्व विभाग

परिशिष्ट 3

लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न की गई फाइलों की सूची

क्र. सं.	आयातक का नाम (मै.)	परियोजना पंजीकरण	तिथि	सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)
आईसीडी/टीकेडी, तुगलकाबाद				
1	लॉयड इन्सुलेशन	06/11	07.05.2011	4.56
2	एसआर पर्यावरण इंजी. (प्रा.) लिमिटेड	08/11	08.12.2011	2.51
3	लॉयड इन्सुलेशन	17/12	02.01.2012	2.67
4	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन	22/12	20.6.2012	7.94
5	देवभूमि	26/12	23.7.2012	4.22
6	भरत प्रेसीज़न इंस्ट्रूमेंट कंपनी	4/13	25.06.2013	1.01
7	दिल्ली मेट्रो रेल निगम	8/13	17.09.2013	184.81
8	अजीत इंडिया इंटरप्राइजेज	01/14	1.03.2014	2.06
9	एबेल कोल्ड स्टोरेज़	04/14	01.03.2014	2.03
10	एसआर पर्यावरण इंजी. (प्रा.) लिमिटेड	09/14	22.04.2014	1.71
11	त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड	10/14	28.04.2014	2.74
12	गैमन सीएमसी ज्वाइंट वेंचर	13/14	30.06.2014	19.30
13	हिम फ्रेश प्रोड्यूस कंपनी	16/14	08.01.2014	4.99
14	दिल्ली मेट्रो रेल निगम	18/14	08.12.2014	35.14
15	दिल्ली मेट्रो रेल निगम	19/14	27.08.2014	133.77
16	दिल्ली मेट्रो रेल निगम	30/14	29.12.2014	46.00
17	दिल्ली मेट्रो रेल निगम	1/15	01.08.2015	56.00
18	गैमन सीएमसी ज्वाइंट वेंचर	3/15	02.12.2015	15.41
19	फिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	4/15	26.3.2015	6.40
20	दिल्ली मेट्रो रेल निगम सी/ओ कालिंदी वीएनसी.जेवी	6/15	25.06.2015	34.51
21	दिल्ली मेट्रो रेल निगम सी/ओ कालिंदी वीएनसी.जेवी	8/15	15.07.2015	29.75
22	अल्पाइन फ्रेश	9/15	08.03.2015	3.85
23	नोर ब्रेम्से प्रा. लिमिटेड	14/15	30.09.2015	10.52
24	सोमानी सेरेमिक्स प्रा. लिमिटेड	17/15	11.05.2015	22.38
25	दिल्ली मेट्रो रेल निगम	19/15	12.02.2015	27.74
26	एम जे कास्टिंग लिमिटेड	05/2011	2.05.2011	15.74
27	जय भारत	13/2011	25.11.2011	37.94
28	क्लासिक एग्रीकॉन	21/2012	21.05.2012	0.25
29	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन	23/2012	21.05.2012	6.64
30	अनुभूति एप्पल्स	28/2012	27.09.2012	0.68

क्र. सं.	आयातक का नाम (मै.)	परियोजना पंजीकरण	तिथि	सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)
31	जय भारत मारुति लिमिटेड	3/2013	22.04.2013	9.00
32	कैलाश एग्रो प्राइवेट लिमिटेड	6/2013	4.09.2013	0.61
33	एबी रेफर एण्ड वेयरहाउसिंग (प्रा.) लिमिटेड	05/2014	17.01.2014	5.14
34	शहीन एग्रोफ्रेश (प्रा.) लिमिटेड	15/2014	22.07.2014	11.96
एसीसी नई दिल्ली				
1	इंड्यूर प्रा. लिमिटेड	32/1995	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2	सेमी कंडक्टर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	24/1997	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3	इलीकॉम टेक्नॉलाजी	04/ 2000	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
4	डीएमआर (रेलवे) लखनऊ डिवीज़न	18/1998	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
5	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन	08/2000	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
6	आई टेस्ट साल्यूशन	04/2007	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
7	नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन	04/2010	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
8	टीसी हेल्थ केयर	22/1995	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
9	इंड्यूर प्रा. लिमिटेड	01/2003	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
10	टेस्ली ग्रुप लिमिटेड	10/2006	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
11	पीसीआई लिमिटेड	05/2008	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
12	एनएचपीसी लिमिटेड	01/2000	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
13	एनबीसीसी लिमिटेड	03/2006	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
14	साहनी फिल्म्स	31/1995	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
15	सचिन्द्र इलेक्ट्रिक लिमिटेड	02/2003	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
16	यूईएम इंडिया लिमिटेड	09/2007	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
17	टेक्नों फैब इंजी. लिमिटेड	11/2000	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
18	टेक्नों फैब इंजी. लिमिटेड	22/2005	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
19	पीपीआई लिमिटेड	03/2008	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
20	दिल्ली इंटरनेशनल सोसायटी	08/2007	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
21	दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	06/2008	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
22	रेल कोच फैक्ट्री	02/2000	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
विशाखापत्तनम कमिश्नरी				
1	स्पेक्ट्रम कोल एण्ड पावर लिमिटेड	2012-13	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2	लैंकोकोंडापल्ली पावर प्रा. लिमिटेड	2012-13	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3	कोल इंडिया लिमिटेड	2014-15	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
4	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन	2012-13	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
5	नवयुग इंजीनियरिंग	2012-13	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
एनसीएच, मुम्बई कमिश्नरी				
1	रत्नगिरी गैस एंड पावर लि.	एस/5-37	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

क्र. सं.	आयातक का नाम (मै.)	परियोजना पंजीकरण	तिथि	सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)
		/2006 सीसी		
2	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	एस /5-32/2007 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3	केजेएस सीमेंट लिमिटेड	एस /5-24/2010-11 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
4	श्री सीमेंट लिमिटेड	एस /5-31/2013-14 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
5	एनएमडीसी लिमिटेड	एस /5-37/2013-14 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
6	एनटीपीसी लिमिटेड	एस /5-41/2013-14 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
7	दि टाटा पॉवर कंपनी लिमिटेड	एस /5-46/2010-11 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
8	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	एस /5-22/2012-13 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
9	दि वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स	एस /5-30/2008 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
10	एनएमडीसी लिमिटेड	एस /5-38/2013-14 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
11	एनएचपीसी लिमिटेड	एस /5-06/2013-14 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
12	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	एस /5-16/2012-13 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
13	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	एस /5-51/2009 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
14	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	एस /5-63/2006 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
15	गेल	एस /5-39/2009 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
16	टाटा पॉवर कंपनी लिमिटेड	एस /5-54/2008	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
17	मेघा इंजी. एंड इंफ्रा लिमिटेड	एस /5-13/2012-13 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
18	रीचा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	एस /5-28/2013-14 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
19	अभिजीत इनफ्रा. लिमिटेड	एस /5-48/2006 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
20	भारत पंप एण्ड कंप्रेसर लिमिटेड	एस /5-04/2007 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
21	एयर लिक्विड नॉर्थ इंडिया लिमिटेड	एस /5-50/2006 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
22	एटलस कोपको इंडिया लिमिटेड	एस /5-23/2006 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
23	जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड	एस /5-24/2004 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
24	भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	25/2009 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
25	जेके सीमेंट	26/2008 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
26	गुजरात अंजन सीमेंट लिमिटेड	23/2008 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

क्र. सं.	आयातक का नाम (मै.)	परियोजना पंजीकरण	तिथि	सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)
27	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड	10/2011 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
28	एसीसी लिमिटेड	60/2008 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
29	श्री सीमेंट	07/ 2013 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
30	टाटा विस्टन ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड	एस /5-68/2006 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
31	गैमन इंडिया लिमिटेड	33/2005 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
32	बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड	56/2009 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
33	वासवदत्ता सीमेंट	37/2009 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
34	जयप्रकाश एसोसिएट्स	एस /5-64/2008 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
35	एसीसी लिमिटेड	21/2004 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
36	श्री सीमेंट	52/2009 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
37	एडी हाइड्रो पावर लिमिटेड	एस /5-60/2006 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
38	जय प्रकाश एसोसिएट्स	65/2008 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
39	न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	01/2002 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
40	श्री सीमेंट	30/2009 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
41	भेल	18/2004 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
42	जयप्रकाश एसोसिएट्स	11/2010 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
43	जे के लक्षमी सीमेंट	02/2007 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
44	अल्ट्राटेक सीमेंट	74/2006 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
45	रीको ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	03/2004 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
46	सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड	36/2004 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
47	जेबीएम एमए ऑटोमेशन प्रा. लिमिटेड	36/2010-11 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
48	नील मेटल्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड	31/2010-11 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
49	जय हिंद इंडस्ट्रीज लिमिटेड	एस /5-31/2004 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
50	वाटेक हाइड्रो इंडिया लिमिटेड	30/2002 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
51	श्री सीमेंट	40/2009 सीसी	लागू नहीं	लागू नहीं
52	ईएलएफ लुब्रिकेट इंडिया प्रा. लिमिटेड	200/95 सीसी	लागू नहीं	लागू नहीं
53	इंडिया शुगर और जन. इजीनियर कॉरपोरेशन	एस /5-85/98 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
54	प्राक्सेयर कार्बन डाइऑक्साइड प्रा. लिमिटेड	05/2000 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
55	यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड	5/5-17/2002 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
56	वोल्टास लिमिटेड	28/95 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
57	भाटिया इंटरनेशनल लिमिटेड	36/2005 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
58	गेल इंडिया लिमिटेड	28/ 2004 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
59	जय प्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड	34/2011-12 सीसी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

क्र. सं.	आयातक का नाम (मै.)	परियोजना पंजीकरण	तिथि	सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)
जेएनसीएच मुंबई कमिश्नरी				
1	जयप्रकाश एसोसिएट्स	एस /5-11/2010-11/जीआरVI	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2	आईएफबी इंडस्ट्रीज	एस /5-16/2010-11/जीआरVI	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3	एनटीपीसी लिमिटेड	एस /5-157/2006/ जीआरVI/जेएनसीएच	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
4	एनटीपीसी लिमिटेड	एस /5-19/2007/जीआरVI	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
5	यूनिवर्सल केबल इंडिया लिमिटेड	एस /5-28/2010-11/जीआर VI	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
6	स्काई वे कन्स्ट्रक्शन क.	एस/5-26/2010-11/जीआरVI	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
7	वीएस्टलपाइन वीएई वीकेएन इंडिया प्रा. लि.	एस /5-16/2013/ जीआरVI/जेएनसीएच	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
8	एसएफसी इन्वायरमैंटल टेक्नोलोजीज लिमिटेड	एस /5-29/2009-10/जीआर VI	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
9	जनरल मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	एस /5-51/2009/ जीआरVI/जेएनसीएच	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
10	टोरेंट पावर	एस /5-41/2010-11/जीआर VI	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
11	यानफेंग विस्टन इंडिया ऑटोमोटिव ट्रिम सिसटम प्रा. लिमिटेड	एस /5-62/2014-15VIजेएनसीएच	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
12	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	एस /5-52/12-13 VI जेएनसीएच	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
13	जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज लिमिटेड	एस/5-26-12-13 VI जेएनसीएच	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
14	सेल	एस /5-17/12-13-VI(जेएनसीएच)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
15	जयप्रकाश पावर वेन्चर्स लिमिटेड	एस /5-84/11-12-VI(जेएनसीएच)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
16	वंडर सीमेंट लिमिटेड	एस /5-60/11-12-VI	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
17	मैक्केन फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	एस /5-44/12-13-VI	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
18	लैंको विदर्भ थर्मल पावर लिमिटेड	एस /5-61/11-12-VI	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
19	एनटीपीसी लिमिटेड	एस /5-11/13-14-VI - जेएनसीएच,	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

क्र. सं.	आयातक का नाम (मै.)	परियोजना पंजीकरण	तिथि	सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)
20	जे. के. सीमेंट वर्क्स लिमिटेड	एस /5-25/13-14-VI(जेएनसीएच)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
21	श्री सीमेंट लिमिटेड	एस /5-79/14-15-VI(जेएनसीएच)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
22	भेल लिमिटेड	एस /5-40/2015-16-Gr VI/जेएनसीएच	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
23	विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड	एस /5-25/2010-11-VI(जेएनसीएच)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
24	बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन इंडिया प्रा. लिमिटेड	एस /5-57/2015-16-जीआरVI/जेएनसीएच	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
25	पावर ग्रिड ऑफ कॉरर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	एस /5-04/15-16 VI	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
26	भेल	एस /5-55/2015-16-जीआरVI/जेएनसीएच	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
27	एनटीपीसी लिमिटेड	एस /5-54/2015-16-जीआरVI/जेएनसीएच	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
28	इमामी सीमेंट लिमिटेड	एस /5-68/14-15 VI (जेएनसीएच)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
29	कॉटीनेंटल इंडिया लिमिटेड	एस /5-16/2012-13-VI(जेएनसीएच)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
30	दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रो केमिकल	एस /5-28/2015-16-जीआरVI/जेएनसीएच	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
31	भेल (हरिद्वार)	एस /5-53/14-15 VI जेएनसीएच	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
32	निरमा लिमिटेड	एस /5-30/2015-16-जीआरVI/जेएनसीएच	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
33	पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	एस /5-51/2015-16-जीआरVI/जेएनसीएच	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
34	डीसीएम श्रीयाम लिमिटेड	एस /5-50/2015-16-जीआरVI/जेएनसीएच	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
35	एससीए हाइजीन प्रोडक्टस इंडिया प्रा. लिमिटेड	एस /5-52/2015-16-जीआरVI/जेएनसीएच	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
36	जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज लिमिटेड	एस /5-19/13-14-VI जेएनसीएच,	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
37	मुबई इंटरनेशनल अथॉरिटी लिमिटेड	एस /5-58/10-11-VI(जेएनसीएच)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
38	इंडिया बुल पावर लिमिटेड	एस/5-52/2011-12	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

क्र. सं.	आयातक का नाम (मै.)	परियोजना पंजीकरण	तिथि	सीआईएफ मूल्य (₹ करोड़ में)
		जीआरVI		
39	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	एस/5-26/10-11/जीआरVI	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
40	एनटीपीसी लिमिटेड	एस/5-22/2007 जीआर VI	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
41	एनटीपीसी लिमिटेड	एस/5-41/13-14/जीआर VI	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
42	एनटीपीसी लिमिटेड	एस/5-76/11-12/जीआर VI	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
43	रीको जिनफेड व्हील्स	एस/5-12/2008 जीआरVI	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
44	एनटीपीसी लिमिटेड	एस/5-55/14-15/जीआर VI	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
45	एनटीपीसी लिमिटेड	एस/5-62/2011-12 जीआरVI	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
46	भेल	एस/5-06/13-14/जीआरVI	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
47	एनटीपीसी लिमिटेड	एस/5-85/05-06/जीआर VI	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
48	श्रीवन्ती इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	एस/5-65/11-12/जीआर VI	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
49	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	एस/5-91/11-12/जीआरVI	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
50	सोमा एंटरप्राइज लिमिटेड	एस/5-59/11-12/जीआर VI	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
51	गेल (आई) लिमिटेड	एस/5-59/09-10/जीआर VI	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

परिशिष्ट 4

संस्थापन प्रमाणपत्र/प्लांट साइट सत्यापनके बिना परियोजना संविदाओं का निर्धारण

(₹ करोड़ में)

कमिश्नरी	मामलों की संख्या	लाभ उठाया गया रियायत शुलक	अनियमितता	कमिश्नरी का उत्तर	टिप्पणी
संस्थापन प्रमाणपत्र/प्लांट साइट सत्यापन के बिना परियोजना संविदाओं का निर्धारण					
कांडला	02	14.08.	आयातक ने संस्थान प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए थे। एक मामले में, मुख्य ठेकेदार ने मशनरी के संस्थापन को प्रमाणित किया।	मामलों को आयातकों द्वारा पुन: सत्यापित किया जायेगा या यह खोजा जायेगा कि क्या ऐसे प्रमाणपत्रों की गलत फाइलिंग हुई है।	कमिश्नरी द्वारा उद्धृत परिपत्र के अनुसार, सरकारी परियोजना के मामले में अध्यक्ष/कार्यकारी निदेशक के पद में सरकारी उपक्रम के शीर्ष द्वारा पीएसवी दिया जाता है।
कांडला	01	15.52	जल ज़िला कलेक्टर आपूर्ति परियोजना में, केन्द्रीय सीमाशुल्क प्राधिकरण से पीएसवी के बजाए मशीनरी के उपयोग को प्रमाणित करता है।	यह कहा गया था कि सरकार की जल आपूर्ति परियोजना दिनाँक 17 अप्रैल 2006 परिपत्र को देखते हुए पीएसवी के लिए कलेक्ट्र और डीएम एक उपयुक्त प्राधिकरण है।	इस मामले में, जिला कलेक्टर उपयुक्त प्राधिकरण नहीं था और केन्द्रीय सीमाशुल्क अधिकार संस्थापन प्रमाणपत्र के लिए उचित प्राधिकारी था।
सिटी (आईसीजी), बैंगलुरू	03	0.77	मेट्रो रेल परियोजना में चार्टर्ड इंजीनियर के बजाए बीएमआरसीएल के मुख्य अभियंता ने संस्थापन को प्रमाणित किया।	मैसर्स बी एम आर एल के मुख्य इंजीनियर को पी एस यू के प्रमाण पत्र के साथ स्थापना प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार है।	परीक्षाधीन
एनसीएच, मेंगलोर	01	3.75	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बजाय सीमाशुल्क द्वारा पीएसवी किया गया था।	सीमा और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उप की सहायक आयुक्त/ शक्तियाँ बराबर हैं सहायक की सीमा शुल्कआयुक्तरैंक सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बराबर है। तथापि, सहायक आयुक्त सीमा शुल्क के द्वारा जारी स्थापना प्रमाण पत्र वैध हैं साथ ही, स्थापना प्रमाण पत्र जारी करने में प्रशासनिक सुविधा एक कारक है और तदनुसार इन प्रमाण पत्रों को सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क संरचनाएं जारी कर सकती है। जैसा कि वहाँ राजस्व निहितार्थ नहीं है।	परीक्षाधीन
एसीसी, बैंगलुरू	03	10.94	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बजाय सीमाशुल्क द्वारा	मेसर्स मंजुश्री टेक्नो पैक लिमिटेड के मामले में न्याय	परीक्षाधीन

कमिश्नरी	मामलों की संख्या	लाभ उठाया गया रियायत शुलक	अनियमितता	कमिश्नरी का उत्तर	टिप्पणी
			पीएसवी किया गया था।	व्यवस्था सम्बंधी सीई अधिकारी स्थापना प्रमाण पत्र जारी कर सकता है और आयातक द्वारा वस्तुओं के उपयोग करने और स्थापना की पुष्टि कर सकता है। आगे, वित्तीय इंजीनीयर स्थापना और उपयोग प्रमाण पत्र, अंतिम रूप बताने वाले इस्तावेजों के जमा करने के साथ जमा करेगा। मेसर्स बी ए आई एल के सम्बंध में बताया कि इस परियोजना को अभी तक अंतिम रूप दिया जाना है।	
एनसीएच, मुम्बई	01	0.09	वित्तीय अभिलेखों के अनुसार, घोषित स्थान के अलावा अन्य परिसरों में मल संस्थापित किया गया था।	प्रतीक्षित	

परिशिष्ट 4ए

महत्वपूर्ण विस्तारण की उपलब्धि

(₹करोड़ में)

कमिश्नरी	मामलों की संख्या	लाभ उठाया गया रियायत शुलक	अनियमितता	कमिश्नरी का उत्तर	टिप्पणी
बहुत अधिक विस्तारण के गैर सत्यापन के कारण परियोजना रियायत का निर्धारण					
कांडला /मुंदरा	03 01	1.53	निर्धारण के समय पर न तो सीमाशुल्क प्राधिकरण ने, दस्तावेजों की माँग की न ही आयात ने सत्यापन के लिए दस्तावेजप्रस्तुत किए थे।	कांडला यह परिकाल्पित था कि परियोजना के अनुतोदन के पूर्व प्रायोजन प्राधिकरण द्वारा बहुत अधिक विस्तारण किया जाना था , मेसर्स रामोजी ग्रेनाइटों लि. के मामलें में, दोनों परियोजनाएँ संविदाएं परियोजना क प्रारंभिक सत्यापन के लिए थी जिसे प्रायोजन प्राधिकरण सीमाशुल्क कमिश्नरी द्वारा सत्यापित किया गया था। मुन्द्रा न्याय व्यवस्था संबंधी सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को इकाई की स्थापना क्षमता/ उत्पादन क्षमता के पर्याप्त विस्तार के सत्यापन के लिए पत्र जारी कर दिया गया है और आयातक को पर्याप्त विस्तार के उसके दावे की पुष्टि हेतु प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया है ।	डीओआर से मिली प्रतिक्रिया परीक्षाधीन है।
एनसीएच मुम्बई	01	1.08	निर्धारण के समय पर न तो सीमाशुल्क प्राधिकरण ने, दस्तावेजों की माँग की न ही आयात ने सत्यापन के लिए दस्तावेजप्रस्तुत किए थे।	क्षमता विस्तार की पुष्टि किये बिना परियोजना के ठेके को अंतिम रूप देने- मैसर्स लोयड स्टील इंडिया के द्वारा किये गये परियोजना आयात, न्याय संबंधी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण ने सत्यापित कर दिया है । यदि रिपोर्ट प्रतिकूल पाई जाती है तो उचित काईवाई जल्दी शुरू की जायेगी ।	परीक्षाधीन
बहुत अधिक विस्तारण की गैर उपलब्धी					
हैदराबाद	01	0.24	2011-12में पीईटी निष्पादन की वार्षिक संस्थापित उत्पादन	परियोजना विस्तार निर्धारित मानदण्डों से 25.44 प्रतिशत ऊपर है।	परीक्षाधीन

			क्षमता 20,000 थी और 2012-13, 2013-14 और 2014-15 वर्षों में निरंतर 22,000 रही। इसलिए, 2012-13 मे वार्षिक संस्थापित क्षमता में 10 प्रतिशत वृद्धि थी जो कि योजना के तहत निर्धारित के अनुसार 25 प्रतिशत की न्यूनतम निर्धारित वृद्धि से कम थी।		
लुधियाना	01	0.36	2011-12से 2013-14 वर्ष के लिए उपरोक्त निर्धारिती के एचआर स्ट्रिप कोइल/शीट की उत्पाद क्षमता प्रति वर्ष 3,25,000 एमटी थी। इस प्रकार वर्तमान उत्पादन क्षमता में कोई विस्तारण नहीं था।	विभाग के रिकार्ड के अनुसार, लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए परियोजना आयात ड्यूटी रियायत में कोई उलंघन नहीं हुआ जैसा कि तत्काल परियोजना आयात में उलंघन हुआ था।	परीक्षाधीन

अनुलग्नक 5

प्रोजैक्ट इंपोर्ट ठेकों को अंतिम रूप न दिया जाना/अंतिम रूप देने में विलंब

क्र.सं.	कमि.	ठेकों की सं.	आयातकों की सं.	विलंब की रेंज	कमिश्नरी का उत्तर भविष्य में ठेकों को अंतिम रूप देने के लिए लेखापरीखा अवलोकन किया जाएगा	टिप्पणी
1	एसीसी,बैंगलोर	1	1	658दिन	परियोजना आयात का पंजीकरण आईओआई सं. 289/2016 दिनांक 7/3/2016 के तहत अन्तमि रूप दे दिया गया । वहां कोई अतिरिक्त वयूली निहितार्थ नहीं थी । मैसर्स बीआईएएल के मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है । आयातकों और सीआईएज औ डीसी,सीमा शुल्क, वैन्नई और मुम्बई परियाजना का अंतिम रूप देने के लिए बीईज का मुल्यांकन करने के अनुरोध भ्ेजा गया है । जहां तक संभव को इनको जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा ।	अंतिम परिणाम सूचित किया जा सकता है।
2	चेन्नै (समुद्र)	5	5	69 से 844	देरी का तथ्य यह है कि आयातक को ₹ 5.35 लाख का शुल्क वापसी की मांग का कारण माल के आयात में कीमत भिन्नता का कारण थी । विभाग ने हांलाकि वापसी का दावा खारिज कर पीआईआर,1986 के अन्तर्गत अग्राहय था । तदनुसार परियोजना को अंतिम रूप दे दिया गया ।	डीओआर से प्राप्त प्रतिक्रिया (दिसम्बर 2016) परीक्षाधीन है ।
3	सीमा शुल्क कमिश्नरी आईसीडी पीपीजी और 9 अन्य आईसीडी	3	1	2436	राजस्व विभाग ने देरी का कारण अन्य पोर्टों से दस्तावेजों का न प्राप्त होना बताया गया है । अब मामले को अंतिम रूप दे दिया गया है ।	डीओआर से प्राप्त प्रतिक्रिया (दिसम्बर 2016) परीक्षाधीन है।
4	सीमा शुल्क का प्र. कमिश्नरी (आयात) एसीसी, नई दिल्ली	1	1	372	मै. एनटीपीसी के मामले को पीआईआर के अन्तर्गत पंजीकरण सं. 20/2005 दिनांक 24.09.2005 के तहत पंजीकृत कर दिया गया था । हालांकि सभी अपेक्षित दस्तावेजों की प्राप्ति/परीक्षा के पश्चात 2014 में पहले ही अंतिम	डीओआर से प्राप्त प्रतिक्रिया (दिसम्बर 2016) परीक्षाधीन है।

					रूप दे दिया गया था ।	
5	विशाखापटनम सीमा शुल्क	10	10	99 से 1128	राजस्व विभाग ने सूचना दी चूंकि मामला न्यायालयधीन है, अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।	अंतिम परिणाम प्रतीक्षारत है।
6	एयर कार्गो कांपलैक्स, हैदराबाद	1	1	1317	अप्रैल और अगस्त 2015 में आयातक द्वारा शुल्क और ब्याज के भुगतान के बाद अक्टूबर 2015 में परियोजना को अंतिम रूप दिया गया। इसलिए विलंब हुआ।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस मामले में, आयातक ने दिसम्बर 2011 में अंतिम रूप दिये जाने के लिए आवेदन किया था और अक्तूबर 2015 में अंतिम रूप दिया गया था।
7	कोलकाता	12	9	153 से 3299	प्रतीक्षित	
8	नोयडा सीमा शुल्क	1	1	118	देरी स्वीकार करते हुए मामाले को अंतिम रूप दिया गया।	आगे के लिए काई टिप्पणी नहीं है ।
9	कानपुर	8	1	275 से 1297	आईसीडी-जेआरवाई कानपुर ने कहा कि छः ठेकों में 60 दिनों के अंदर अंतिम रूप दिया गया था	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कमिश्नरी ने लेखापरीक्षा के सामने ठेकों को अंतिम रूप दिये जाने के विवरण प्रस्तुत नहीं किये थे।
10	एनसीएच-मुम्बई	6	5	676 से 2909	प्रतीक्षित	
11	जेएनसीएच-मुम्बई	7	7	75 से 2346	प्रतीक्षित	
	जोड़	55	42			

अनुलग्नक 6

प्रोजैक्ट इंपोर्ट मामलों की गलत रिपोर्टिंग

कमि.	प्रोर्जेक्ट इंपोर्ट मामलो की रिपोर्टिंग में पाई गई विसंगतियां
अहमदाबाद, कांडला, मुंद्रा	परिपत्र की परिकल्पना के अनुसार मासिक रिपोर्टों के स्थान पर तिमाही रिपोर्टों द्वारा प्रोजैक्ट इंपोर्ट मामलों की निगरानी की गई। 31 मार्च 2016 तक अंतिम रूप दिये जाने के लिए लंबित प्रोजैक्ट इंपोर्ट पंजीकरण विवरणानुसार, ₹ 4.30 करोड़ और ₹ 28.65 करोड़ के ठेका मूल्य के दो पंजीकरण (दिनांक 21 जुलाई 2010 सं. 10/2010-मै. सनशाईन टाईल्स क. प्रा. लिमि. और 12 दिसम्बर 12 07-12-13 रेकासिल सेरेमिक इंडस्ट्रीज प्रा. लिमि. अंतिम रूप दिये जाने के लिए लंबित थे यद्यपि क्रमश: 29 दिसम्बर 2010 और 26 जुलाई 2013 को कमिश्नरियों द्वारा ठेकों को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका था। सीमा शुल्क हाऊस, कांडला द्वारा सीमा शुल्क जोन के मुख्य कमिश्नर को प्रस्तुत की गई एमआईएस रिपोर्ट में, पंजीकृत परियोजना के मूल्य में कोई एकरूपता नहीं थी क्योंकि कुछ मामलों में, यह रूपये में दर्शाया गया था जबकि अन्य में यह विदेशी मुद्रा में दर्शाया गया था। अन्य कॉलम जैसे, सुरक्षा जमा/ली गई बीजी राशि, पुनर्मिलान विवरण के प्रस्तुतीकरण की तिथि, की गई कार्रवाई कुछ मामलो को छोड़कर खाली छोडे गये थे। परिपत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक अनुसार अंतिम रूप दिये जाने की अनुमानित अवधि/आवश्यक समय' के लिए कोई कॉलम नहीं था। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त ठेकों के पंजीकरण के कारण बढ़ाया गया मूल्य नहीं जोड़ा गया था जिसके परिणामस्वरूप ठेकों के मूल्य की कम रिपोर्टिंग हुई। *'परियोजना ठेकों की सं. जहां अंतिम खेप का निकास किया गया है'* के प्रति, कमिश्नरी ने 179 मामलों (लेखापरीक्षा के अनुसार 75 ठेका मामलों के साथ कमिश्नरी के विवरणानुसार 104) के वास्तविक आंकड़े के प्रति अंतिम रूप दिये गये 104 मामले दर्शाये। परियोजना के लंबन के स्तर क्यूपीआर में रिकॉर्ड नहीं किये गये हैं। एमआईएस रिपोर्ट में, यह भी देखा गया था कि ऐसे मामले जहां आरए जारी किये गये थे, पूर्वनिश्चित शुल्क आंकड़ें भी प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं। चूंकि पूर्व निश्चित शुल्क आंकड़े परिकल्पित आधार पर आंकलित किये जा रहे है, आयातक को इस निस्तारित योजना के अंतर्गत वास्तविक लाभ प्राप्ति योग्य नहीं था।
सिटी आईसीडी, बैंगलोर और एनसीएच मैंगलोर	मुख्य कमिश्नरी को 26 मार्च को प्रस्तुत करने के लिए तिमाही रिपोर्ट में अंतिम रूप दिये जाने के अनुसार सिटी (आईसीडी) कमिश्नरी, बैंगलोर से संबंधित दिनांक 24 नवम्बर 2011 की प्रोजैक्ट इंपोर्ट ठेका पंजीकरण सं. 17/2011 को गलत दर्शाया गया था क्योंकि यद्यपि मामले को अंतिम रूप दिया जाना (अप्रैल 2016) अभी भी लंबित था। जोनल कार्यालय, बैंगलोर द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की गई 2011-12 से 2015-16 के लिए क्यूपीआर में, मै. बीएमआरसीएल (दिनांक 13 सितम्बर 2010 परियोजना पंजीकरण सं. 6/2010) के प्रोजैक्ट इंपोर्ट ठेके के सीआईएफ मूल्य ₹ 0.96 करोड़ के वास्तविक सीआईएफ मूल्य के प्रति ₹ 184.54 करोड़ तक गलत दिखाये गये थे। इस प्रकार, सीआईएफ मूल्य ₹ 183.58 करोड़ तक अधिक दिखाया गया था। मै. एचपीसीएल, मैंगलोर ने प्रोजैक्ट इंपोर्ट (दिनांक 19 अगस्त 2014 पंजी सं. 1/2014) पंजीकृत कराया था। और ₹ 3.50 करोड़ के लिए एक बॉड लागू किया था। जोनल कार्यालय, बैंगलोर द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की गई सितम्बर 2014 और दिसम्बर 2014 को समाप्त अवधि के लिए प्रोजेक्ट इंपोर्ट पर क्यूपीआर में, प्रोजेक्ट इंपोर्ट का सीआईएफ मूल्य ₹ 3.50 करोड़ के स्थान पर ₹ 666 करोड़ गलत दर्शाया गया था। इस प्रकार सीआईएफ मूल्य ₹ 662.50 करोड़ तक अधिक दर्शाया गया था। सीआईएफ मूल्य की गलत रिपोर्टिंग डाटा की विकृत स्थिति को दर्शाया।
तूतीकोरिन	तूतीकोरिन सीमा शुल्क में, मूख्य कमिश्नर सीमा शुल्क त्रिच्ची, को अग्रेषित 'प्रोजेक्ट इंपोर्ट को अंतिम रूप देने में की गई प्रगति पर तिमाही रिपोर्ट' में मामलों का लंबन चार दिखाया गया था।

	यद्यपि, दो और पंजीकृत ठेके (मै. वर्धमान यार्नस एंड थैड्स लिमि. और मै. डोडानवर ब्रदर्स) शामिल नहीं थे जिसके कारण प्रोजेक्ट इंपोर्ट मामले रिपोर्टिंग के अधीन हैं।
हैदराबाद (आईसीडी)	मासिक रिपोर्ट के स्थान पर तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत की गई
एसीसी, नई दिल्ली	26 लंबित प्रोजैक्ट इंपोर्ट ठेकों के वास्तविक पंजीकृत/संशोधित मूल्य ₹ 2,740.49 करोड़ था परंतु उक्त को सीसी जोन दिल्ली को प्रस्तुत की गई मासिक प्रगति रिपोर्ट में ₹ 1,895.49 करोड़ के रूप में सूचित किया गया। इस प्रकार, रिकॉर्डो के अनुसार, पंजीकृत/संशोधित परियोजना के मूल्य और मासिक प्रगति रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट मूल्य में ₹ 845 करोड़ का अंतर था।
नोयड़ा	परिपत्र के अंतर्गत आवश्यकतानुसार मुख्य कमिश्नर को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी।
कानपुर	आईसीडी, जेआरवाई कानपुर ने 6 संविदाओं को अंतिम रूप देने के विषय में बताया था, जबकि मुख्य कमिश्नरी, लखनऊ से प्राप्त सूचना से पता चला कि कानपुर कमिश्नरी के अन्तर्गत केवल 2 संविदाओं को अंतिम रूप दिया गया था।
एनसीएच मुम्बई	एमटीआर मार्च 2016 तक केवल तीन एससीएनएस के लंबित मामलों के विषय में बताया था। यद्यपि अभिलेखों के अनुसार 61 एससीएनएस लम्बित है जो कि 2011 के बाद निर्गत किये गये थे 2011से पूर्व निर्गत एससीएनएस के कोई अभिलेख नहीं है। एमटीआर ने 33,705 करोड़ के सीआईएफ मूल्य के 848 लम्बित/चालू संविदाओं को प्रतिवेदित किया था। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत सूची से पता चलता है कि सीआईएफ मूल्य केवल 30,252 करोड़ था। जब अंतर को संज्ञान में लाया गया, संविदा सेल ने बताया कि सीआईएफ मूल्य को पूर्व प्रतिवेदनों से अग्रेसित किया जा रहा है और पुष्टि करने के लिए कोई अभिलेख नहीं है और पुर्नः विचार की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, 848 मामलों की सूची में 34 संविदाओं को सम्मिलित नहीं किया गया था, जहा एससीएनएस निर्गत किये गये थे, वे अभी तक लम्बित थे। सूची में एक उच्च मूल्य संविदा (मैसर्स रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर) को छोड दिया गया था, जो कि लंम्बित है। इस प्रकार लम्बित प्रतिवेदन के अन्तर्गत लम्बित संविदाए 35 थी। अप्रैल 2011 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान, संविदा सेल ने 296 संविदाओं को अन्तिम रूप दिया था। यद्यपि सेल ने 316 अन्तिम रूप दिये गये मामलों की सूची प्रस्तुत कर सकता था और उनके पास शेष अन्तिम रूप दिये गये मामलों के अभिलेख नहीं थे। संविदा सेल ने संविदा मामलों की निगरानी के लिए बोर्ड द्वारा तैयार किसी मासिक रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं कर सकता था।
जेएनसीएच मुम्बई	कोई भी एमटीआर (अब अएमआईएस) अभिलेखों को सेल मे अनुरक्षित नहीं किया गया था। यद्यपि, कमिश्नर ने लेखापरीक्षा में सूचित किया था कि अप्रैल 2011 और मार्च 2016 के दौरान 62 की अन्तिम रूप से पुष्टि की गयी थी जो कि 53 से संसोधित किया गया था। लम्बित/चालू 270 संविदाओं से पता चलता है कि कहा गया है कि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत वास्तविक सूची में 269 संविदाओं को दर्शाया गया है। इस सूची में एक उच्च मूल्य संविदा (मैसर्स, अडानी पावर महाराष्ट्र लि.) को भी सम्मिलित नहीं किया गया लेखापरीक्षा को संविदा रजिस्टर से इसका पता चला था। हालांकि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गयी सूचना अविश्वसनीय थी और एमटीआरस, प्रतिवेदनों, पुष्टीकृत/अपुष्ट रजिस्टरों आदि की अनुपस्थिति में और अपूर्ण रजिस्टरों के सन्दर्भ में सत्यापन की पुर्न जांच नहीं की जा सकती।

परिशिष्ट 7

अभिलेखो का अनुरक्षण

कमिश्नरी	कमियां
कांडला और मुंद्रा	परियोजना आयात रजिस्टर 2011 से 2016 की अवधि के लिये उचित प्रभार अधिकारी से प्रमाणित नहीं किये गये थे। रजिस्टर का मासिक समापन नहीं किया गया। मैसर्स कोस्टल गुजरात पावर लि., मुंद्रा, कच्छ, के पास अनेक संविदा रजिस्टर है जिनमें से पंजीकरण सं. 13/2009 और 21/2009 में लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 50.40 करोड़ की सीआईएफ मूल्य को संविछा सं. 21/2009 से डेबिट किया गया और इसी मूल्य को संविदा सं. 13/2009 के लिए क्रेडिट किया गया था। यह कमिश्नर की परियोजना आयात रजिस्टर मॉनिटर की खराब मोनिटरिंग को दर्शाता है। कोस्टल गुजरात पावर लि., मुंद्रा और दोसान हैवी इन्टस्ट्रीज एण्ड कन्स्ट्रक्शन को. लि. कोरा बीच यूएसडी 1040285510, यूएसडी 1193283 और यूएसडी 250494 के मूल्य की तीन संविदाओं पर हस्ताक्षर किये गये थे जिनको विभिन्न तिथियों के अन्तर्गत एक संविदा सं. 01/2008 के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये थे। उसी पंजीकरण में, दूसरी संविदा मैसर्स सीजीपीएल और मैसर्स एटिसलॉन कन्सल्टींग के यूएसडी 309317 मूल्य संविदा के साथ दूसरी संविदा पर हस्ताक्षर किये गये थे, जिसको जोड़ा/पंजीकृत भी किया गया था। पंजीकरण को अन्तिम रूप देने के समय, कमिश्नर ने प्रथम यूएसडी 1040285510, यूएसडी 1193283 और यूएसडी 250494 की संविदा मूल्य की प्रथम तीन संविदाओं को अन्तिमरूप दिया था क्रमशः चतुर्थ संविदा जिसकी संविदा मूल्य यूएसडी 309317 को अनदेखा किया गया और पंजीकरण सं. 01/2008 को अन्तिम रूप दिया गया। यद्यपि, यूएसडी 309317 (₹ 1.71करोड़) मूल्य की संविदा मूल्य अभी तक लम्बित है। परियोजना आयात योजना/संविदा परियोजना की आंतरिक लेखापरीक्षा मामलों के निष्पादन की निगरारी करने के लिए कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गयी थी। लेखापरीक्षा में इस संबंध में बनाये गये कोई भी कार्यवृत्त उपलब्ध नहीं कराये गये थे।
आईसीडी, कोधियार अहमदाबाद	परियोजना संविदा को अनुरक्षित नहीं किया गया था। अभिलेखों के आभाव में, लेखापरीक्षा में 2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए लम्बित/अन्तिम रूप दिये हुए/पंजीकृत संविदाओं की वास्तविक संख्या का पता नहीं लगा सकता था।
आईसीडी शहर, बैंगलोर एण्ड मैंगलोर कमिश्नर	यद्यपि रजिस्टर अनुरक्षित किये गये थे, महत्वपूर्ण विवरणों जैसे स्वीकृत माल की मात्रा और मूल्य और वास्तविक आयात सामग्री, आदि को अभिलेखित नहीं किया गया है। अंतिम आकलन की पुष्टि पर और टीआरए सुविधा का उपयोग करके अन्य बंदरगाह पर बीईस की लेखापरीक्षा पर नजर रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।
एसीसी बैंगलोर	रजिस्टर नहीं बनाये रखे गये थे, अभिलेखों के आभाव में, लेखापरीक्षा मे 2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए लम्बित/अन्तिम रूप दिये हुए/पंजीकृत संविदाओं की वास्तविक संख्या का पता नहीं लगाया जा सकता था। यद्यपि, वर्ष 2015-16 में बिना किसी रजिस्टर के क्रम सं. की दो संविदाये दी गयी थी।
चैन्नई सागर	अधिकतर संविदाओं में परियोजना का नाम/परियोजना कार्य-स्थल का पता रजिस्टर में नहीं लिखा गया था। बिल की प्रविष्टि के विवरण नहीं लिखे गये थे। डीजी (प्रणालियों) द्वारा 2011-12 और 2012-13 की अवधि के लिए उपलब्ध डेटा का पुर्न-जांच से पता चला कि आयात किया गया था परन्तु विवरणों को रजिस्टर में लिखा नहीं गया था।
तूतीकोरिन	रजिस्टर को उचित रूप अनुरक्षित और समय-समय पर अघतित नहीं किया गया था। परियोजना के विवरणों, कार्य-स्थल का पता, पंजीकरण संख्या और तिथि, बॉड मूल्य राशि, बीजी सं. और तिथि, नकदी सुरक्षा जमा विवरणों, अधिसूचना लाभ उठायी गयी और संबंधित क्रम संख्या, बीईस क्षेत्र के विवरणों, बीजक सं. सीआईएफ मूल्य, भुगतान किया शुल्क, डेबिट बॉड मूल्य राशि और शेष मूल्य राशि रजिस्टर

	मे नहीं लिखे गये थे। मासिक समापन नहीं किया गया
कोचिन	आयातकर्ता (मैसर्स, बीपीसीएल के आर आईआरईपी) के सबंध में परियोजना संविदा रजिस्टर में चूक और कमियों को सूचित किया गया था। इसमें ₹ 84.23 करोड़ के क्रय आदेश मूल्य से संबंधित प्रविष्ठियो की अनुलिपिकरण सम्मिलित है। बीईस के विपरीत प्रभावित आयातो के विवरणों लिखे नही गये थे और ईडीआई में अधिकृत और रजिस्टर में नोट नहीं किया गया था।
एसीसी नई दिल्ली	निर्धारित प्रारूप में रजिस्टर बनाये नहीं गये थे। ये बिना कॉलमों के सादे रजिस्टर मे बनाए गये थे। किये गये आयात और संविदा मूल्य के विवरण, बीई सं./आरए सं. के विवरण, शुल्क को छोडना आदि, संविदा रजिस्टर में नहीं लिखे पाये गये थे। वहां कोई भी संकेत नहीं मिला था जिससे पता चले कि उच्च अधकारियों द्वारा संविदाओं के अन्तिमकरण की निगरानी करने के लिए रजिस्टर की समीक्षा की गयी थी। दो संविदाऐं (मैसर्स डीएमआरसी लि.), परियोजना आयात के अन्तर्गत आयातित माल के मूल्य को डेबिट करते समय, माल के मूल्य को श्रेण्णता दर पर संस्वीकृत को बांड मूल्य के द्वारा डेबिट भी किया गया था परिणामस्वरूप संविदाओं के पंजीकृत मूल्य से ₹3.70 करोड़ अधिक डेबिट हुए।
हैदराबाद	आईसीडी, हैदराबाद कस्टम कमिश्नर पर, कोई भी संविदा रजिस्र और टीआरए रजिस्टर नहीं बनाये गये थे। उसी प्रकार, प्रदीप कस्टमस् डिविजन में, पृथक संविदा रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया गया था।
कोलकता	परियोजना आयात के अन्तर्गत पंजीकृत मामलों की निगरानी के लिए आधारभूत अभिलेखों की अनिवार्यता है उनको उचित रूप से अनुरक्षित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि बहुत से उदाहरणों में आयातों के विवरण जैसे-प्रविष्टि बिलो की सं., आयातों का मूल्य, भुगतान शुल्क, शुल्क छोडना आदि, टेलीग्राफिक रिलीज ऑडर (टीआरए) यदि कोई है को पंजीकृत संविदाओं के संबंध में नोट नहीं किया गया था।
नोएडा	रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया। अभिलेखों के अभाव में, लेखापरीक्षा 2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए पंजीकृत/अन्तिम रूप दिए गए/लम्बित ठेकों की वास्तविक संख्या का पता नहीं लगा सकी।
एनसीएच मुम्बई	एनसीएच मुम्बई में लेखापरीक्षा सत्यापन में पता चला कि 2012 से पूर्व की अवधि से संबंधित कई ठेका रजिस्टर (बुक), रजिस्टरों से लूज पेपरों का बंच बन गए थे, कुछ पेपर क्रम से गायब थे, कुछ कागज बीच में लगा दिए गए थे, इन प्रविष्टियों से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था कि क्या एक विशेष परियोजना का आयात पूरा है या क्या ऐसे ठेके को अन्तिम रूप दिया गया है या वह अभी भी लिम्बित है, क्या रजिस्टरों की आवधिक समाप्ति नियंत्रक अधिकारियों के हस्ताक्षरों से की गई थी, क्या लम्बित या अन्तिम रूप दिए गए ठेकों की संख्या उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत एमटीआरज में दर्ज संख्या से मेल खा रही है। 2010-2011 के लिए बुक सं. 129 में , रजिस्टर में पहले तेरह पृष्ठ गायब थे, पृष्ठों में गडबडी, फटे, टूटे/गायब थे जिसके कारण प्रविष्टियां गायब थी, यह पता नहीं लगाया जा सकता था कि बुक किस रजिस्ट्रेशन संख्या से प्रारंभ हो रही है, बुक में कितने पृष्ठ है, कितने ठेके है, कोई पूर्णांक नहीं किया गया था, जिससे ठेके को अन्तिम रूप देने का पता चल सके।
जेएनसीएच, मुम्बई	लेखापरीक्षा को केवल तीन ठेका रजिस्टर प्रस्तुत किए गए थे, जिन्हें निर्धारित प्रपत्र में अनुरक्षित नहीं किया गया था। रजिस्टरों का अनुरक्षण सादे रजिस्टर में किया गया था जो बिना कालम के थे, उनमें ठेका मूल्य गायब था, बीईज का विवरण गायब था, लम्बित ठेकों की मानीटरिंग के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा किसी रजिस्टर की समीक्षा नहीं की गई थी। ठेकों की स्थिति रजिस्टरों से मात्रा निर्धारित करने योग्य नहीं थी। अन्य रजिस्टर जैसे एससीएन रजिस्टर, मांग वसूली रजिस्टर इत्यादि का ठेका सैल में अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था, और अतः उन्हें कई अनुस्मारकों के बावजूद लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे रजिस्टरों का अनुरक्षण न करने के अभाव में, यह पता नहीं लगाया जा सकता था कि उच्च अधिकारी इन आधरभूत रजिस्टरों के बिना कैसे लम्बित एससीएन, वसूलियों, लम्बित ठेकों की मानीटरिंग करेंगे।

परिशिष्ट 8

खोया हुआ फाइलों की सूची (177 फाइलें) – जेएनसीएच, मुम्बई

क्रम. सं.	क्रम सं. (विभाग डाटा)	पंजीकरण सं.	वर्ष	आयातक का नाम	सीआईफ मूल्य (₹)	कारण
1	434	22/03 सीसी	2003	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	5,76,22,00,000	मूल फ़ाइल मिली नहीं
2	639	एस/5-1/08/सीसी	2008	गुजरात राज्य विद्युत कार्पोरेशन	4,81,48,37,664	फाइल नहीं मिली
3	575	एस/5-09/2006 सीसी	2006	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन (आई)	3,70,37,88,580	फाइल अनुभाग में नहीं
4	236	एस/5-284/96 सीसी	1996	हाइड्रो इलैट्रिक प्रोजेक्ट	2,52,84,31,250	फाइल नहीं मिली
5	616	एस/5-21/07 सीसी	2007	ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1,55,67,52,683	फाइल नहीं मिली
6	363	एस/5-38/98 सीसी	1998	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोर	1,38,89,00,000	फाइल नहीं मिली
7	681	एस/5-04/2004 सीसी	2009	गुजरात अंजन सीमेंट लिमिटेड	1,14,69,03,555	फाइल नहीं मिली
8	672	एस/5-04/2004 सीसी	2009	बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड	86,71,13,739	फाइल नहीं मिली
9	444	एस/5-04/2004 सीसी	2004	अशोका मेटल डेकोर प्राइवेट	85,11,40,000	फाइल अनुभाग में नहीं
10	496	एस/5-46/2005 सीसी	2005	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	82,00,60,000	मूल फ़ाइल मिल नहीं
11	499	एस/5-58/2005 सीसी	2005	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	79,36,87,400	मूल फ़ाइल मिल नहीं
12	617	एस/5-07/2007 सीसी	2007	गुजरात अंजन सीमेंट लिमिटेड	68,99,57,959	फाइल नहीं मिली
13	649	एस/5-15/08 सीसी	2008	एल एंड टी लिमिटेड।	64,95,97,413	फाइल नहीं मिली
14	671	एस/5-32/09/सीसी	2009	भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	49,00,00,000	फाइल नहीं मिली
15	1	एस/5-09/90/सीसी	1990	टीपीआर ऑटो पार्ट विनिर्माण	36,36,09,855	फाइल अनुभाग में नहीं
16	245	एस/5-295/96 सीसी	1996	जिंदल स्ट्रिप्स	35,00,00,000	फाइल अनुभाग में नहीं
17	458	38/04 सीसी	2004	फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड	25,94,19,340	फाइल नहीं मिली
18	500	एस/5-70/2005 सीसी	2005	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	22,15,00,000	मूल फ़ाइल मिल नहीं
19	446	एस/5-56/2004 सीसी	2004	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	19,61,78,000	मूल फ़ाइल मिल नहीं
20	361	109/98 सीसी	1998	गुजरात राज्य विद्युत कार्पोरेशन	16,97,32,637	फाइल नहीं मिली
21	731	एस/5-25/2010-11 सीसी	2010	पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	15,61,27,063	फाइल नहीं मिली
22	364	एस/5-134/98 सीसी	1998	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	15,17,99,720	फाइल नहीं मिली
23	638	एस/5-34/08 सीसी	2008	कोल इंडिया लिमिटेड	13,84,92,287	फाइल नहीं मिली
24	374	31/98 सीसी	1998	टिहरी हाइड्रो देव कार्पोरेशन	13,23,00,000	फाइल अनुभाग में नहीं
25	581	एस/5-85/2006 सीसी	2006	श्री सीमेंट लिमिटेड	12,76,50,000	फाइल अनुभाग में नहीं
26	615	एस/5-03/2007 सीसी	2007	ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	12,25,61,510	फाइल नहीं मिली
27	611	एस/5-01/2007 सीसी	2007	धरमपुर शुगर मिल्स लिमिटेड	12,21,53,440	फाइल नहीं मिली
28	472	एस/5-07/2004 सीसी	2004	पन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	11,32,46,105	फाइल अनुभाग में नहीं
29	511	एस/5-61/2005 सीसी	2005	हमबोल्ड विडेग भारत पी	10,78,79,000	फाइल नहीं मिली
30	624	एस/5-25/2007 सीसी	2007	मैसर्स. टाटा पावर कंपनी	10,19,37,429	फाइल अनुभाग में नहीं
31	651	एस/5-68/08/सीसी	2008	मेघा इंजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर	8,68,72,500	फाइल नहीं मिली
32	263	336A/96 सीसी	1996	नेफ्था झाकड़ी ज्वाइंट वेंचर जुड़ें	6,98,10,648	फाइल अनुभाग में नहीं

क्रम. सं.	क्रम सं. (विभाग डाटा)	पंजीकरण सं.	वर्ष	आयातक का नाम	सीआईफ मूल्य (₹)	कारण
33	162	47/95 सीसी	1995	नुमलिगांव रिफाइनरी लिमिटेड	6,00,00,000	फाइल अनुभाग में नहीं
34	469	एस/5-52/2004 सीसी	2004	महेन्द्रा स्टील सर्विस सेन्टर लि.	5,95,52,000	फाइल अनुभाग में नहीं
35	491	एस/5-23/2005 सीसी	2005	भारत पम्पस एंड कम्प्रैसर लि.	4,55,19,956	फाइल अनुभाग में नहीं
36	48	525/94 सीसी	1994	जीई अपर लाइटिंग प्रा. लि.	4,33,79,076	फाइल अनुभाग में नहीं
37	426	31/2002 सीसी	2002	इस्ट्रूमेंटेशन लि.	4,05,50,000	फाइल नहीं मिली
38	498	एस/5-52/2005 सीसी	2005	भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड .	3,59,60,000	फाइल नहीं मिली
39	58	29/94 सीसी	1994	केल्ट्रो कन्ट्रोलस	3,53,74,109	फाइल अनुभाग में नहीं
40	192	एस/5-163/96 सीसी	1996	एटीवी प्रोजेक्टस इंडिया लि.	3,13,00,000	फाइल नहीं मिली
41	512	एस/5-67/2005 सीसी	2005	हम्बोल्दल वेडेज इंडिया प्रा. लि.	3,01,23,300	फाइल अनुभाग में नहीं
42	521	एस/5-06/2005 सीसी	2005	एल एंड टी लिमिटेड	2,87,20,000	फाइल नहीं मिली
43	73	140/94 सीसी	1994	प्लेट (इंडिया) लि.	2,35,00,000	फाइल अनुभाग में नहीं
44	253	एस/5-207/96 सीसी	1996	क्रूप इंडस्ट्रिज इंडिया लि.	2,30,00,000	फाइल अनुभाग में नहीं
45	463	एस/5-57/2004 सीसी	2004	हम्बोल्दल वेडेज इंडिया प्रा. लि.	2,28,52,000	फाइल अनुभाग में नहीं
46	464	47/04 सीसी	2004	हम्बोल्दल वेडेज इंडिया प्रा. लि.	2,28,52,000	फाइल अनुभाग में नहीं
47	468	एस/5-09/2004 सीसी	2004	एल एंड टी लिमिटेड	2,21,53,780	फाइल अनुभाग में नहीं
48	356	26/98 सीसी	1998	इलेकन ऐनगेज कों. लि.	2,17,04,410	फाइल नहीं मिली
49	573	एस/5-84/2006 सीसी	2006	नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन	2,15,72,300	फाइल नहीं मिली
50	74	477/94 सीसी	1994	प्रेसिजन फास्टनर्स लि.	2,09,14,648	फाइल अनुभाग में नहीं
51	306	एस /5-82/97 सीसी	1997	भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड .	2,03,00,000	फाइल नहीं मिली
52	644	एस /5-9/08 सीसी	2008	इस्ट्रूमेंटेशन लि.	2,00,00,000	फाइल अनुभाग में नहीं
53	519	04/2001 सीसी	2005	नूर ब्रेमस सिस्टम	1,83,95,712	फाइल नहीं मिली
54	411	12/2001 सीसी	2001	क्रमप्टन ग्रिवज लि.	1,77,42,780	फाइल अनुभाग में नहीं
55	339	एस /5-10/97 सीसी	1997	टाटा हेनीवेल लि.	1,75,00,000	फाइल अनुभाग में नहीं
56	300	एस /5-84/97 सीसी	1997	एसीसी लि.	1,74,82,880	अनुभाग में फाइल उपलब्ध
57	362	142/98 सीसी	1998	हिंडल कों इंड. लि.	1,72,00,000	फाइल अनुभाग में नहीं
58	113	एस/5-185/95 सीसी	1995	भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड .	1,67,54,604	फाइल अनुभाग में नहीं
59	157	417/95 सीसी	1995	मनकसिया क्लोजरस लि.	1,64,00,000	फाइल अनुभाग में नहीं
60	419	52/2002 सीसी	2002	एल्सटॉम पावर बॉयलर्स लि.	1,58,00,000	फाइल नहीं मिली
61	281	1096/96 सीसी	1996	यूनीस्कॉनस एंड सोनिक्स लि.	1,53,50,191	फाइल नहीं मिली
62	846			पेट्रोन इंजीनियरिंग कों.	1,50,88,039	फाइल अनुभाग में नहीं
63	557	एस/5-62/2006 सीसी	2006	डाल्मियां शुगर लि.	1,49,58,404	फाइल नहीं मिली
64	414	एस/5-01/2001 सीसी	2001	एल एंड टी लिमिटेड	1,44,00,000	फाइल अनुभाग में नहीं
65	428	35/02/सीसी	2002	एल एंड टी लिमिटेड	1,38,00,000	फाइल नहीं मिली
66	555	एस/5-57/2006 सीसी	2006	कॉरपोरेट इस्पात एलोयज लि.	1,35,00,000	फाइल अनुभाग में नहीं
67	682	एस /5-58/09/सीसी	2009	गुजरात नर्मदा वेली फर्टीलाइजर्स लि.	1,32,58,000	फाइल अनुभाग में नहीं
68	127	96/95 सीसी	1995	फीशर रोजमाउंट इंडिया लि.	1,26,10,265	फाइल अनुभाग में नहीं
69	455	41/04 सीसी	2004	क्रमप्टन ग्रिवज लि.	1,24,70,855	फाइल अनुभाग में नहीं

क्रम. सं.	क्रम सं. (विभाग डाटा)	पंजीकरण सं.	वर्ष	आयातक का नाम	सीआईफ मूल्य (₹)	कारण
70	303	एस /5-87/97 सीसी	1997	बेन्नेट कॉलमेन एंड कों . लि.	1,21,56,256	फाइल अनुभाग में नहीं
71	130	82/95 सीसी	1995	जीई अपर लाइटिंग प्रा. लि.	1,15,50,000	फाइल नहीं मिली
72	689	एस /5-46/09 सीसी	2009	श्री सीमेंट लि.	1,08,31,000	फाइल नहीं मिली
73	231	79/96 सीसी	1996	गोदरेज एंड बॉयस मेन्यू कों. लि.	1,03,00,003	फाइल अनुभाग में नहीं
74	421	32/2002 सीसी	2002	केबल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	1,00,15,494	फाइल नहीं मिली
75	522	एस /5-63/05 सीसी	2005	लोयड इन्सॉल्यूशन (आई) लि.	96,12,000	फाइल अनुभाग में नहीं
76	523	एस/5-24/2005 सीसी	2005	लायड इन्सॉल्यूशन (आई) लि.	96,12,000	फाइल नहीं मिली
77	75	एस /5-06/94 सीसी	1994	पंजाब पावर जेनरेशन मशीन लि.	91,88,000	फाइल अनुभाग में नहीं
78	156	एस /5-59/95	1995	महाराष्ट्र सीमलेस लि.	91,05,720	फाइल अनुभाग में नहीं
79	307	एस /5-73/97 सीसी	1997	भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड .	90,25,200	फाइल अनुभाग में नहीं
80	375	एस /5-24/98 सीसी	1998	दी इंडियन शुगर एंड जेन. इंज. का.	84,40,000	फाइल अनुभाग में नहीं
81	124	396/95	1995	क्रमप्टन ग्रिवज लि.	81,56,567	फाइल अनुभाग में नहीं
82	355	93/98 सीसी	1998	क्रमप्टन ग्रिवज लि.	75,00,000	फाइल नहीं मिली
83	847			नेशनल फिल्मस डेव. कों. लि.	74,32,747	फाइल नहीं मिली
84	37	62/94 सीसी	1994	सीम्मको लि.	73,15,000	फाइल अनुभाग में नहीं
85	436	एस /5-20/2003	2003	बीएसईएस लि.	69,94,110	फाइल नहीं मिली
86	310	एस /5-63/97 सीसी	1997	क्रमप्टन ग्रिवज लि.	69,03,010	फाइल अनुभाग में नहीं
87	230	309/96 सीसी	1996	जीईसी एल्सटॉम इंडिया लि.	68,64,981	फाइल नहीं मिली
88	329	एस /5-85/97 सीसी	1997	एल एंड टी लिमिटेड	65,00,000	फाइल अनुभाग में नहीं
89	312	एस /5-85/97 सीसी	1997	ईएमसीओ ट्रांसफार्मर्स लि.	64,54,532	फाइल अनुभाग में नहीं
90	83	152/94 सीसी	1994	टाटा केमिकल्स लि.	63,44,902	फाइल अनुभाग में नहीं
91	433	17/2003 सीसी	2003	भारत पम्पस एंड कम्प्रैसर लि.	60,52,000	फाइल अनुभाग में नहीं
92	347	14/98 सीसी	1998	एग्रिकल्चर एंड प्रोसेसड फूड	57,50,000	फाइल अनुभाग में नहीं
93	106	एस /5-3/95 सीसी	1995	भारत पम्पस एंड कम्प्रैसर लि.	57,00,000	फाइल नहीं मिली
94	366	57/98 सीसी	1998	काइनेटिक टेक्नोलॉजी इंडिया लि.	54,02,560	फाइल नहीं मिली
95	149	482/95 सीसी	1995	काइनेटिक टेकनोलॉजी इंडिया लि.	53,20,583	फाइल अनुभाग में नहीं
96	137	84/95 सीसी	1995	हाई-रेल इक्लेट्रानिक्स प्रा. लि.	52,42,809	फाइल नहीं मिली
97	336	एस /5-46/98 सीसी	1997	सीमेनस लि.	52,00,000	फाइल अनुभाग में नहीं
98	360	एस /5-49/98 सीसी	1998	गुजरात केमिकल्स पोर्ट टर्मिनल कों.	52,00,000	फाइल नहीं मिली
99	200	275/98 सीसी	1996	भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड .	50,63,000	फाइल अनुभाग में नहीं
100	845	0		एसिया ब्राउन बोवरी लि.	50,00,000	फाइल अनुभाग में नहीं
101	401	एस /5-01/2001	2001	एलसियोम लि.	49,76,084	फाइल अनुभाग में नहीं
102	126	48/95 सीसी	1995	एवरेस्ट फोटो ऑफसेट लि.	49,56,000	फाइल अनुभाग में नहीं
103	256	एस/5-266/96 सीसी	1996	एल एंड टी लिमिटेड	49,43,800	फाइल अनुभाग में नहीं
104	47	245/94 सीसी	1994	जीई अपर लाइटिंग प्रा. लि.	46,82,430	फाइल नहीं मिली
105	249	30/96 सीसी	1996	केलट्रो काउनट्रलस	46,64,300	फाइल नहीं मिली
106	397	16/2000 सीसी	2000	एलीकॉन इंज. कों. लि.	44,29,000	फाइल अनुभाग में नहीं
107	206	एस/5-202/96 सीसी	1996	भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड .	44,00,000	फाइल नहीं मिली

क्रम. सं.	क्रम सं. (विभाग डाटा)	पंजीकरण सं.	वर्ष	आयातक का नाम	सीआईफ मूल्य (₹)	कारण
108	235	एस/5-158/96 सीसी	1996	हाइड्रो डाइने इंड	43,90,185	फाइल अनुभाग में नहीं
109	341	एस/5-195/97 सीसी	1997	टयूब प्रोडक्टस इनकॉरपोरेट	41,00,000	फाइल नहीं मिली
110	280	एस/5-346/96 सीसी	1996	तुगभद्रा स्टील प्रा. लि.	40,00,000	फाइल अनुभाग में नहीं
111	195	165/96 सीसी	1996	भारत बिजली लि.	36,05,833	फाइल अनुभाग में नहीं
112	252	एस/5-377/96 सीसी	1996	कर्लोकर पावर इक्यू. लि.	32,20,120	फाइल अनुभाग में नहीं
113	132	480/95 सीसी	1995	जीईआई इंज. लि.	31,95,300	फाइल अनुभाग में नहीं
114	87	83/94 सीसी	1994	थर्मेक्स लि.	31,71,539	फाइल अनुभाग में नहीं
115	619	एस/5-18/2007 सीसी	2007	हिन्दुस्तान जिंक लि.	30,55,756	फाइल नहीं मिली
116	259	178/96 सीसी	1996	मीनाक्षी एसोसिएटस प्रा. लि.	30,20,717	फाइल नहीं मिली
117	233	एस /5-22/96 सीसी	1996	होरीजन पॉलीमर इन. लि.	29,70,000	फाइल अनुभाग में नहीं
118	320	22/97 सीसी	1997	होरीजनपॉलीमर इन. लि.	29,69,573	फाइल नहीं मिली
119	311	एस /5-65/97 सीसी	1997	ईएमसीओ ट्रांसफार्मर्स लि.	29,57,000	फाइल अनुभाग में नहीं
120	267	301/96 सीसी	1996	रायचेम इंज. प्रा. लि.	28,59,156	फाइल नहीं मिली
121	176	157/95 सीसी	1995	स्पाइसर इंडिया लि.	27,13,000	फाइल अनुभाग में नहीं
122	167	एस/5-350/95 सीसी	1995	प्रिज्म सीमेंट लि.	25,63,562	फाइल अनुभाग में नहीं
123	125	94/95	1995	क्रम्पटन ग्रीवस लि.	25,00,000	फाइल अनुभाग में नहीं
124	199	69/98 सीसी	1996	भारत बिजली लि.	24,40,972	फाइल अनुभाग में नहीं
125	497	एस/5-49/2005 सीसी	2005	भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड .	22,41,000	फाइल अनुभाग में नहीं
126	131	376/95 सीसी	1995	जीई प्लास्टिक्स इंडिया लि.	22,15,015	फाइल नहीं मिली
127	535	एस /5-20/2005 सीसी	2005	रोचेम सेपरेशन सिस्टमस इंडिया प्रा.	20,63,919	फाइल नहीं मिली
128	408	एस/5-105/01 सीसी	2001	भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड .	20,11,100	फाइल अनुभाग में नहीं
129	247	343/96 सीसी	1996	ज्योति लि.	19,13,155	फाइल नहीं मिली
130	473	एस/5-16/2004 सीसी	2004	पायोनीर जेनको लि.	18,00,102	फाइल अनुभाग में नहीं
131	161	एस /5-45/95 सीसी	1995	मोदी जीबीसी लि.	16,59,200	फाइल नहीं मिली
132	333	एस/5-273/97 सीसी	1997	नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रानिक्स कॉ.	15,96,000	फाइल अनुभाग में नहीं
133	590	एस/5-01/2006 सीसी	2006	टेहरी हाइड्रो देव कॉ.	15,62,978	फाइल अनुभाग में नहीं
134	254	107/96 सीसी	1996	केएसबी पम्पस लि.	15,10,000	फाइल अनुभाग में नहीं
135	319	एस /5-62/97 सीसी	1997	होरिजन पॉलीमर इन. लि.	15,00,000	फाइल अनुभाग में नहीं
136	392	एस /5-39/00 सीसी	2000	एबीबी एल्सटॉम पावर इंडिया लि.	14,48,391	फाइल अनुभाग में नहीं
137	371	एस /5-51/98 सीसी	1998	राजेन्द्र मेकेनिकल इंडस्ट्रिज लि.	13,85,000	फाइल नहीं मिली
138	349	182/98 सीसी	1998	भारत पम्पस एंड कम्प्रैसर लि.	13,00,000	फाइल नहीं मिली
139	409	22/2001 सीसी	2001	केपिटल कंट्रोल इंडिया प्रा. लि.	12,98,843	फाइल अनुभाग में नहीं
140	273	एस/5-342/96 सीसी	1996	थर्मेक्स लि.	12,64,400	फाइल नहीं मिली
141	315	एस/5-151/97 सीसी	1997	जी.आर. इंज बर्कस लि.	12,58,663	फाइल अनुभाग में नहीं
142	350	एस /5-33/98 सीसी	1998	भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड .	12,35,622	फाइल नहीं मिली
143	80	एस/5-507/94 सीसी	1994	सुदीक्षा	12,31,332	फाइल अनुभाग में नहीं
144	178	456/95 सीसी	1995	सुरेन्द्र इंज. कॉ. लि.	12,26,447	फाइल अनुभाग में नहीं
145	179	45/95 सीसी	1995	सुरेन्द्र इंजीनियरिंग लि.	11,51,355	अनुभाग में फाइल उपलब्ध

क्रम. सं.	क्रम सं. (विभाग डाटा)	पंजीकरण सं.	वर्ष	आयातक का नाम	सीआईफ मूल्य (₹)	कारण
146	68	343/94 सीसी	1994	नेशनल पेरोक्साइड लि.	10,75,000	अनुभाग में फाइल उपलब्ध
147	317	एस/5-113/97 सीसी	1997	गोदरेज एंड बॉयस मेन्यू. कॉ. लि.	10,75,000	फाइल अनुभाग में नहीं
148	326	एस/5-133/97 सीसी	1997	एल एंड टी लिमिटेड	10,30,000	फाइल अनुभाग में नहीं
149	222	339/96 सीसी	1996	कलर इमेज	9,99,498	फाइल अनुभाग में नहीं
150	257	74/96 सीसी	1996	लायड स्टील इंडस्ट्रीज लि.	8,79,160	फाइल नहीं मिली
151	318	131/97 सीसी	1997	गोदरेज एंड बायस मेन्यू कॉ. लि.	7,25,000	फाइल नहीं मिली
152	50	160/94 सीसी	1994	ग्रासीम इंडस्ट्रिज लि.	6,45,000	फाइल अनुभाग में नहीं
153	589	एस/5-08/2006 सीसी	2006	एसआरएफ निप्पोडेन्सो लि.	6,20,000	फाइल नहीं मिली
154	386	187/99 सीसी	1999	जीईसी एल्सटॉम इंडिया लि.	5,54,718	फाइल अनुभाग में नहीं
155	282	46/96 सीसी	1996	विजय फायर प्रोडक्शन लि.	3,44,764	फाइल नहीं मिली
156	275	127/96 सीसी	1996	टेमा एक्सचेंजर मेनयू. लि.	3,00,000	फाइल अनुभाग में नहीं
157	139	98/95 सीसी	1995	होरीजन पॉलीमर इन. लि.	2,74,000	फाइल अनुभाग में नहीं
158	524	03/05 सीसी	2005	मेटीटो पोल्यूशन कंट्रोल इंडिया प्रा.	2,04,998	फाइल अनुभाग में नहीं
159	404	23/2001 सीसी	2001	एक्वाटेक सिस्टम एशिया प्रा. लि.	2,00,000	फाइल अनुभाग में नहीं
160	342	एस /5-28/97 सीसी	1997	विजय फायर प्रोडक्शन लि.	1,75,300	फाइल अनुभाग में नहीं
161	846	एस /5-सीसी		इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉ. लि.	1,26,000	फाइल नहीं मिली
162	144	एस/5-221/95 सीसी	1995	जेपीबेला सीमेंट	1,25,369	फाइल नहीं मिली
163	223	22/96 सीसी	1996	फर्नेन्स फेब्रिक बाम लि.	1,20,000	फाइल अनुभाग में नहीं
164	207	एस/5-215/96 सीसी	1996	भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड .	1,00,000	फाइल नहीं मिली
165	492	एस /5-330/05	2005	भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड .	84,342	फाइल अनुभाग में नहीं
166	437	एस/5-11/2003 सीसी	2003	फर्नेस इंजीनियरिंग इंडिया लि.	48,854	फाइल नहीं मिली
167	103	एस /5-495/95	1995	भारत पम्पस एंड कम्प्रैसर लि.	--	फाइल अनुभाग में नहीं
168	224	एस /5-212/96	1996	फर्नेस फेब्रिक बाम लि.	--	फाइल अनुभाग में नहीं
169	260	एस /5-397/96	1996	मिस्त्री प्रभुदास	--	फाइल अनुभाग में नहीं
170	337	एस /5-409/97	1997	सल्जर इंडिया लि.	--	फाइल अनुभाग में नहीं
171	338	एस /5-453/97	1997	सुरेन्द्र इंजीनियरिंग लि.	--	फाइल अनुभाग में नहीं
172	348	एस /5-315/98	1998	एशियन केबल्स लि.	--	फाइल नहीं मिली
173	393	एस /5-30/2000	2000	भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड .	--	फाइल नहीं मिली
174	395	एस /5-07/2000	2000	चट धर हाइड्रो इंजीनियर	--	फाइल अनुभाग में नहीं
175	429	एस/5-02/2002 सीसी	2002	न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन लि.	--	फाइल नहीं मिली
176	439	एस /5-164/2003	2003	मेशा एन्टरप्राइजिज	--	फाइल अनुभाग में नहीं
177	648	एस /5-45/2008	2008	कर्लोकर पेन्यूमेटिक कम्पनी लि.	--	फाइल नहीं मिली

© भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in